खण्ड १ — अंक १९
१४ मार्च, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

बुधवार, १४ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*६८२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षय रोग से पीड़ित जिन व्यक्तियों का कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन बीमा हुआ हो उन्हें उदारतापूर्वक नकद आर्थिक लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में क्या अब कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जी नहीं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा सम्बन्धी स्थायी समिति या मंत्रणा समिति की सिफ़ारिश कब प्राप्त हुई थी ?

†**श्री आबिद अली** : पिछले वर्ष ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यद्यपि सिफ़ारिश किये गये एक वर्ष बीत चुका है, तथापि इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है । क्या मैं इसके कारण जान सकता हूँ ?

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि यह विषय अभी विचाराधीन है । इसका अभी तक निर्णय नहीं किया गया है । इसे अस्वीकार नहीं किया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यदि इन उपबन्धों के सम्बन्ध में उदारता बरती जाये तो वित्तीय उपलक्षणायें क्या होंगी क्या उनका हिसाब लगा लिया गया है और यदि हां, तो वह रक़म कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यह बताया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को १९५६ में अप्रैल के महीने में पैप्सू में लागू कर दिया जायेगा क्या इस कार्यक्रम पर चला जा सकेगा ।

†**श्री आबिद अली** : इस समय योजना त्रावनकोर-कोचीन और राजस्थान में लागू की जानी है । जहां तक पैप्सू का सम्बन्ध है, उस में अभी कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास एसोसिएशन

†*६८४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास एसोसिएशन ने नई दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) रैड क्रास का अगला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में होगा ।

(ख) सम्मेलन के लिये २१ जनवरी से ५ फ़रवरी १९५७ तक की तारीखें नियत की गई हैं ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यावलि कैसे तैयार की जाती है? किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा इस की कार्यावलि तैयार करने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यकारी या अन्य निकाय गठित किया गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी हां । रैड क्रास संस्था संघ (लीग आफ़ रैड क्रास सोसाइटीज़) व उनकी कार्यपालिका और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग व उसकी कार्यपालिका द्वारा कार्यावलि तैयार की जाती है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का अधिवेशन क्या विभिन्न देशों में चक्रानुक्रम द्वारा होता है या इस बात का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : विभिन्न देशों के निमन्त्रण पर हर चार वर्ष बाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये जाते हैं । यह निर्णय इन सम्मेलनों में किया जाता है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : हाल के वर्षों में अन्य देशों में रैड क्रास की जो बैठकें हुई हैं क्या उन में से किसी में भारत ने भाग लिया था ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : निःसन्देह । भारत इन बैठकों में भाग लेता है । पिछला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कनाडा में हुआ था और भारत उस में सम्मिलित हुआ था ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यदि हम ने इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में कोई अंशदान दिया था तो वह क्या था और इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हमें पिछले वर्ष में क्या सहायता दी गई थी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जब कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां होती हैं तो सभी देशों की रैड क्रास संस्थाएं भारत की या किसी अन्य देश की अत्यधिक सहायता करती हैं । हमें इन साढ़े आठ वर्षों में करोड़ों रुपयों की साहयता मिली है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है वह अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और रैड क्रास संस्था संघ (लीग आफ़ रेड क्रास सोसाइटीज़) दोनों को प्रति वर्ष डेढ़ लाख रुपया देता है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला

†*६८५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कलकत्ता में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की गई है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : जी हां ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या वहां पर नमूनों के विश्लेषण का कोई कार्य किया गया है और यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशखर** : इस प्रयोगशाला में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न खाद्य पदार्थों के कई नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। ४० पदार्थ प्राप्त हुये हैं। हम ने २७ नमूनों का विश्लेषण किया है। अनुसन्धान प्रयोजनों के लिये भी कुछ नमूनों का विश्लेषण किया गया था और उनकी संख्या २३ है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : वहां पर कितने विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं और क्या उन में कोई विदेशी विशेषज्ञ भी है?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम ने यह संस्था अभी स्थापित की है। हमारे पास कोई भी विदेशी विशेषज्ञ नहीं है। केवल एक निदेशक है और उसकी सहायता के लिये कुछ कर्मचारी हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह प्रयोगशाला केवल अपमिश्रण के मामलों की ही जांच करती है या बच्चों की खुराक, दूध, विटामिन, आहार पुष्टि आदि के आहार पोषक तत्वों का परीक्षण भी करती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अभी-अभी एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि नमूनों की जांच दोनों प्रयोजनों अर्थात् खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के सम्बन्ध में अपराधों का पता लगाने के लिये और अनुसंधान के लिये की जाती है।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : खाद्य अपमिश्रण का जिन मामलों में संदेह होता है क्या उन सभी को इस प्रयोगशाला में, जो अपने ढंग की एक ही प्रयोगशाला है, भेज दिया जाता है या सरकार का देश के किसी अन्य भाग में कोई और प्रयोगशाला आरम्भ करने का विचार है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केन्द्रीय सरकार के लिये यह एक प्रयोगशाला ही काफ़ी है।

पर्यटन

*६८६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे थे उन पर क्या तब से कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति योजना की एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार से लिखा पढ़ी की गयी है या इस सम्बन्ध में और कोई प्रगति हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ मांगें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयी थीं लेकिन यह सारा मसला प्लानिंग कमीशन के विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने प्लानिंग कमीशन से एक बहुत बड़ी रकम मांग की थी लेकिन बहुत कम रकम मंजूर हुई है, और क्या अब उस रकम को बढ़वाये जाने की कोशिश की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : पहले जो हमने प्लान बनाया था वह बहुत बड़ा था और कुछ ज्यादा रुपयों की मांग की गयी थी। लेकिन अभी इस मसले पर प्लानिंग कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया है।

†**श्री सी० डी० पांडे** : नैनीताल अत्यन्त रमणीय पहाड़ी स्थानों में से एक है। क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में यात्रियों के लिये कोई 'फ़ोल्डर' जारी किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हमने कितने ही 'फ़ोलडर' छाप हैं। मुझे मालूम नहीं कि नैनीताल के लिये कोई है या नहीं।

†**श्री सी० डी० पांडे** : जी नहीं।

†**श्री अलगेशन** : मैं इस की जांच करूंगा।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या विकास के लिये पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का चुनाव सारे भारत में से किया जाता है या उन्हें राज्य सरकारों के प्रतिनिधान पर चुना जाता है?

†**श्री अलगेशन** : हम सारे देश के पर्यटक आकर्षण के स्थानों पर विचार करते हैं। बेशक हम राज्य सरकारों की राय भी लेते हैं कि इन में से कौन से स्थान इस दृष्टिकोण से विकास के लिये उपयुक्त हैं। हम दूसरों के विचार भी मालूम करते हैं।

श्री भक्त दर्शन : अगली पंच वर्षीय योजना में पर्यटन उद्योग के लिये उत्तर प्रदेश को जो रकम दी जायेगी उसका निर्णय करने में तो अभी देरी होगी, लेकिन क्या यह बतलाया जा सकता है कि सन् १९५६-५७ के लिये क्या रकम मंज़ूर की गयी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी सन् १९५६-५७ के लिये कोई रकम मंज़ूर नहीं हुई है। जब प्लानिंग कमीशन इस सम्बन्ध में कुछ फ़ैसला करेगा तभी हम कुछ निश्चय कर सकेंगे। लेकिन जहां तक बुद्धिस्त सेंटर्स (बौद्ध केन्द्रों) का ताल्लुक है उनमें से खास-खास जगहों के लिये हमने काफ़ी रूपया दिया है और काम शरू भी हो गया है।

बाढ़ सहायता

†*६८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका की एक सहायता एजेन्सी ने मद्रास के बेघरबार बाढ़ पीड़ितों के लिये दूध का पाउडर और घी भेजा था;

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण द्वारा उसे बांटा गया था और किस सीमा तक सरकार का सहयोग लिया गया था; और

(ग) जिन अन्य विदेशी एजेन्सियों ने बाढ़ तथा चक्रवात पीड़ितों की ऐसी ही सहायता की थी उनके नाम क्या हैं ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) अमेरिका की तीन ऐजन्सियों 'चर्च वर्ल्ड सर्विस', 'कैथोलिक रिलीफ़ सर्विसिज़', और 'को-आपरेटिव फ़ौर अमेरिकिन रिमिटैन्सिज़ टू एवरीवेयर' द्वारा भेजे गये दूध पाउडर, घी, आदि के उपहारों का मद्रास के चक्रवात और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये उपयोग किया गया था।

(ख) राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने ग़ैर सरकारी सहायता संस्थाओं और समितियों की सहायता से ये उपहार बांटे थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अमेरिका में भेजने वाली अभिज्ञात एजेन्सियों के नाम हैं जो भारत अमेरिका करार के अधीन उपहार के पार्सल भेजती रहीं हैं और जिन उपहारों के कुछ अंश को भारत में पाने वाली अभिज्ञात स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बांटा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री विभूति मिश्र : यह जो बाहर से मिल्क पाउडर और बटर आइल हिन्दुस्तान में आया यह कितनी कीमत का था ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उनकी कीमत आंकना कठिन है । जिन उपहारों को मद्रास में बांटा गया उनकी कीमत ४० से ५० लाख रूपये के लगभग थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं यह जो चीजें फ्लड एफेक्टेड पीपिल में बांटने के लिये आती हैं वह बहुत देरी से बांटी जाती हैं, और तब बांटी जाती हैं जब फ्लड उतर जाता है और उनकी ज़रूरत नहीं रहती ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ये चीज़ें जो आयी थीं ये तो दूसरी स्कीम में आयी थीं । लेकिन चूंकि ये चीज़ें यहां पर आयी हुई थीं इसलिये जब कि साइक्लोन चल रहा था तो ये साइक्लोन एफेक्टेड एरिया में बांटी गयी और जनता ने इसको बहुत एप्रीशिएट किया । यह बात गलत है यें चीज़ें देरी में बांटी जाती हैं । शायद आनरेबिल मेम्बर को पता नहीं है कि ये चीज़ें वक्त पर बांटी जाती हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ये चीज़ें कब आयीं और कब बांटी गयीं ?

श्री ए० पी० जैन : ये चीज़ें आयी हुई तो पहले से थीं । लेकिन जब साइक्लोन आया तो डिप्टी मिनिस्टर गये और एक स्पेशल ट्रेन के ज़रिये ये चीज़े वहां पहुंचाई गईं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ सहायता अभ्यंश ग़ैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा लगभग काले बाज़ार के मूल्यों पर बेचा जाता है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें हैं तो हम उनकी जांच करने के लिये तैयार हैं । सामान्य शिकायतें की जाती हैं परन्तु हम माननीय सदस्य से विशिष्ट शिकायतें आमंत्रित करते हैं ताकि हम इस सम्बन्भ में कुछ कार्यवाही कर सकें ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : क्या दान देने वाले देशों द्वारा विशिष्ट प्रदेशों या राज्यों को बंटवारा किया जाता है या इसे हमारी सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वह जहां चाहे इसे खर्च करे ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : सरकार का इस बात के अतिरिक्त उन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता कि हम उन्हें नि:शुल्क प्राप्त करते हैं, उन्हें उठाते हैं और अपने संरक्षण में उन्हें रखते हैं और जिस किसी अभिकरण को वे सौंपे जाने हों उसे भेज देते हैं । हम तो निष्कासन-एजेंट का सा कार्य करते हैं । कुछ एजेन्टों को सामान भेज दिया जाता है और वे उसे जहां कभी भी भारत में चक्रवात या बाढ़ आये बांट देते हैं ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं इस योजना की कुछ और स्पष्टत: व्याख्या करना चाहता हूं । अमेरिका में कुछ सामान भेजने वाली एजेन्सियां हैं । भारत में कुछ सामान प्राप्त करने वाली एजेन्सियां हैं । भेजने वाली एजेन्सियां यहां पर प्राप्त करने वाली एजेन्सियों को अपना सामान भेजती हैं । भारत सरकार उपहारों को निशुल्क प्राप्त करने का कार्य करती है । तब उन्हें रेलवे भाड़ा लिये बिना मुफ्त, प्राप्त करने वाली एजेन्सियों को भेज दिया जाता है और इन एजेन्सियों द्वारा उन्हें बांट दिया जाता है । राज्य सरकारों को

†मूल अंग्रेजी में

यह प्रमाणित करना होता है कि इस सामान को जाति, पंथ या सम्प्रदाय के किसी भेद भाव के बिना बांटा है और उस की कोई कीमत वसूल नहीं की गई है। ज्यों ही यह प्रमाणपत्र मिल जाता है, बातों को अन्तिम रूप से विनिश्चित कर लिया जाता है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : प्रश्न यह था कि क्या भेजने वाली एजेन्सियों ने यह कहा था कि दूध का पाउडर और घी मद्रास में बाढ़ पीड़ितों के लिये है या प्राप्त करने वाली एजेन्सियों ने उन्हें मद्रास में बाढ़ पीड़ितों के लिये अभिभाजित किया था।

†**श्री ए० पी० जैन** : यही समझाने का मैं ने प्रयत्न किया है। ये वस्तुएं किसी विशिष्ट क्षेत्र या उद्देश्य के लिये नहीं थीं। उन्हें कुछ एजेन्सियों को भेजा गया था। हमने उन एजेन्सियों से बात-चीत की थी और उन एजेन्सियों ने उन्हें चक्रवात पीड़ित क्षेत्रों के लिये नियत कर दिया था और इस लिये उन्हें वहां बांटा गया था।

ब्यास नदी पर पुल

†*६८९. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन** मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार द्वारा १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में डेरा गोपीपुर (पंजाब) में ब्यास नदी पर पुल बनाने के लिये कितनी राशि ली गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** :

१९५४-५५.....२ लाख रूपये

१९५५-५६.....कुछ नहीं।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुल के बनाने पर कितना रुपया ख़र्च होगा और उसमें सेंट्ल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : एस्टिमेट (प्राक्कलन) के मुताबिक इसका ख़र्चा ३० लाख रुपये का था जिसमें यह तय हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ४० फ़ीसदी देगी यानी १२ लाख रुपयें देगी और स्टेट गवर्नमेंट ६० फ़ीसदी यानी १८ लाख देगी।

श्री हेमराज : क्या इस पुल का कोई डिज़ाइन एप्रूव (मंजूर) हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कोई उसके लिये मंज़ूरी लेनी होगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस पुल को बनाने की सारी ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है और वही उसकी डिज़ाइन एप्रूव करेगी।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि यह पुल कब तक बन जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह पंजाब गवर्नमेंट बता सकेगी।

कोङ्कन तटीय नौवहन

†*६९१. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटिड की, कोनकन तटीय जहाजों में वर्तमान यात्री किराये को बढ़ा देने की प्रस्थापना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक जांच बोर्ड नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) बोर्ड ने क्या-क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । आशा है कि प्रतिवेदन अप्रैल, १९५६ के मध्य में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी** : बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं?

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री लोकुर इसके सभापति हैं?

†**श्री गिडवानी** : क्या और कोई सदस्य नहीं है?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : वही केवल एक सदस्य है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : यह समिति कब स्थापित की गयी थी, और इसके प्रतिवेदन के प्राप्त होने की कब तक आशा है?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह समिति अभी हाल ही में स्थापित की गयी थी, और जैसा मैंने कहा है प्रतिवेदन के अप्रैल के मध्य में आने की आशा है । यह वास्तव में ८ मार्च को स्थापित की गयी थी ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या रेलवे को, यात्री संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वर्तमान किराये अधिक हैं और उन्हें कम किया जाये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हाँ ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने जांच करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व इन समवायों से यह पूछा है कि क्या उन्होंने प्रारम्भिक सुविधायें दी हैं, अर्थात उन बन्दरगाहों पर, जहाँ से यात्रियों को तीन चार प्रकार की सवारियों का आश्रय लेना होता है और तट तक पहुँचने के लिये पानी के बीच में से जाना होता है, नावों आदि की व्यवस्था की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह तो सरकार की जिम्मेदारी है जिसके बारे में सरकार पूर्णरूप से सचेत है, और वह समय-समय पर परीक्षण करती रहती है ।

†**श्री काजरोल्कर** : बम्बई स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के गत पांच वर्षों में कितने गुना किराया बढ़ाया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या समवाय किराया बढ़ाने से पूर्व सरकार से परामर्श लेता है, और क्या सरकार किराया बढ़ाने की स्वीकृति देती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : किराया सरकार ही के अनुमोदन से ही बढ़ाया जाता है । वर्तमान मामले में भी उन्होंने किराया बढ़ाने के लिये पूछा है, और उसे एक समिति को सौंप दिया गया है । सरकार इस मामले पर श्री लोकुर के प्रतिवेदन के उपरान्त ही कोई निर्णय कर सकेगी ।

†**श्री गिडवानी** : क्या किराये में कमी करने के बारे में सरकार को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, वह भी सोच विचार करने के लिये बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जब किराया बढ़ाने का प्रश्न आयेगा तो स्वभावतः दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जायेगा ।

कर्मचारी सहकारी ऋण समितियां

†*६९२. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे प्रशासन रेलवे में कर्मचारी सहकारी कार्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार; और

(ग) क्या दक्षिण रेलवे प्रशासन ने दक्षिण भारतीय रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के निदेशकों को सभी प्रकार की सामान्य सुविधायें दी हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। जिसमें यह बताया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या सुविधाएं दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) जी, हाँ।

†**श्री नम्बियार** : विवरण तथा उसमें दिये गये तथ्यों से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कभी दक्षिण भारतीय सहकारी ऋण संस्था के निदेशकों को आकस्मिक अवकाश देने से इनकार किया गया था?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसके लिये मुझे एक पृथक पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सच है कि गत दक्षिण भारतीय सहकारी ऋण संस्था ने बस्ती के सीमा के अन्दर या वर्कशाप की सीमा के अन्दर ऋण के रूप में रूपया बांटने का प्रबन्ध करने के लिये कुछ स्थान की मांग की तो उसे स्थान नहीं दिया गया?

†**श्री शाहनवाज खां** : मूल प्रश्न सभी सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं। परन्तु माननीय सदस्य एक विशेष सहकारी संस्था के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। यदि वह इस के लिये एक पृथक पूर्व सूचना दें तो हम उनके बड़े कृतज्ञ होंगे।

†**श्री नम्बियार** : क्या सामान्य रूप से सभी सहकारी संस्थाओं के अशंधारियों को, उस विशेष पदाधिकारी की सिफ़ारिशों के फल स्वरूप, जिसने इस मामले पर विचार किया था, उधार सम्बन्धी सुविधायें देने से इनकार कर दिया गया है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के पास क्या जानकारी है, परन्तु हम तो न ही कोई सहकारी संस्था बनाते हैं और न ही इस प्रकार की सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन में कोई सुविधायें देने से इनकार करते हैं। बल्कि जब विशेष पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो सरकार ने उस पर अच्छी प्रकार से विचार किया तथा उसकी बहुत सी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया, और उस प्रतिवेदन के फलस्वरूप ये सभी सुविधायें प्रदान की गयीं, जो कि सभा-पटल पर रखे गये इस विवरण में विस्तारपूर्वक दी गयी हैं।

†**श्री वेलायुधन** : प्रश्न के भाग (ग) में दक्षिण भारतीय रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण संस्था का विशेष उल्लेख किया गया है। यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि, क्या प्राधिकारी इसके साथ विभेदात्मक व्यवहार कर रहे हैं? यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

†**श्री अलगेशन** : विशिष्ट उत्तर दिया जा चुका है। उत्तर था "जी, हाँ"।

†**अध्यक्ष महोदय** : विभेदात्मक व्यवहार किया जा रहा है, क्या यह सच है?

†**श्री अलगेशन** : उसका विशिष्ट उत्तर दिया जा चुका है और वह था "जी, हाँ"। मूल प्रश्न के उत्तर में ऐसा कहा जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी सामान्य सुविधायें दी जाती हैं।

---

†मल अंग्रेजी में

जहाज़ निर्माण

†*६९३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज़ निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा यूगोस्लाविया सरकार के बीच कोई बात-चीत हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बात-चीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). कुछ अनौपचारिक प्रारम्भिक बात-चीत हुई है, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : वे प्रारम्भिक बातें किस प्रकार की थी और सरकार को कोई निश्चित निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जब भारत सरकार का एक सचिव यूगोस्लाविया गये थे तो उनके जहाज़ बनाने वाले कारखाने के प्राधिकारियों से बात-चीत करने और जहाज़ निर्माण के लिये क्या-क्या सुविधायें दी जा सकती हैं, उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा गया था और वह कुछ जानकारी लाये भी हैं जो कि पूरी नहीं है । फिर हमने अपनी आवश्यकतायें उन्हें भेजी हैं । एक प्रकार के जहाज़ तो तटीय नौवहन के लिये और दूसरी प्रकार के जहाज़ समुद्र पार नौवहन के लिये । उन्होंने प्रथम प्रकार के जहाज़ बनाने के बारे में तो असमर्थता प्रकट कर दी है । हमने दूसरी प्रकार के जहाज़ों के बारे में विवरण भेजा है । वे इनमें से प्रत्येक प्रकार के रूपांकन (डिज़ाइन) तैयार करेंगे और तब हम उनके सम्बन्ध में निर्णय कर सकेंगे ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : भारत सरकार इस समय इस प्रकार के जहाज़ किराये पर लेने में किस देश से वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित किये हुये है और क्या उसके सम्बन्ध को देश के मूल्य का दूसरे देश के मूल्य से भिन्न है ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न का सम्बन्ध यूगोस्लाविया सरकार से तथा यूगोस्लाविया के जहाज़ निर्माण कारखाने में, जहां जहाज़ निर्माण होते है, से है । जहाँ तक अन्य कारखानों में जहाज़ों के निर्माण तथा उनके क्रय का सम्बन्ध है, इसका सामान्यतया निर्णय टेंडरों के आधार पर किया जाता है । गैर-सरकारी समवाय इधर-उधर पता करते हैं और उन कारखानों का निश्चय कर लेते हैं जहाँ पर वे जहाज़ बनवाना चाहते हैं ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या जहाज़ निर्माण के बारे में रूस से सहायता प्राप्त करने के लिये कोई बात-चीत हो रही है ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय रूसी प्रतिनिधि मण्डल से बात-चीत हो रही है । परन्तु वह बात-चीत तो नौवहन के सम्बन्ध में हो रही है, जहाज़ निर्माण के सम्बन्ध में नहीं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : यह बतलाया गया है कि एक दूसरे जहाज़ निर्माण कारखाने की स्थापना में प्रमुख कठिनाई प्रविधिक कर्मचारियों का न मिलना है । सरकार ने अपने देश में जहाज़ निर्माण के लिये आवश्यक प्रविधिक कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अलगेशन** : यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री मातन** : क्या लगभग एक वर्ष पूर्व किसी विदेशी सार्थ से कोई प्रस्थापना आई थी कि हमारी सरकार अथवा हमारे देश के लिये जहाज़ बनाने के लिये एक जहाज़ निर्माण कारखाना स्थापित किया जाये; और यदि हाँ, तो उस प्रस्थापना के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा पहला उत्तर इस प्रश्न पर भी लागू होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार की राय में इन दो बातों में से कौन सी बात अधिक महत्त्वपूर्ण है। अपने विशाखापटनम् के कारखाने में यूगोस्लावियन अथवा फ्रांसीसी अथवा रूसी लोगों को नियुक्त करना या पश्चिमी तट पर जहाँ पानी, विद्युत तथा वाष्प उपलब्ध है, एक और जहाज़ निर्माण कारखाना बनाना?

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न का क्षेत्र अत्यन्त सीमित सा है; इसका सम्बन्ध तो यगोस्लाविया में जहाज़ों के निर्माण से है ।

यमुना बाजार, दिल्ली

†*६९८. **श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यमुना बाज़ार के निवासियों को उस बस्ती से कब तक हटाया जायेगा;

(ख) क्या उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा; और यदि हाँ, तो उन्हें किस स्थान अथवा बस्ती में पुनः बसाया जायेगा;

(ग) क्या उस बस्ती के लोगों के द्वारा कोई प्रतिनिधित्व किया गया था; और यदि हाँ, तो सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को वहाँ से हटाया जायेगा और फिर बसाया जायेगा; और

(ङ) इस प्रकार के वैकल्पिक स्थान प्रदान करने में सरकार का कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) यमुना बाज़ार की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का वहाँ से निकालना अक्तूबर, १९५६ में प्रारम्भ हो जायेगा और उस काम में ६ मास से लेकर एक वर्ष तक लग जायेगा ।

(ख) उन्हें (मथुरा रोड़ पर) किलोकरी और (ग्रान्ड ट्रंक रोड पर शाहदरे के) झिलमिला तहीरपुर में बसाने की प्रस्थापना है ।

(ग) जी, हाँ । इस गंदे क्षेत्र की सफ़ाई उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तथा राजधानी के उचित आयोजन के लिये आवश्यक समझी गयी है ।

(घ) लगभग ८,००० ।

(ङ) भूमि की लागत के सहित लगभग ३९ लाख ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : क्या समस्त निवासियों को, उन निवासियों को सम्मिलित करते हुये जिनके उस स्थान में अपने पक्के मकान हैं, हटाया जायगा ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस मामले की जांच की जा रही है । वे मकान, जिनकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और जो पक्के हैं और जिनके हटाने की जरूरत नहीं है, निसंदेह नहीं हटाये जायेंगे ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि माननीय मंत्री ने लोक-सभा में आश्वासन दिया था कि जिन लोगों ने पहले ही निर्माण प्रारम्भ कर दिया है उनको नहीं छेड़ा जायगा, क्या उन मकानों को गिरा दिया जायगा या नहीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है । मैंने जो आश्वासन दिया था वह इतना ही था उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, अर्थात्, चूंकि इस क्षेत्र को खुला क्षेत्र रखना है, इसलिये वे व्यक्ति, जो वहां नौकरी करते हैं, यथासंभव ऐसे स्थानों को भेजे जायेंगे जहां उन्हें नौकरी मिलेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार की जानकारी में यह चीज लाई गई है कि इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों में से बहुत से श्मशान और यमुना नदी में नहाये जाने वाले लोगों से सम्बन्धित व्यवसायों

---

†मूल अंग्रेजी में

में लगे हुये हैं, और यदि हां, तो मंत्रीजी ऐसा कैसे कहती हैं कि उनको ऐसे क्षेत्रों में भेजा जायगा जहां उनके व्यवसायों पर असर नहीं पड़ेगा और वे पूर्ववत् बने रहेंगे ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं इतना ही कहती हूँ कि वे अनधिवासी हैं और उन्होंने ऐसे क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया है जिनको योजना के अनुसार खुले स्थान के रूप में रखना है। मैंने स्वयं वहां का चक्कर लगाया है और अधिकांश अनधिवासी या तो मोची हैं और या शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं या हरिजन हैं तथा उनको उन स्थानों में भेजने से, जो उनके लिये दिये गये हैं, उनका कोई विस्थापन नहीं होगा जैसा कि वे कभी-कभी आशंका प्रकट करते हैं। मैं यह भी कहूँगी कि मैंने दिल्ली के कुछ प्रतिनिधियों से, विकास मंत्री और दिल्ली के नागरिकों को सम्मिलित करते हुये, मुझ से इस मामले पर बात करने के लिये कहा था और जो निर्णय हुये हैं वे उनके साथ पूरी तरह परामर्श करने के पश्चात ही किये गये हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि उन लोगों ने जिनको अपने निवास स्थान से हटाया जा रहा है और जिनको उपजीविका के स्थान से बहुत दूर पुनर्वासित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, सरकार से ऋण के लिये प्रार्थना की है ताकि वे उसी क्षेत्र में सरकारी डिज़ाइन के अनुसार अपने-अपने फ्लैट बना सकें ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इन सब मामलों की अत्यधिक सहानुभूतिपूर्वक जांच की जा रही है, और जहां लोग डिजाइन के अनुसार स्वयं मकान बनाने को इच्छुक हैं उस दशा पर भी अनुकूलत: विचार किया जा रहा है।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या सरकार ने उस क्षेत्र में स्थित धार्मिक संस्थाओं, शेक्षिक संस्थाओं और मन्दिरों की संख्या का निश्चय कर लिया है, और क्या उनको हटाया जायगा अथवा नहीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी नहीं, मन्दिरों को नष्ट नहीं किया जायेगा। मैंने भी एक धार्मिक संस्था देखी थी। जिसका मैं समझती हूँ माननीय सदस्य संकेत कर रहे हैं। मैं नहीं समझती कि उस संस्था विशेष के हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या सरकार उसी क्षेत्र में नई गन्दी बस्तियों के बनाये जाने को रोकने के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है, और यदि हां, तो वे कदम क्या हैं;

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हम अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, परन्तु अनधिवासी कानून के विरुद्ध आ ही जाते हैं और मकान बना लेते हैं।

खंड सहकारिता पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†*६९९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र से कोटा, राजस्थान, में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये खंड सहकारिता पदाधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ख) वह प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) आन्ध्र से कोई भी पदाधिकारी कोटा में प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जाता है क्योंकि आन्ध्र और मद्रास राज्यों के लिये तिरुपति में एक पृथक् केन्द्र है। चालू सत्र में उस केन्द्र में प्रशिक्षण के लिये आन्ध्र सरकार द्वारा १५ पदाधिकारी प्रति नियुक्त किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तिरुपति में साढ़े तीन महीने का छोटा प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम आन्ध्र और मद्रास राज्यों के कर्मचारियों के लिये और कोटा में १० महीने का बड़ा पाठ्यक्रम अजमेर, मध्य भारत, राजस्थान, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिये संगठित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या आदिवासियों के बीच कार्य करने के लिये कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और यदि हां, तो क्या आन्ध्र में काय करने वाले किसी खंड पदाधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यहां जिस प्रशिक्षण का निर्देश किया गया है वह सामान्य रूप का है और राष्ट्रीय विस्तार खंडों के लिये है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या आदिवासियों के बीच कार्य करने के लिये प्रशिक्षण देने के लिये कोई विशेष आवश्यकता अथवा कोई विशेष परिस्थितियां हैं?

†**श्री कासलीवाल** : जहां तक इन खंड पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, क्या इस प्रशिक्षण में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार का अन्तर है?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी, नहीं। उनमें यह अन्तर अवश्य हो सकता है कि जो व्यक्ति भर्त्ती होते हैं उनके पास भिन्न-भिन्न उपाधियां होती हैं और उनकी योग्यतायें भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ स्नातक हो सकते हैं, कुछ सहकारी संस्थाओं में से हो सकते हैं, परन्तु पाठ्यक्रम एक ही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था इस देश के और किन-किन केन्द्रों में की गई है?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : फिलहाल पांच मौजूद हैं। गोपालपुरा-आन-सी, हैदराबाद, कोटा, तिरुपति और भावनगर। धूरी, फैज़ाबाद और शांति निकेतन में तीन केन्द्र और स्थापित किये जायेंगे।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या ऐसा कोई संगठन है जहां कि खण्ड पदाधिकारियों, जो कि समस्त भारत के सामुदायिक योजना केन्द्रों में सब से बड़ा पदाधिकारी होता है, को ऐसा कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा हो जिससे उन्हें अन्य केन्द्रों में किये गये समस्त कार्य का अनुभव प्राप्त हो सके?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जहां तक इस प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, हमारा अभिप्राय यह है कि उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दें।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

*७००. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में लगी हुई मशीनें और सामान पुराने किस्म का है और वर्तमान आवश्यकताओं के लिये अपर्याप्त है; और

(ख) उन्हें बदलने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी हां, यह सही है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में कुछ मशीनें और सामान पुराने किस्म का है। कुछ केन्द्रों में सामान उनकी जरूरतों के हिसाब से कम है, परन्तु इस कमी को दूर किया जा रहा है। करीब २२ लाख रुपयों का सामान और मशीनें, १९५० से अब तक खरीदी गई हैं और ३२ लाख रुपयों की मशीनें शीघ्र ही आने वाली हैं। १९५६-५७ के बजट में, इस के लिये ५० लाख रुपया रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री केशव अय्यंगार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे औद्योगिक तालीमी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो और कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री आबिद अली : दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन केन्द्रों की तादाद बढ़ाई जाएगी। अभी करीब १३,००० लोग वहां पर सीखते हैं और इनकी संख्या ३०,००० तक बढ़ाई जानी है और इस काम पर तकरीबन १८ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या प्रशिक्षणार्थियों को बड़े कारखानों और शालाओं में शिक्षार्थियों के रूप में नियुक्त करने की योजना अभी भी **जारी** है और वह कैसी चल रही है?

†**श्री आबिद अली** : जी, हां, केन्द्र में १८ महीने के प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को ६ महीने का कारखाने में प्रशिक्षण (इन-प्लान्ट ट्रेनिंग) दिया जाता है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ट्रेनिंग सेंटर भारतवर्ष में किन किन स्थानों पर हैं ?

श्री आबिद अली : करीब ६० हैं, और करीब-करीब हर सूबे में हैं ।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र हैं ?

श्री आबिद अली : तीन जगह पर हैं, देहरादून में है, दिल्ली में है और मद्रास में है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या जहां तक स्त्रियों के केन्द्रों का सम्बन्ध है वहां तक क्या यह केन्द्र और भी कुछ स्थानों पर खोले जाने वाले हैं, यदि हां तो किन किन स्थानों पर?

श्री आबिद अली : कई जगह खोले जायेंगे । अभी यह पूरे तौर से निश्चय नहीं किया गया है कि कहां-कहां खोले जायेंगे ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्य सरकारों को सौंप देने की कोई बातचीत चल रही है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, ये ३१ मार्च, १९५६ को सौंप दिये जायेंगे ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या विभिन्न केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थी अभी भी बेरोज़गार हैं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में जो प्रशिक्षण मिलता है वह रोज़गार की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है ?

†**श्री आबिद अली** : हम मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम समय-समय पर परिवर्तित करते रहते हैं। सूचना काम दिलाऊ दफ्तरों से इकठ्ठी की जाती है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों के लिये उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही मांग होने लगती है। अनुवर्ती कार्यवाही करने का कुछ प्रयत्न किया गया था परन्तु प्रशिक्षणार्थियों ने सहयोग नहीं दिया ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मंत्रीजी को यह ज्ञात है कि सैकड़ों प्रशिक्षणार्थी अब बेरोज़गार हैं, और यदि हां तो क्या उनको रोज़गार दिलाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि प्रशिक्षण आशानुकूल नहीं हैं तो क्या उनको रोज़गार के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें कोई प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण देने का कोई विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैंने कहा, जहां तक मांग का सम्बन्ध है, हमारी सूचना के अनुसार वह बहुत सन्तोषजनक है। काम दिलाऊ दफ्तरों को इन प्रशिक्षणार्थियों को सहायता देने की हिदायतें दी गई ह ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को किस सूत्र से यह ज्ञात

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है कि उनमें से बहुत से बेरोजगार हैं। यदि वह उसकी सूचना दें तो हम इस मामले में और जांच करेंगे।

मध्य रेलवे में डिविजन प्रणाली

†*७०१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में डिवीजन प्रणाली को लागू करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) उसके किस तिथि तक पूर्ण होने की संभावना है; और

(ग) डिवीजन प्रणाली के परिणामस्वरूप कितने डिवीजन स्थापित किये जायेंगे?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन)** : (क) और (ख) पूर्ण डिवीजन प्रणाली सिकन्दराबाद डिवीजन में १ फरवरी, १९५६ से और बम्बई डिवीजन में १ मार्च, १९५६ से प्रारंभ की गई है। आशा है कि समस्त मध्य रेलवे में डिवीज़न स्थापित करने का कार्य लगभग १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जायगा।

(ग) सात।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या डिवीजन प्रणालियों की स्थापना पर डिवीजन मार्ग योग-मील के आधार पर होंगे अथवा चालन दक्षता के आधार पर ?

†**श्री अलगेशन** : इन सभी बातों का विचार रखा गया है और यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान डिवीजनों को जैसा का तैसा बना रहने दिया जायगा।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : डिवीजन प्रणाली का विस्तार अन्य रेलवे प्रदेशों (जोन्स) में कब किया जायगा ?

†**श्री अलगशन** : उसको प्रायः एक साथ ही दक्षिण रेलवे में भी लिया गया है। विचार यह है कि उसको जितनी जल्दी से हो सके अन्य रेलों में भी चालू किया जाय।

†**श्री बूबराघस्वामी** : क्या इस डिवीजन प्रणाली द्वारा पदाधिकारियों की संख्या बढ़ जायगी अथवा घट जायगी ? क्या सरकार ने इसके परिणाम स्वरूप होने वाली बचत या हानि की रकम का कोई अनुमान तैयार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : इसको वर्तमान प्रदेशों (जोन) के प्रसंग में चालन में अधिक दक्षता लाने के लिये लागू किया गया है। मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि पदाधिकारियों की संख्या बढ़ जायगी अथवा कुछ घट जायगी। परन्तु इसको मुख्यतः चालन में सुविधा लाने की दृष्टि से चालू किया जा रहा है जिससे कि समस्त पदाधिकारियों के कार्य का डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट द्वारा समन्वय किया जायगा।

†**श्री वेलायुधन** : क्या त्रावणकोर-कोचीन, अर्थात् प्रस्तावित केरल में, कोई डिवीजनल हेडक्वार्टर होंगे ?

†**श्री अलगेशन** : प्रादेशिक विचारों को निस्संदेह समुचित महत्त्व देना होगा। परन्तु यह मानना होगा कि चालन सम्बन्धी विचारों को प्रादेशिक विचारों से, यदि कोई हों, अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये।

†**श्री ए० एम० थामस** : प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया। मंत्री जी ने कहा कि प्रादेशिक विचारों को निस्संदेह समुचित महत्त्व दिया जाना चाहिये और अन्य बातें भी हैं। इस बात को ध्यान में

---

†मूल अंग्रेजी में

रखते हुए कि प्रादेशिक संतुलन, चालन दक्षता और मार्ग-मीलयोग के कारण भावी केरल राज्य में एक डिवीजनल हेडक्वार्टर अत्यन्त आवश्यक है, क्या रेलवे मंत्रालय ने उस पहलू पर विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा तात्पर्य यह था कि यदि प्रादेशिक और चालन सम्बन्धी विचारों में संघर्ष होगा तो चालन सम्बन्धी विचार ही माने जांयगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतना सब न कहकर मंत्रीजी संक्षेप में 'हां' या 'ना' कहकर ऐसे साधारण से प्रश्न का उत्तर दे सकते थे कि क्या भावी केरल राज्य में एक डिवीजनल हेडक्वार्टर रखने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : ऐसा कोई विचार नहीं है। परन्तु हमें त्रावणकोर-कोचीन के समस्त संसत्सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और रेलवे बोर्ड उस मामले पर विचार कर रहा है ।

†**डा० रामा राव** : प्रत्येक डिवीजन की प्रशासकीय व्यवस्था कैसी है ?

†**श्री अलगेशन** : डिवीजन प्रणाली अभी उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे में प्रचलित है। अन्य रेलों पर प्रशासकीय व्यवस्था उसके समान ही होगी ।

रेलवे का विकास

†*७०२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों का विकास करने और अन्य देशों में हुए नये विकास की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिये तीन व्यक्तियों की एक स्थायी समिति बनाई गई है;

(ख) इस समिति के कार्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) अभी नहीं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया जायेगा?

†**श्री अलगेशन** : यह समिति विशेष देशों से सम्पर्क स्थापित रखने के कार्य से सम्बन्ध नहीं रखती है। यह समिति साहित्य इत्यादि के द्वारा विदेशों में हुए रेलवे के कार्यों में नवीनतम सुधारों, तथा विकासों की जानकारी रखेगी। उनको कुछ विशिष्ट समस्यायें भी अध्ययन करने के लिये दी गई हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वे सभी पदाधिकारी हैं ।

†**श्री धुसिया** : समिति के सदस्यों के नाम तथा उनके पद क्या हैं ?

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या समिति विदेशों में यात्रा करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अभी अभी कहा है कि वह केवल साहित्य के द्वारा विदेशों में हुए विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या विदेशों के सम्पर्क से प्राप्त जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के लिये लाभदायक होगी और क्या वह इस रेलवे में प्रयुक्त की जायेगी?

†**श्री अलगेशन** : वे भारत सरकार की सभी रेलों पर लागू होगी। अध्ययन तथा परीक्षण के परिणाम स्वरूप वे जिन सुधारों का भी सुझाव देंगे वे सभी रेलों पर लागू होंगे ?

कई माननीय सदस्य उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वास्तव में कोई प्रश्न महत्वपूर्ण होता है तो मैं पहले ही उस पर कोई प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे देता हूं ; लेकिन ये तो इधर उधर की बातें हैं। अब श्री विट्ठल राव प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से आये हुए विशेषज्ञ इस समिति के अधीन कार्य करेंगे अथवा स्वतंत्र रूप से?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वे इस समिति के साथ काम करें। निःसन्देह यह समिति जो कुछ भी जानकारी एकत्र करेगी उसे इन पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है; किन्तु वे स्वतंत्र दल के रूप में आ रहे हैं और हम यह चाहेंगे कि वे हमारे मतों से प्रभावित हुए बिना ही हमारे कार्य परिणामों का अध्ययन करें। हम इस दल पर स्वतंत्ररूप से होने वाली प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं।

त्रिचिनापल्ली रेलवे कर्मचारियों की कैंटीन

†*७०३. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचिनापल्ली में दक्षिण रेलवे के प्रादेशिक मुख्यालयों के कार्यालयों में नियुक्त लगभग दो हज़ार रेलवे कर्मचारियों ने, हाल में ही रेलवे प्रशासन द्वारा विभागीय कैंटीन बंद किये जाने पर, सहकारी आधार पर अपनी कैंटीन खोलने का अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्य किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की उस मांग को अस्वीकार कर, दक्षिण रेलवे सरकारी भंडार समिति से कैंटीन चलाने को कहा गया है; और

(घ) क्या इस स्थिति को बदलने के लिये तत्पश्चात् कोई कार्यवाही की गई है ?

***रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) इस विषय पर रेलवे प्रशासन के द्वारा, २००० व्यक्तियों से नहीं बल्कि त्रिचिनापल्ली के केंटीन से जिन ५००० व्यक्तियों को सामान दिया जाता था उनमें से ७३२ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). दक्षिण रेलवे प्रशासन ने अभ्यावेदकों को यह सूचित किया कि सरकार की रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों को इन कैंटीनों को लेने के लिये प्रोत्साहित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए, उनकी मांग स्वीकृत नहीं की जा सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा उल्लिखित कैंटीन की व्यवस्था त्रिचिनापल्ली में रेलवे कर्मचारी सहकारी भंडार को दे दी गई।

(घ) जी, नहीं ।

†**श्री नम्बियार** : क्या रेलवे प्रशासन की नीति स्वयं कर्मचारि-वृन्द द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी कैंटीनों को प्रोत्साहन देने की नहीं है?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैंने अभी कहा इसे एक सहकारी संस्था को सौंप दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार की नीति सरकारी संस्था की बजाय जो कि कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं से बिल्कुल भिन्न होती है स्वयं कर्मचारीवृन्द द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों को प्रोत्साहन देने की नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री का कहना है कि सहकारी संस्था भी कमचारीवृन्द द्वारा ही चलाई जा रही है। एक सहायक संस्था के रूप में यह उपक्रम भी कर्मचारियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें कोई अन्तर नहीं है ।

†**श्री नम्बियार :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या प्रशासन सहकारी संस्था द्वारा, जिसके अंशधारी कैंटीन का उपयोग करने वालों से अतिरिक्त व्यक्ति होते हैं। चलाई जाने वाली कैंटीनों की तुलना में कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनों को वरीयता देगी ।

†**श्री शाहनवाज खां :** इस विषय में नवीनतम सिफारिशें कृपलानी समिति, रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति, की हैं। उस ने सिफारिश की है कि भविष्य में यह कैंटीनें स्वयं कर्मचारियों द्वारा बनाई गई प्रबन्ध समितियों को सौंप दी जायें। रेलवे विभाग ने इस सिफारिश को मान लिया है। भविष्य में सभी प्रबन्ध इसके अनुसार किये जायेंगे ।

†**श्री नम्बियार :** क्या कृपलानी समिति की इस सिफारिश को देखते हुए त्रिची की कर्मचारी कैंटीन के प्रश्न पर भी पुनः विचार किया जायेगा?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** उस समिति ने सिफारिश की है और हमने उस सिफारिश पर विचार कर लिया है। परन्तु मुझे कर्मचारियों द्वारा स्थापित एक सहकारी संस्था द्वारा चलाई जाने वाली तथा उनके अधीन कार्य करने वाली कैंटीन में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों में क्या अन्तर है। किन्तु हमने सहकारी संस्थाओं द्वारा कैंटीनें चलाये जाने को सदैव प्रोत्साहन दिया है और देते रहेंगे परन्तु यदि किन्हीं अन्य स्थानों पर कर्मचारी स्वयं इस का प्रबन्ध करना चाहें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन :** उस वैभागिक कैंटीन को जो इस झगड़े का मूल कारण थी, बन्द करने के क्या कारण थे ?

†**श्री शाहनवाज खां :** माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये रेलवे बोर्ड में एक विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। उसकी ही सिफारिश पर यह परिवर्तन किया गया था।

गन्ना सम्बन्धी गवेषणा

†*७०७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र में गन्ने और भूमि से सम्बन्धित कितने गवेषणा केन्द्र इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ख) गवेषणा के परिणाम स्वरूप आंध्र में किस अच्छी प्रकार के गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) इन गवेषणा केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया जाता है?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) आंध्र में गन्ना सम्बन्धी गवेषणा कार्य के लिये केवल अनकापल्ली में ही एक केन्द्र है। उस राज्य में भूमि सम्बन्धी गवेषणा कार्य के लिये कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) सी० ओ० ४१९, सी० ओ० ५२७ तथा सी० ओ० ४४९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गन्ना गवेषणा केन्द्र अनकापल्ली पर राज्य सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है यह मालूम नहीं है। भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने कर्मचारीवृन्द का वेतन व भत्ता आदि के ५० प्रतिशत की दर से जो वार्षिक वित्तीय सहायता दी वह २८,४९५ रूपये थी।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** सरकार के पास रक्षित निधि में अब कितना रुपया है?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** कौन सी रक्षित निधि; प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** गवेषणा कार्य के प्रोत्साहन के लिये रखी गई निधि।

†**डा० पी० एस० देशमुख :** सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् से है कोई अन्य निधि नहीं है। इसका प्रबन्ध भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति करती है और जब कभी उसे खर्च की आवश्यकता होती है हम उसे निधि या अनुदान दे देते हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** इस बात को ध्यान में रखते हुए आंध्र न केवल गन्ना उगाने का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है बल्कि यहां उत्पादन भी काफी होता है, क्या सरकार वुटयूर में एक गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** श्रीमान, अभी नहीं।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी गवेषणा संस्थायें हैं, और यदि हां, तो हैदराबाद राज्य में कितनी कार्य कर रही हैं?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** सभी गवेषणा केन्द्रों की सूची इस समय मेरे पास नहीं है। अन्य राज्यों में भी कुछ केन्द्र हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम :** उत्तर और दक्षिण में गन्ने के उत्पादन को सन्तुलित रखने की आवश्यकता को देखते हुए, क्या सरकार दक्षिण की चीनी मिलों के आवंटन को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना करती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** वस्तुतः अनुज्ञप्ति देने की प्रणाली यह रही है; जो पहले आया उसे पहले मिला। परन्तु वास्तव में मेरे विचार से ८० प्रतिशत से अधिक नई अनुज्ञप्तियां उन व्यक्तियों को दी गई हैं जो दक्षिण में कारखाने स्थापित कर रहे हैं।

नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन बोर्ड

†*७०८. **श्री केशव अय्यंगार :** क्या श्रम मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन बोर्ड स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जायेगी, जिनसे इस बारे में सलाह ली जा रही है। अभी कुछ राज्यों के जवाब आने बाकी हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार :** क्या सरकार इस मामले का शीघ्र ही निर्णय करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री आबिद अली :** हां, श्रीमान। छ मास में इसका अन्तिम रूप से निर्णय हो जायेगा।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** इसे स्थापित करने में मंत्रालय को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अनन्तशयनम अय्यंगार समिति ने चार वर्ष पूर्व इस प्रश्न की जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ?

†**श्री आबिद अली :** वह सच है। परन्तु यह विषय पुनः शिवाराव समिति को सौंपा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** अब यह विषय फिर किस समिति को सौंपा जायेगा?

†**श्री आबिद अली :** कार्यवाही करने वाली समिति को ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों के सुझाव तो आ गये हैं और कुछ के बाकी हैं । कितने राज्यों के सुझाव आ गये हैं और किन किन के बाक़ी हैं ?

श्री आबिद अली : सिर्फ दो के बाक़ी हैं, बंगाल और बम्बई के ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** जिन राज्यों ने उत्तर भेज दिये हैं उनकी प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** वे इसके पक्ष में हैं ।

रेलवे दावा आयोग

†*७०९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में जंगम स्थान पर हुई रेल दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये दावा आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आहत व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में कुल कितनी धन राशि दी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** (क) जी, हां ।

(ख) रूपये ७,६९,७२३–१३–९ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा झूंठे दावे किये गये थे और उन्हें रूपये का भुगतान कर दिया गया था और यदि हां, तो क्या कोई पूछताछ की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** कुछ शिकायतें मिली थीं और जांच की जा रही है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** दावों का परीक्षण कैसे किया गया; क्या कोई साक्ष्य लिया गया था ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** मैं ठीक-ठीक तो कुछ नहीं कह सकता; परन्तु एक भूतपूर्व सत्र न्यायाधीश ने दावों का निबटारा किया था और हम यह विचार कर सकते हैं कि दावों का वैध रूप निबटारा करने के लिये वह साक्ष्य थे ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** झूंठे दावे कितने थे?

†**श्री एल० बी० शास्त्री :** झूंठे दावों के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है । उनमें से एक दावे के बारे में जो कि झूंठा था, कुछ शिकायतें की गई थीं और इसलिए जांच की गई है ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** आहत व्यक्तियों को प्रतिकर की कितनी अधिकतम राशि दी गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** एक व्यक्ति को, जो अधिकतम धन-राशि दी जा सकती है, वह १०,००० रूपये है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** रेलवे बोर्ड ने उस समय दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों की जो संख्या बताई थी उनको देखे निबटाये गये दावों की संख्या कहीं अधिक जान पड़ती है, क्या यह ठीक है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** अब तक किये गये कुल दावों की संख्या १९० है । केवल मृत्यु के लिये ही २८ दावों का भुगतान किया गया है और मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि के ९४ दावों का भुगतान किया गया ।

†**श्री सी० डी० पांडे :** क्या मैं श्री एम० एल० द्विवेदी की ओर से प्रश्न संख्या ६८१ पूछ सकता हूं?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को इसके लिये प्राधिकार प्राप्त है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० पांडे :** अधिकार केवल यही है कि श्री द्विवेदी ने मुझ से अपनी ओर से प्रश्न पूछने के लिये कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह काफ़ी नहीं है ।

रेलवे कर्मचारी

†*६८३. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण रेलवे महा-क्षेत्र में ट्रेन क्लर्कों, वाणिज्यिक क्लर्कों और सिग्नलरों की पदोन्नति करके उन्हें स्टेशन मास्टर और गार्ड नियुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य महा-क्षेत्रों में भी ऐसी ही हालत है; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों के इस वर्ग की पदोन्नति किन क्षेत्रों में की जायेगी?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]**

†**श्री ए० के० गोपालन :** क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न रेलवेज़ की पदोन्नति की प्रणालियों में विभिन्नता क्यों है ?

†**श्री अलगेशन :** रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवेज़ को निदेश दे दिये है और उनसे एक सम प्रणाली स्थापित करने को कहा है ।

†**श्री ए० के० गोपालन :** क्या पदोन्नति के लिये अयोग्य ठहराये जाने के बारे में दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य ने उस दिन भी वाद-विवाद के समय इस प्रश्न को उठाया था और मैं ने इसका पूरा उत्तर दे दिया था । यद्यपि वह उस समय सभा में उपस्थित नहीं थे फिर भी मेरा विचार था कि उन्होंने इस विषय सम्बन्धी मेरा भाषण पढ़ने का कष्ट किया होगा । अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और दक्षिण रेलवे ने इस प्रकार से व्यवस्था करने का निश्चय किया है जिससे कि दूसरे दावों पर प्रभाव न पड़े ।

†**श्री नम्बियार :** विवरण से पता चलता है कि कर्मचारियों के कुछ विभागों में प्रतिशतता के आधार पर कुछ पदोन्नतियां की गई थीं । क्या मैं जान सकता हूं यह प्रतिशततायें ८५ प्रतिशत, १० प्रतिशत और ५ प्रतिशत किन आधारों पर रखी गई थीं ?

†**श्री अलगेशन :** मेरे विचार से पहले प्रचलित प्रथाओं के विषय में निर्देश है । अब हम ने कह दिया है कि स्टेशन मास्टरों के ग्रेड के लिये जो पदोन्नतियां की जायें वह सिग्नलरों में से की जानी चाहिये, और अब से आगे सभी स्थानों पर इस प्रथा का पालन किया जायेगा ।

†**श्री नम्बियार :** क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक सेवा की है, पदोन्नति प्राप्त करके स्टेशन मास्टर के ग्रेड में रखे जाने के अयोग्य ठहराया गया है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं नहीं जानता कि वह कर्मचारीवृन्द के किस वर्ग के बारे में कह रहें हैं ।

†**श्री नम्बियार :** वह ट्रेन क्लर्क जो पांच वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन :** इस विवरण में मैंने कर्मचारीवृन्द के उन सभी वर्गों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है जिनकी पदोन्नति करके स्टेशन मास्टर नियुक्त किया जाता है । यह एक बहुत विस्तृत विवरण है जिसमें विभिन्न रेलों की स्थिति बताई गई है । प्रत्येक रेलवे की प्रथा अलग-अलग है, इसलिये अब रेलवे बोर्ड ने एक एकरूप प्रणाली के अपनाये जाने के सम्बन्ध में निदेश दिये हैं । रेलवे कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग के लिये आवंटित की गई पदोन्नतियों की प्रतिशतता सम्बन्धी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

नौवहन

†***६८८. श्री बंसल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार और रूस की समाजवादी सरकार के मध्य दोनों देशों के बीच एक सीधी नौवहन सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में किसी क़रार पर विचार किया जा रहा है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** हां, श्रीमान ।

†**डा० रामा राव :** मैं प्रार्थना करता हूं कि राधा रमण द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६९५ को लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई माननीय सदस्य श्री द्विवेदी की ओर से प्रश्न पूछना चाहते थे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** प्रश्न ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हुआ? हम ने उसे सुना नहीं ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री बंसल :** हमने उत्तर सुना नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर था "हां, श्रीमान" और मैं ने समझा कि इस 'हां' से माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो गये थे ।

कृषि सम्बन्धी उधार समितियां

***६८१. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कृषि सम्बन्धी उधार समितियां स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अल्पकालीन ऋण देने के लिये १५० करोड़ रुपये जुटाने के लिये जो योजना बनाई गई है उसकी रूप रेखा क्या है और ऐसे ऋणों को देने के सम्बन्ध में कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अनाज बैंकों को मिला कर प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटियों की संख्या, जो कि १९५०-५१ में १ लाख १५ हज़ार थी, १९५३-५४ के अन्त तक बढ़ कर १ लाख ३५ हज़ार हो गई । १९५०-५१ में प्राथमिक सोसाइटियों के सदस्यों की संख्या लगभग ५२ लाख और उधार दी गई रकम २२ करोड़ ९० लाख रुपये थी जो १९५३-५४ में बढ़ कर क्रमश: ६५ लाख और २९ करोड़ ९९ लाख रुपये हो गई ।

(ख) सहकारी सोसाइटियों की उधार देने की क्षमता को बढ़ाने के लिये इन को बड़े पैमाने के यूनिटों में पुनर्गठित करने का विचार है और इन के सदस्यों की संख्या तथा शेअर कैपिटल अधिक होंगे और शेअर कैपिटल में राज्य हिस्सा लेगा । ज़मीन की मिल्कियत के बजाय उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा फसलों के पूर्वानुमानों के आधार पर ऋण देने की जो नयी नीति अपनायी गई है उस के फलस्वरूप बढ़ी हुई मांगों की पूर्त्ति के लिये इस पुनर्गठित ऋण व्यवस्था के ढांचे को रिज़र्व बैंक से अधिक रकम मिल सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूंकि अल्प-कालीन ऋण अब भी दिये जाते हैं, ऐसे ऋणों को देने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई

†*६९५. **श्री राधा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में टाटा मेमोरियल अस्पताल को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यमार्बुद (कैंसर) की चिकित्सा के लिये और अधिक रोगियों के वहां रहने का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार जब अस्पताल को अपने अधिकार में ले लेगी तब इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**डा० रामा राव** : भारत में यमार्बुद (कैंसर) की आधुनिक चिकित्सा की कमी को देखते हुये अन्य स्थानों पर सुविधायें प्रदान करने की बजाय एक सुसंचलित अस्पताल को लेने के लिये लगभग ४६ लाख रुपये देने का क्या कारण है ?

†**श्री आबिद अली** : यह एक प्रश्न पृथक है ।

†**डा० रामा राव** : यह पृथक प्रश्न नहीं है ।

†**श्री आबिद अली** : ठीक है, तब मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : ऐसे स्थानों पर यमार्बुद रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए जहां पर किसी भी प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस से कि एक बड़ी मोटर गाड़ी यमार्बुद सम्बन्धी उपकरण लेकर यमार्बुद रोगियों की सहायता के लिये सारे देश में चक्कर लगाये ताकि यमार्बुद रोगियों की चिकित्सा की जा सके ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री भी यहां नहीं हैं ।

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न पर । अभी अभी जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं ने कुछ समय पहले माननीय मंत्री को सभा-कक्ष में ज़ोर शोर से बहस करते हुये देखा था । माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देने के लिये यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों से एक बात का अनुरोध करूंगा । यह प्रश्न काल है अर्थात विशिष्ट रूप से प्रश्नों का समय है; यह समय गैर-सरकारी कार्य के लिये है । जब तक प्रश्न काल समाप्त नहीं होता किसी भी क्षण हम किसी भी प्रश्न पर पुन: चर्चा कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि जिस दिन उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाना हो वे यहीं रहें । जिन मंत्रियों के प्रश्न सभा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं उन्हें अन्त तक यहां बैठना होगा क्योंकि हो सकता है कि बाद में किसी समय उनके मंत्रालयों से सम्बन्धित कोई विषय चर्चा के लिये उठा दिये जावें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली परिवहन सेवा

†*६९०. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों ने ७ जनवरी, १९५६ को प्रदर्शन किया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उनकी काम करने की दशा में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है या करने का विचार किया है?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ ख़ां)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर विवरण रखा जाता है जिसमें उनकी मांगों का ब्यौरा तथा दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी द्वारा मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की चर्चा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २१]**

श्रम पदाधिकारी

†*६९४. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम पदाधिकारियों के स्थानान्तरण और पदोन्नति के लिये मंत्रणा देने के सम्बन्ध में चुने हुए नियोजक मंत्रालयों में से दो प्रस्तावित समितियों की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) अब तक उन्होंने क्या प्रगति की है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २२]**

ऊन

†*६९६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊन में सुधार के लिये तथा उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २३]**

मजूरी आयोग

†*६९७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक मजूरी आयोग स्थापित करने के लिये तब से अब तक क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

भारत-मलाया नौवहन सेवा

†*७०४. **श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलाया के बीच चलने वाले जहाज़ों में यात्रा की स्थितियों और टिकटों की बिक्री में कथित चोर बाज़ारी का सरकार को ज्ञान है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा की स्थितियों में सुधार के लिये और टिकटों की चोर बाज़ारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं और करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या इन सभी जहाज़ों में डैक दर्जा समाप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) भारत-मलाया सेवा के सम्बन्ध में जहाज़ों में भोजन व्यवस्था और टिकटों की बिक्री में चोर बाज़ारी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) इस मार्ग पर चलने वाले एक जहाज़ में विभागीय भोजन व्यवस्था शुरू की गई है और उसका परिणाम देखा जा रहा है । चोर बाज़ारी को रोकने के लिये मनी आर्डर के द्वारा पहले से सीट बुक करने की व्यवस्था शुरू की गई है और इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाहियां सोची जा रही हैं ।

(ग) आजकल इस मार्ग पर चलने वाले जहाज़ों में २५ प्रतिशत 'बंक' की व्यवस्था है । सरकार का यह विचार है कि यथा समय इस मार्ग पर चलने वाले जहाज़ों में १०० प्रतिशत 'बंक' रखे जाने की व्यवस्था हो ।

मीन-क्षेत्र

†*७०५. { **श्री राधा रमण** :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये भारत को नार्वे द्वारा दी जाने वाली सहायता के विस्तार के सम्बन्ध में नार्वे-भारत प्रतिष्ठानों (फ़ाउन्डेशन्स) के बीच कोई करार हुआ है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का किन अधिक अच्छी सुविधाओं के प्रदान करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का कितनी रकम खर्च करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) एक औपचारिक अनुपूरक करार को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) निर्यात और देश की मंडियों के लिये मछली उद्योग की स्थापना की सम्भावना के समन्वेषण के लिये तथा बन्दरगाह में मछली पकड़ने की नौकाओं सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये परि-योजना क्षेत्र में पहले से जो मत्स्य ग्रहण-कार्यवाहियां की जा रही हैं उनका अग्रेतर विस्तार करने का विचार है ।

(ग) इस अवस्था पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का यथार्थतम प्राक्कलन बताना सम्भव नहीं है ।

कैम्बे बन्दरगाह

†*७०६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैम्ब को एक छोटे बन्दरगाह का रूप देने के लिये पुन:निर्माण का कार्य किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). कैम्बे पहले ही एक छोटे बन्दरगाह के रूप में कार्य कर रहा है । राज्य सरकार का कुछ विकास योजनाओं को पूरा करने का विचार है जिन में से एक योजना वर्तमान अवतरणी (जेटी) की मरम्मत, क्रियान्वित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभिरुचि केन्द्र (हाबी सेन्टर)

†*७१०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों में हस्त-श्रम का गौरव बढ़ाने के लिये भारत में अभिरुचि केन्द्र (हाबी सेन्टर) कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कोई कार्यवाहियां की जा रही हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) एक इलाहाबाद में है ।

(ग) जी, नहीं। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इनकी संख्या बढ़ाने के लिये उपबन्ध किया गया है ।

शक्कर के भाव

*३८०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्कर से चीनी बनाने की विभिन्न क्रियाओं पर अलग-अलग कितनी लागत आती है;

(ख) यह अलग-अलग लागत कैसे निश्चित की गयी;

(ग) शक्कर के विक्रय और क्रय के लिये क्या भाव निश्चित किया गया है; और

(घ) बिहार में १९५४ और १९५५ में किन-किन कारखानों में और कितनी-कितनी मात्रा में शक्कर से चीनी बनाई गई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) ७१ रुपये ८ आने और ९१ रुपये ८ आने की कुल लागत का ब्यौरा, जो क्रमशः उत्तर के बंगाल और बिहार के कारखानों और समस्त दक्षिण के कारखानों से लिया गया है, निम्न प्रकार है :

	बंगाल और बिहार के कारखाने रु. आ. पा. (शक्कर का प्रति मन)	दक्षिण भारत के कारखाने रु. आ. पा. (शक्कर का प्रति मन)
१. निर्माण व्यय, पैकिंग को सम्मिलित करते हुए	१–१४–०	२–१०–०
२. अवमूल्यन ब्याज और बीमा	०–६–०	०–६–०
३. शोधन क्रिया में संभावित व्यय	०–६–०	०–६–०
	२–१०–०	३–६–०

अथवा ७१–८–० प्रति टन अथवा ९१–८–० प्रति टन

(ख) चीनी के कारखानों द्वारा प्रदान की गई और सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ।

(ग) शक्कर के विक्रय अथवा क्रय के लिये कोई मूल्य निश्चित नहीं किया गया है, परन्तु सम्बन्धित कारखानों से अत्यधिक उचित मूल्य पर शक्कर खरीदने के लिये कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) संलग्न विवरण में आवश्यक जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

विवेकानन्द रिसर्च इन्स्टीट्यूट

†**३८१. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवेकानन्द रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा उद्भिद्-व्यापारिकी (प्लान्ट फिजियालोजी) कौशिकी (काइटोलॉजी) प्रसंकर मक्का (हाइबिड मेज़) और उद्भिद्-प्रवेशन (प्लान्ट इन्ट्रोडक्शन) पर किये गये गवेषणा कार्य की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ख) गवेषणा के परिणामों का जनता के लाभ के लिये किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा मंजूर की गई गवेषणा योजनाओं के अन्तर्गत विवेकानन्द रिसर्च इन्स्टीट्यूट अल्मोड़ा में निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है :

(१) **उद्भिद् व्यापारिकी (पलांट फिजियालोजी) और कौशिकी (कॉइटोलॉजी)** :
पराग कणों (पौलिन ग्रेन्स) पर कार्य।

(२) **हॉइब्रिड मेज़** :
अग्रिम स्तर (पायलट स्केल) पर प्रसंकर मक्का (हाइब्रिड मेज़) के बीजों का उत्पादन।

(३) **प्लांट इन्ट्रोडक्शन**
बाहर के देशों से उपयोगी पौदों का लाया जाना, उनकी देखभाल, देश के विभिन्न भागों में अनुकूलन के परीक्षण और स्थानीय किस्मों के साथ प्रसंकरण में प्रयोग।

(ख) ये समस्त योजनायें चल रही हैं और गवेषणा के अन्तिम परिणामों की प्रतीक्षा है।

सहकारिता सप्ताह

†**३८२. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नवम्बर, १९५५ में सहकारिता सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में कितना व्यय किया गया था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : भारत सरकार ने नवम्बर, १९५५ में सहकारिता सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में लगभग ७,२०० रुपये व्यय किये।

सहकारी संस्थायें

†**३८३. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी संस्थाओं द्वारा रक्षित बैंक से रियायती दर पर उधार लिये गये धन का अधिक लाभांश और अत्यधिक संस्थापन व्यय के लिये दुरुपयोग किये जाने से रोकने के लिये किस व्यावहारिक प्रतिबन्ध का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) क्या सहकारी संगठनों के पथ प्रदर्शन के लिये ऐसे लाभांश और व्यय का कोई मापदण्ड निश्चित किया गया है?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) जब राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक भारत के रक्षित बैंक सें ऋण सीमाओं के लिये प्रार्थना करते हैं तो उनसे उनके कार्यकरण सम्बन्धी विस्तृत आंकड़े विहित रूप में लाभ और हानि के विवरण और पिछले तीन वर्षों के लिये घोषित लाभांश की दरों को सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है। इन प्रार्थना पत्रों की जांच के दौरान में रक्षित बैंक द्वारा इस पहलू, अर्थात् धन का उचित प्रयोग और व्यय की दरों, पर भी ध्यान रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्षित बैंक धन का अनुचित प्रयोग रोकने के लिये राज्य और केन्द्रीय बैंकों का स्वेच्छापूर्वक निरीक्षण कार्य भी करता है विशेषकर उन बैंकों का जो रियायती ऋण का लाभ उठाते हैं।

(ख) सहकारी संस्थायें सम्बन्धित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के संविहित नियंत्रण के अन्तर्गत हैं और उनका प्रशासन सहकारी समिति अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के द्वारा होता है। लाभांश की अधिकतम दर सम्बन्धी प्रतिबन्ध सामान्यत: प्रत्येक राज्य के अधिनियम और नियमों में दिये हुये हैं। इसी तरह व्यय पर नियंत्रण नियमों, विभागीय हिदायतों और सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा सामयिक लेखा परीक्षण द्वारा किया जाता है।

नलकूप

†३८४. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की होशंगाबाद तहसील में अरई के प्रयोगात्मक नलकूप के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार परियोजना को चालू रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके पूरा करने के लिये अंतिम तिथि क्या है?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) अरई नलकूप परियोजना का खोज कार्य पूरा हो गया है। परिणाम सन्तोषजनक रहा है और एक नलकूप जो ३६,२४० गैलन प्रति घंटा पानी निकाल सकता है और २१ फुट की गहराई से पानी खींच सकता है, तैयार किया जा रहा है। पम्प लगाया जा चुका है। इंजिन के लग जाने के पश्चात्, जोकि आजकल लगाया जा रहा है, यह राज्य सरकार को दे दिया जायेगा।

(ख) हां।

(ग) मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के कार्य के १५ अप्रैल, १९५६ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

बेकारी

†३८५. **श्री करणी सिंहजी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर खंड (राजस्थान) में १९५५ के दौरान में काम दिलाऊ दफ्तर में कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). मांगी गई जानकारी दिखाने वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

रेलवे स्टेशनों का सुधार

†३८६. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित स्टेशनों सम्बन्धी अग्रेतर सुधारों के बारे में निर्णय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वे सुधार कब किये जायेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). इस समय कोई और सुधारों का विचार नहीं है ।

(ग) १९५७-५८ और उसके बाद के वर्षों में किये जाने वाले सुधारों का कार्यक्रम उपभोक्ता सुविधा समिति द्वारा अभी निश्चित किया जाता है ।

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन

†**३८७. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटरासी-जबलपुर खंड (केन्द्रीय रेलवे) के रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनि कटेलीफोन लगाने के बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर और टेलीफोन कब लगाये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). इटारसी, नरसिंहपुर, करेली, गादुरवाड़ा, पिथरिया और मदनमहल रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है, जिसके लिये डाक तथा तार विभाग से १७-२-१९५६ को मांग की गई है । सामान्यतः इस प्रकार के टेलीफोन लगाने में लगभग तीन मास लग जाते हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इटारसी पर विभागीय भोजन-व्यवस्था

†**३८८. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इटारसी जकंशन (मध्य प्रदेश) पर विभागीय भोजन-व्यवस्था करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस तिथि से?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तेज चलने वाली मालगाड़ियां

†**३८९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेलों में तेज़ चलने वाली अतिरिक्त मालगाड़ियाँ चलाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये गाड़ियाँ कब से चलने लगेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय रेलवे पर सिकन्दराबाद से बाडी होकर बम्बई तक एक साप्ताहिक अथवा अर्द्ध साप्ताहिक तेज़ चलने वाली मालगाड़ी, और पूर्वोत्तर रेलवे पर कानपुर से मुजफ्फरपुर तक एक तेज़ मालगाड़ी चलाने की संभावना विचाराधीन है । यह मामला अभी तक अंतिम रूप से तै नहीं हुआ है ।

यायावरों (जिप्सियों) का पुनर्वास

३९०. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १४ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) यायावरों के पुनर्वास के लिये जिस योजना पर विचार किया जा रहा था उस पर क्या कोई अन्तिम निश्चय हो गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो क्या योजना की एक प्रति लोक-सभा के टेबल पर रखी जायगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी अभी नहीं। कुछ राज्यों से योजनायें मिली हैं और उन पर उनके कार्यक्षेत्र तथा वित्तीय सहायता के आधार के सबन्ध में वित्त मंत्रालय तथा योजना कमीशन से सलाह कर विचार किया जा रहा है।

(ख) जो योजनायें अन्तिम रूप से स्वीकृत तथा मंज़ूर की जायेंगी एक विवरण यथासमय सभा की टेबल पर रख दिया जायेगा।

रेलों पर कोयले की चोरी

†३९१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ के दौरान में पकड़े गये कोयले की चोरी के १९२२ मामलों में से कितनों की पुलिस द्वारा जांच की गई है और सुनवाई के लिये उन्हें भेज दिया गया है;

(ख) कितने रेलवे कर्मचारियों पर सन्देह किया गया है और अनुत्तेजन तथा सहयोग के देने के लिये पकड़ा गया है; और

(ग) इस प्रकार के कितने रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १०२४।

(ख) १०३।

(ग) ५०।

सार्वजनिक टेलीफोन

†३८२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को सारन ज़िले के दीघवाड़ा और महाराजगंज उपडाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) दीघवाड़ा के सार्वजनिक टैलीफोन कार्यालय के लिये स्वीकृति मिल गई है। महाराजगंज के प्रस्ताव की जांच हो रही है और यदि इसमें कोई हानि नहीं हुई तो इसकी भी स्वीकृति मिल जायेगी।

(ग) ४०।

सड़क दुर्घटनाएँ

†३९३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ नवम्बर, १९५५ से फरवरी, १९५६ के अंत तक दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३८४।

(ख) ३५।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्रालय

†३९४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में आजकल कितने पदाधिकारी अतिवयस्कता की उम्र से अधिक हैं ; और

(ख) १९५५-५६ के दौरान में कितने पदाधिकारियों को ५५ वर्ष की अवस्था से पूर्व ही अनिवार्य रूप से अवकाश ग्रहण करना पड़ा?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) २१ ।

(ख) एक भी नहीं ।

बेकारी

†३९५. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में बिहार के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने बेकार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: १,२५,५२७ ।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

†३९६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ की अपेक्षा १९५५ में भारत की कोयला खानों में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :

(क)

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या
१९५५	२१३	२७७६
१९५४	२२१	२७४२
१९५३	२५७	२७४१

(ख)

वर्ष	मरने वालों की संख्या	घायलों की संख्या
१९५५	३०५	२८७२
१९५४	३२९	२८६४
१९५३	३३०	२८४२

पश्चिम रेलवे पर पूछताछ क्लर्क

†३९७. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर पूछताछ और सीट सुरक्षित करने के क्लर्कों की संख्या क्या है;.

(ख) इन क्लर्कों को गाड़ियों के कन्डक्टरों के पदों पर पदोन्नति न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य रेलों पर इसी प्रकार रुकावटें हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पूछताछ और सीट सुरक्षित करने वाले क्लर्क १८, पूछताछ क्लर्क २७ ;

(ख) और (ग). सभी रेलों पर टिकट चेक्करों को पदोन्नति देकर कंडक्टर बनाया जाता है, अतः अन्य प्रकार के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर कन्डक्टर नहीं बनाया जाता ।

बिहार में बेकारी

†*३९८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के युवकों की पिछले तीन वर्षों से बेकारी अधिकाधिक बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो (१) शिक्षितों और (२) बिहार के अशिक्षित युवकों में बेकारी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उपयुक्त राज्य में बेकारी बढ़ जाने के कोई विशेष कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). आयु के वर्गों के हिसाब से कोई अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । एक विवरण जिसमें शिक्षित और अन्य आवेदकों जिनका पिछले तीन वर्षों में पंजीयना किया गया और उन्हें स्थान दिया गया तथा उन लोगों की संख्या बताने वाला जो प्रति वर्ष के अन्त में सहायता चाहते हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ग) साधारणतः बेकारी बढ़ जाने का कारण समुचित विकास की कमी है ।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियर

†*३९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लोक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण लेने के लिये विदेशों को भेजे गये इंजीनियर वापस आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त की उसका ब्योरा और प्रशिक्षार्थियों के नाम एवं जिन देशों में वे भेजे गये थे, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर** : (क) विदेशों को भेजे गये लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों में से एक को छोड़कर और सभी वापस आ गये हैं ।

(ख) प्राप्त प्रशिक्षण का ब्योरा और जिन देशों को वे भेजे गये थे, इस प्रकार हैं :

उम्मीदवार का नाम	प्रशिक्षण का ब्योरा	देश
१. मुसद्दी लाल	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	ब्रिटेन और अमरीका
२. वी० राजगोपालन	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और आधुनिक टेक्नीक एवं तरीके	अमरीका
३. महेश चन्द्र	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और आधुनिक टेक्नीक एवं तरीके	अमरीका
४. श्री एन० वी० मोदक	स्वच्छता इंजीनियरिंग	अमरीका
५. डी० ए० नायर (अभी वापस नहीं लौटे)	मलमूत्र का उपयोग करना मकानों में लगाये जाने वाले मलमूत्र संयमों का रूपांकन और निर्माण करना	अमरीका

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विदेश में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के ज्ञान और अनुभव का, उनके वापस आने पर जिन पदों पर उन्हें नियुक्त किया जायेगा, उपयोग किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

४००. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से १९५५ तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रति वर्ष कितने प्रतिनिधि-मंडल भेजे गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :**

वर्ष	भारतीय प्रतिनिधि मंडलों की संख्या
१९५१	१०
१९५२	१०
१९५३	१०
१९५४	११
१९५५	७

चीनी का कारखाना (मैसूर)

†४०१. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कोलार जिले के गोरीविदनूर में एक चीनी का कारखाना खोलने के लिये लगभग एक वर्ष पहले लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर कारखाना खोला गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब का क्या कारण है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) मैसर्ज़ आर० वी० लछमनदास एण्ड सन्स, लखनऊ, को गोरीविदनूर में ६०० टन क्षमता का चीनी का कारखाना लगाने के लिये, २७ जनवरी, १९५५, को इस शर्त पर लाइसेंस दिया गया था कि वे छः महीने के अन्दर परियोजना पूर्ण करने के लिये "प्रभावकारी कार्रवाई" करेंगे और दस महीने के अन्दर अर्थात् २६ नवम्बर, १९५५, तक कारखाना स्थापित कर लेंगे। वे नियत तिथि तक प्रभावकारी कार्रवाई करने में असमर्थ रहे। उन्होंने यह कारण बताया कि उनका यह अनुमान था कि देश में बेकार पड़े हुए एक संयंत्र को उपयोग में लाकर जिसके लिये वे बातचीत कर रहे थे, फैक्टरी स्थापित करने में ४०लाख रुपये का व्यय होगा, इसलिये वे ४० लाख रुपया जुटाने का प्रबंध कर रहे थे । उनको लाइसेंस मिलने के पश्चात, संयंत्र के मालिक ने अधिक मूल्य मांगना आरंभ कर दिया और यह सौदा पूरा न हो सका। इसलिये उन्हें, नवीन संयंत्र खरीदने के लिये अधिक पूंजी का प्रबन्ध करना था । इस के लिये उन्होंने दूसरे छः महीनों तक अर्थात, २७ जनवरी, १९५६ तक प्रभावकारी कारवाई करने के लिये समय बढ़ाने की प्रार्थना की । अतः उन्हें २६ जनवरी, १९५६, तक प्रभावकारी कारवाई करने और २६ नवम्बर, १९५६ तक फैक्टरी स्थापित करने के लिये, समय बढ़ा दिया गया । किन्तु, वे बढ़ाये गये समय के अन्दर भी प्रभावकारी कार-वाई करने में असमर्थ रहे, इसलिये लाइसेंस रद्द करने के लिये कारवाई की जा रही हैं। गोरीबिदनूर में चीनी फैक्टरी स्थापित करने के बारे में बंगलौर की एक फर्म से प्रार्थना पत्र आया है। मैसर्ज़ आर० बी० लछमन दास एण्ड संस के दिये गये लाइसेंस के रद्द हो जाने के पश्चात इस पर विचार किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्लैग स्टेशन

†४०२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अब तक किन-किन स्थानों पर नवीन फ्लैग स्टेशन बनाए गए है;

(ख) नवीन फ्लैग स्टेशनों की स्थापना के लिये कितनी प्रार्थनाएं विलंबित पड़ी हैं; और

(ग) रेलवे ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फ्लैग स्टेशन बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उन स्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण, जहां १९५५-५६ में (३१-१-५६ तक) नवीन फ्लैग स्टेशन या हाल्ट, जो क्रासिंग स्टेशनों से भिन्न हैं, बनाये गये हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) १९६ ।

(ग) नवीन फ्लैग स्टेशन या हाल्ट साधारणतया निम्नलिखित दशाओं में बनाये जाते हैं :

(१) यदि वित्तीय दृष्टि से उनका बनाना उचित हो ।

(२) जब वित्तीय दृष्टि से पूर्ण उचित न हो, किन्तु पर्याप्त रूप में उचित हो, तब खण्ड रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों के परामर्श से पर्याप्त संख्या में यात्रियों को सुविधा देने के लिये ।

टिड्डी रोकथाम केन्द्र

†४०३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में टिड्डी नाशक केन्द्रों पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : १९५५-५६ में हुए व्यय के इस समय वास्तविक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है । केन्द्रीय टिड्डी सूचना संगठन और टिड्डी नाशक सम्बन्धित योजनाओं के लिये १९५५-५६ में २१,१८,५०० रूपये की राशि मंजूर हुई थी, जिसमें से यह अनुमान लगाया जाता है कि चालू वर्ष में लगभग १९ लाख रूपये खर्च किये जायेंगे ।

औषध अधिनियम

†४०४. **श्रीमती जयश्री :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को विदित है कि औषध अधिनियम के पारित होने के पश्चात कितने अभियोग चलाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक-सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†४०५. **श्री हेमराज :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश में १९५५ में काम दिलाऊ दफ्तरों में नौकरी चाहने वाले कितने अभ्यर्थियों ने अपने नाम दर्ज करवाये हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

रेलवे की प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थाएं

†४०६. **श्री वाघमारे :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के मशीनरी सम्बन्धी विभागों के गाड़ी परीक्षक कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने और प्रत्यास्मरण पाठयक्रम के लिये

†मूल अंग्रेजी में

सवारी और माल डिब्बों की शाखाओं में पृथक्-पृथक् रूप से विभिन्न रेलवे खंडों में कुल कितनी प्रविधिक संस्थायें विद्यमान हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : रेलवे के गाड़ी परीक्षक कर्मचारियों को प्रारंभिक और प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिये कोई पृथक् प्रविधिक संस्थाएं नहीं हैं। प्रशिक्षण स्कूलों और ऐसी संस्थाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जहां गाड़ी परीक्षक कर्मचारियों को प्रारम्भिक और प्रत्यास्मरण पाठयक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

चावल और धान

†४०७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन क्षेत्रों में चावल और धान के भाव उचित स्तर से नीचे गिर रहे हैं, वहां उचित दामों पर चावल और धान खरीदने के लिये क्या कार्यवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन दामों पर और किन क्षेत्रों में ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) और (ख). चावल धान के मूल्यों को नीचे न गिरने देने की योजना पहले से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत, जो चालू खरीफ ऋतु के आरम्भ में शुरू की गई थी, सरकार सीधे कृषकों से रेलवे वाले स्थानों पर मोटा चावल, प्रति मन ११ रुपये की दर से खरीदने को तैयार रहती है, यदि मूल्य इन स्तरों से नीचे गिर जाते हैं। यह योजना मनीपुर और त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी राज्यों पर लागू होती है। क्योंकि चावल और धान के मूल्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों से कहीं अधिक हैं, इसलिये इस योजना के अधीन अब तक किसी भी राज्य में धान और चावल नहीं खरीदा गया।

संतरागाची और विष्णुपुर के बीच रेलवे लाइन

†४०८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संतरागाची और विष्णुपुर के बीच नवीन रेलवे लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्थापना के बारे में सरकार ने क्या कोई निर्णय कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १४ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६३१–५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	६३१
६८४	अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास एसोसिएशन	६३२
६८५	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला	६३२–३३
६८६	पर्यटन ...	६३३–३४
६८७	बाढ़ सहायता	६३४–३६
६८९	ब्यास नदी पर पुल	६३६
६९१	कोड़कन तटीय नौवहन	६३६–३७
६९२	कर्मचारी सहकारी ऋण समितियां	६३७–३८
६९३	जहाज़ निर्माण	६३९–४०
६९८	यमुना बाज़ार, दिल्ली	६४०–४१
६९९	खंड सहकारिता पदाधिकारियों का प्रशिक्षण ...	६४१–४२
७००	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	६४२–४४
७०१	मध्य रेलवे में डिवीज़न प्रणाली ...	६४४–४५
७०२	रेलवे का विकास ... ... —	६४५–४६
७०३	त्रिचिनापल्ली रेलवे कर्मचारियों की कैन्टीन	६४६–४७
७०७	गन्ना सम्बन्धी गवेषणा	६४७–४८
७०८	नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन बोर्ड	६४८–४९
७०९	रेलवे दावा आयोग ... ... — ...	६४९–५०
६८३	रेलवे कर्मचारी	६५०–५१
६८८	नौवहन	६५१
६८१	कृषि सम्बन्धी उधार समितियां	६५१–५२
६९५	टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई	६५२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६५२–६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
६९०	दिल्ली परिवहन सेवा	६५२–५३
६९४	श्रम पदाधिकारी	६५३
६९६	ऊन	६५३
६९७	मजूरी आयोग	६५३

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
७०४	भारत-मलाया नौवहन सेवा ...	६५३–५४
७०५	मीन-क्षेत्र ...	६५४
७०६	कैम्बे बन्दरगाह ...	६५४
७१०	अभिरुचि केन्द्र (हाबी सेन्टर)	६५५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३८०	शक्कर के भाव ...	६५५–५६
३८१	विवेकानन्द रिसर्च इन्स्टीट्यूट ...	६५६
३८२	सहकारिता सप्ताह ...	६५६
३८३	सहकारी संस्थाएं ...	६५६–५७
३८४	नलकूप ...	६५७
३८५	बेकारी ...	६५७
३८६	रेलवे स्टेशनों का सुधार	६५७–५८
३८७	रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन	६५८
३८८	इटारसी पर विभागीय भोजन-व्यवस्था	६५८
३८९	तेज़ चलने वाली मालगाड़ियां	६५८
३९०	यायावरों (जिप्सियों) का पुनर्वास	६५८–५९
३९१	रेलों में कोयले की चोरी	६५९
३९२	सार्वजनिक टेलीफोन	६५९
३९३	सड़क दुर्घटनाएं ...	६५९
३९४	स्वास्थ्य मंत्रालय	६६०
३९५	बेकारी	६६०
३९६	कोयला खानों में दुर्घटनाएं	६६०
३९७	पश्चिम रेलवे पर पूछताछ क्लर्क ...	६६०–६१
३९८	बिहार में बेकारी ...	६६१
३९९	लोक स्वास्थ्य इंजीनियर	६६१–६२
४००	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	६६२
४०१	चीनी का कारखाना (मैसूर)	६६२
४०२	फ्लैग स्टेशन	६६३
४०३	टिड्डी रोकथाम केन्द्र	६६३
४०४	औषध अधिनियम	६६३
४०५	काम दिलाऊ दफ्तर	६६३
४०६	रेलवे की प्रविधिक प्रशिक्षण संस्थाएं	६६३–६४
४०७	चावल और धान	६६४
४०८	संतरागाची और विष्णुपुर के बीच रेलवे लाइन	६६४

M19LSD—190—17-5-57-GIPF

बुधवार
14 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

पृष्ठ

अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

दैनिक संक्षेपिका ७२२

अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

दैनिक संक्षेपिका ७७७

अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

दैनिक संक्षेपिका ... ८३९

पृष्ठ

अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६

अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
दैनिक संक्षेपिका ८६४

अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
दैनिक संक्षपिका ६४६

पृष्ठ

अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
विनियोग (रेलवे) विधेयक ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
दैनिक संक्षेपिका १००२–०३

अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
दैनिक संक्षेपिका १०६२–६३

अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
दैनिक संक्षेपिका ... १११२

अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
दैनिक संक्षेपिका ... ११६४

अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न १२०६
दैनिक संक्षेपिका ... १२१४–१५

अंक २६, सोमवार, १६ मार्च, १६५६	**पृष्ठ**
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१२१७–१८
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	१२१८
राज्य-सभा से सन्देश	१२१८
प्राक्कलन समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन ...	१२१८
अनुपस्थिति की अनुमति	१२१६
जीवन-बीमा निगम विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२१६–७०
दैनिक संक्षेपिका ...	१२७१–७२
अंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १६५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़	१२७३
उपाध्यक्ष का निर्वाचन ...	१२७४–७६
विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य	१२७६–८२
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	१२८२
जीवन-बीमा निगम विधेयक	१२८२
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२८२–१३१०
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१३११–३१
दैनिक संक्षेपिका ...	१३३२
अंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १६५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१३३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	१३३३
अनुदानों की मांगें— ...	१३३४–६७
मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ...	१३३४–६७
मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ...	१३३४–६७
मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना	१३३४–६७
मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल	१३३४–६७
मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय	१३३४–६७
मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१३३४–६७
मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ...	१३३४–६७
दैनिक संक्षेपिका ...	१३६८
अंक २६, गुरुवार, २२ मार्च, १६५६	
प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा	१३६६
सभा का कार्य	१३६६–१४००
अनुदानों की मांगें	१४००–६२
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	१४००–६२
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	१४००–६२

	पृष्ठ
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान	१४००–६२
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ...	१४००–६२
मांग संख्या ९—उड्डयन	१४००–६२
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ...	१४००–६२
मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४००–६२
सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन ...	१४६२
दैनिक संक्षेपिका ...	१४६३

अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना	१४६५–६६
अनुदानों की मांगें ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	१४६६–९९
मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	१४६६–९९
मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ...	१४६६–९९
मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय	१४६६–९९
मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१४६६–९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५००
सभा का कार्य ...	१५००
गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ...	१५००
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)	१५०१
समान पारिश्रमिक विधेयक ...	१५०१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक	१५०१
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन)	१५०१
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ...	१५०२
कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०३
विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ...	१५०५–१५
विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०५
दैनिक संक्षेपिका	१५१६

M102LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा

बुधवार, १४ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

[देखिये भाग १]

११.२९ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चौदह बैठकों की कार्यवाहियों के विवरण

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की अभी तक हुई चौदह बैठकों की कार्यवाहियों के विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९५३-५४ और लेखा-परिक्षा प्रतिवेदन १९५५

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन विनियोग लेखे (डाक व तार) १९५३–५४ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—८०/५६**]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रपत्र

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अधीन वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४३२ क, तारीख १८ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित कम्पनी (केन्द्रीय सरकार के) नियम और प्रपत्र की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—८२/५६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा १९ फरवरी, १९५६ को पारित बिक्रीकर विधियां मान्यीकरण विधेयक, १९५६ को राज्य सभा ने १२ मार्च, १९५६ की अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

४६वां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम): नियम २१६ के अधीन मैं पुनर्वास मंत्री का निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाता हूं। और प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :—

"पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास"

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी विषय पर नियम २१६ के अधीन श्री बीरेन दत्त द्वारा दी गई एक सूचना लोक-सभा सचिवालय से ५ मार्च, १९५६ को प्राप्त हुई थी। यह सूचना, त्रिपुरा राज्य में पूर्वी पाकिस्तान से बडी संख्या में प्रव्रजकों के आने और विस्थापित व्यक्तियों की कुछ अन्य व्यथाओं से सम्बन्धित थी। सूचना में भूक हड़ताल की कोई चर्चा नहीं थी।

६ मार्च १९५६ को मेरे साथी श्री अरुण चन्द्र गुह ने मुझे एक तार दिया था जो उन्हें अगरतल्ला की अखिल त्रिपुरा शरणार्थी संघ के मुख्य सचिव से प्राप्त हुआ था। इस तार के अनुसार लगभग एक सौ शरणार्थियों ने २ मार्च से भूक हड़ताल आरम्भ की थी। उसी दिन मुझे श्री बीरेन दत्त से भी इस सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था। क्योंकि हमें कथित भूक हड़ताल के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिये त्रिपुरा सरकार से तथ्यों की सूचना देने के लिये कहा गया।

पिछले वर्ष के दौरान में त्रिपुरा में औसतन १,४०० व्यक्ति प्रतिमास आते रहे हैं और इस वर्ष जनवरी और फरवरी १९५६ में क्रमशः २,३९७ और ५,३४२ नये प्रव्रजक त्रिपुरा में आये। अगरतल्ला चौकी से आने वाले प्रव्रजकों के लिये सीमा पर एक प्रवेशन केन्द्र खोल दिया गया है। धर्मनगर, केलासहर, कमालपुर, खोआई, बेलोनिया और सांबरूम से आने वाले व्यक्तियों को नकद अकर्माधिदेय (डोल) देने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

जहां तक पुराने प्रव्रजकों का सम्बन्ध है, उन में से अधिकतर अपने मित्रों और सम्बन्धियों के साथ रह रहे हैं और कुछ शिविरों में हैं और अकर्माधिदेय (डोल) प्राप्त कर रहे हैं। ६,९०० परिवारों ने ऋणों के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं और उनके प्रार्थनापत्रों की जांच की जा रही है। १८, १९ और २० जनवरी १९५६ को मैं स्वयं त्रिपुरा गया था और मैंने स्वयं विस्थापित व्यक्तियों की परिस्थितियों और विभिन्न पुनर्वास योजनाओं की प्रगति को देखा था। मैंने विस्थापित व्यक्तियों से और उनका

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिनिधान करने वाली संस्थाओं से भेंट की थी और उनकी कठिनाइयों पर बातचीत की थी। मेरी बातचीत से जो विभिन्न सुझाव उत्पन्न हुए उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने सर्वेक्षण कार्य किया है और रैमा सर्मा वादी में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये कुछ योजनायें भी विचाराधीन हैं।

२ मार्च को निहाल चन्द्र नगर के कुछ एक विस्थापित व्यक्तियों ने पुनर्वास निदेशालय के द्वार के सामने धरना दिया और अपनी कई मांगें प्रस्तुत कीं। वहां पर विस्थापित व्यक्तियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ते हुए लगभग एक सौ तक जा पहुंची। ६ तारीख को उन्होंने एक भयंकर रूप धारण कर लिया, उन्होंने मुख्य द्वार से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को रोकना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें धरना समाप्त कर देने के लिये राजी करने का प्रयत्न किया गया। मुख्य आयुक्त ने इस स्थिति पर अच्छी प्रकार विचार किया और उन विस्थापित लोगों को समझाया कि धरना देना और सरकारी कर्मचारियों को रोकना कदापि सहन न किया जायेगा। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उनकी मांगों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जायेगा। तब कहीं ७ मार्च को २-३० बजे को उन्होंने धरना खत्म किया और अपने-अपने घर चले गये।

उन मांगों में से दो तो महत्वपूर्ण हैं, प्रथम तो 'विस्थापित व्यक्ति' की परिभाषा के सम्बन्ध में है और दूसरी उन्हें भी पश्चिमी बंगाल की दरों के अनुसार ही ऋण देने के सम्बन्ध में है। 'विस्थापित व्यक्ति' की परिभाषा में अभी हाल ही में पूर्वी राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों के परामर्श से परिवर्तन किया गया है। हम इसे और अधिक नरम नहीं बनाना चाहते। ऋण देने के सम्बन्ध में, यद्यपि एक उपरि सीमा निर्धारित की गयी है, तो भी दिये जाने वाले ऋण की राशि विस्थापित लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ही दी जाती है। ये ऋण राशि में पुनर्वास आवश्यकताओं के अनुसार ही होती हैं। सार्वजनिक धन को व्यर्थ जाने से रोकने के लिये यह अत्यावश्यक है।

अन्त में मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास तथा कल्याण सम्बन्धी हर प्रकार की सुविधायें देने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण यह समस्या और अधिक कठिन हो रही है और उलझती जा रही है।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

†**खण्ड १ से ३ तक, अनसूची अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा फिर से प्रारम्भ होती है। कुल २४ घण्टे निर्धारित किये गये थे, उन में से ५ घण्टे तथा ५४ मिनट लिये जा चुके हैं। अब १४ घण्टे तथा ६ मिनट बचते हैं।

सेठ गोविन्द दास (मंडला जबलपुर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को उनके इतने सुन्दर बजट पर बधाई देना चाहता हूं। यह बजट यथार्थ में एक विशेषज्ञ का बजट है और थोड़े ही समय में इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण भी मिले हैं। यह बजट भारतवर्ष की मजबूत आर्थिक परिस्थिति का द्योतक है। कर वृद्धि के सम्बन्ध में भी, इस प्रकार की कर वृद्धि नहीं हुई है जिससे सामान्य जनता का बोझ बढ़ा हो और इन थोड़े दिनों में देश के बाजारों की जो स्थिति रही वह इसे प्रमाणित करता है कि समूचे देश में इस बजट का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है।

स्वतन्त्र देश के सभी बजट महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी स्वतन्त्रता के पश्चात् जितने बजट इस सदन में आये उन सब का अपना-अपना महत्व था। परन्तु इस बजट का विशेष महत्व इसलिये है कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है उस योजना का यह पहला बजट है। स्वतन्त्र होने के पश्चात् हम उन्नति के पथ पर ठीक तरह से अग्रसर हो रहे हैं। हम ने अनेक राजनैतिक महत्व के कार्य कर डाले। स्वतन्त्र होने के पश्चात् सब से पहले स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ६०० रियासतों के प्रश्न को हल कर हमारे देश में राजनैतिक एकता की स्थापना की। उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, आम चुनाव हुए बालिग मताधिकार पर, और संसार के अब तक के इतिहास में हम सबसे बड़े प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनैतिक महत्व की बातों को करने के उपरान्त अब हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और इस विषय में हमारा स्पष्ट लक्ष्य है समाजवादी सामाजिक रचना। यदि हम उन देशों को भी देखें जो कि साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार चलते हैं तो भी हमें मालूम होना चाहिये कि भिन्न-भिन्न देशों की साम्यवादी रचना उन देशों की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की है। हम अपने देश में एक विशेष प्रकार की समाजवादी रचना की स्थापना करना चाहते हैं जो समाजवादी रचना हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हो।

पहली योजना में हमने योजना बनाकर कार्य करना आरम्भ किया था। उस समय हमें न तो योजना बना कर काम करने का अनुभव था और न हमने उसके पहले कोई समाजवादी योजना की घोषणा की थी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा अन्तर है। पहला अन्तर तो यह है कि यह दूसरी योजना समाजवादी समाज की रचना को ध्यान में रख कर बनी है। दूसरे यह पहली योजना की उपेक्षा बहुत बड़ी है और तीसरा अन्तर यह है कि यह योजना एक लचीली योजना है। हम हर वर्ष अपने कार्य का अनुभव प्राप्त करते जायेंगे और जैसी-जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनके अनुसार द्वितीय योजना पंचवर्षीय होते हुए भी हर वर्ष उसमें परिवर्तन भी होते जायेंगे। इस सम्बन्ध में जो कल श्री अशोक मेहता ने एक बात कही थी उसको मैं इस देश के लिये एक अभिशाप मानता हूं। उन्होंने कहा था कि योजनाबद्ध कार्य करने के लिये हम को कन्ट्रोल्ज़ (नियन्त्रण) की आवश्यकता होगी। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि योजनाबद्ध कार्य भी हर देश की परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं और कन्ट्रोल्ज़ का हम को जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं वित्त मंत्री जी से जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस अभिशाप को वे फिर से इस देश पर लागू न करें। कीमतों का कन्ट्रोल मेरी समझ में आता है लेकिन वस्तुओं के कन्ट्रोल का जो नतीजा इस देश में निकला था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश में फैला था, उन सब बातों को देखते हुए चाहे कन्ट्रोल साम्यवादी

†मूल अंग्रेजी में

और समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार भी क्यों न हों, उनको लागू करना मैं उचित नहीं मानता। सिद्धान्त मानवों के लिये होते हैं, देश के लिये होते हैं, मानव और देश सिद्धान्तों के लिये नहीं होते। इसलिये जितना भी मुझ में बल है, उस सार बल के साथ मैं कहना चाहता हूं कि श्री अशोक मेहता की कन्ट्रोल की बात को हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार फिर से कभी भी कार्यरूप में परिणत न किया जाये।

उसी के साथ कल श्री एच० एन० मुकर्जी ने एक बात कही मिक्स्ड इकोनोमी (मिश्रित अर्थ-व्यवस्था) के विषय में। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह बजट कुछ राजनीतिक बातों को ध्यान में रख कर और अगले चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके इस कथन पर मुझे तो एक कहावत याद आती है कि सावन के अन्धे को सदा हरा ही हरा सूझा करता है। इस प्रकार का बजट आने पर भी यदि श्री एच० एन० मुकर्जी को उसमें राजनीतिक की गंध आती है और मिक्स्ड इकोनोमी (मिश्रित अर्थ-अव्यवस्था) के सम्बन्ध में वे इस प्रकार की भावना को व्यक्त करते हैं जो उन्होंने की है तो मैं यही कहूंगा कि वे सावन के अन्धे हैं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि हर देश की अपनी-अपनी परिस्थिति होती हैं। साम्यवादी और समाजवादी देशों की रचना को भी हम देखें तो हमें मालूम होगा कि वे भी उन देशों की परिस्थितियों के अनुसार हैं। श्री एच० एन० मुकर्जी साम्यवादी हैं, साम्यवादी दल के उपनेता हैं। क्या वे कभी जो आर्थिक व्यवस्था रूस में है, उसको देखते हैं, चीन में है उसको देखते हैं। चीन में मैं स्वयं गया हूं और मैंने चीन के साम्यवादी ढांचे को देखा है उस देश के एक साम्य-वादी देश होते हुए भी उसी प्रकार की मिक्स्ड इकोनोमी (मिश्रित अर्थ-व्यवस्था) है जिस तरह की हमारे देश में है।

इन योजनाओं के मोटे रूप से दो लक्ष्य होते हैं, एक बौद्धिक निर्माण और दूसरे आर्थिक निर्माण। इन दोनों निर्माणों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। यदि हम इन दोनों निर्माणों की ओर मोटे रूप से देखें तो बौद्धिक निर्माण में हिन्दी सबसे पहले आ जाती है और आर्थिक निर्माण में गाय सबसे पहले आ जाती है। आप कहेंगे कि मैं फिर वही बातें कह रहा हूं जो मैं सदा से कहता रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बात महत्व की होती है वह सदा एक सी होती है। इन दोनों निर्माणों के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु जिस तेजी से हम को बढ़ना चाहिये उस तेजी से हम नहीं बढ़ रहे हैं, जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है शिक्षा मंत्रालय की यह रिपोर्ट मेरे सामने है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि हिन्दी प्रसार और विकास के लिये केन्द्र ने गैर-सरकारी संघटनों को पर्याप्त मात्रा में अनुदान दिये। अब वह पर्याप्त मात्रा कितनी है, वह आप जरा देखिये। इसके लिये ४,८९,८७० रुपये के अनुदान दिये गये हैं। जिन क्षेत्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन क्षेत्रों में क्या चार या पांच लाख प्रति वर्ष का अनुदान हिन्दी प्रचार के लिये यथेष्ट माना जाता है ?

श्री कामत (होशंगाबाद): बहुत कम है।

सेठ गोविन्द दास : यदि इस गति से हिन्दी का अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रसार हुआ तो अगले १० वर्षों में हम हिन्दी को उसका उचित स्थान कदापि नहीं दिला सकेंगे।

जहा तक हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावलि का सम्बन्ध है, एक बात मौलाना आजाद साहब ने मेरे भाषण पर सदन में यह कही थी कि पारिभाषिक शब्दावलि जो अंग्रेजी की है, वह इन्टरनेशनल नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है, इसका मेरे पास क्या प्रमाण है। उस समय तो मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था पर उसके बाद मैं दिल्ली के भिन्न-भिन्न देशों के दूतावासों में गया, उनसे परामर्श किया और आज मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि यदि हम इंग्लैंड और अमेरिका को तथा इंग्लैंड के चार उपनिवेशों को यानी साऊथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो शेष स्थानों में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावलि नहीं है अतः अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावलि को अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक

[सेठ गोविन्द दास]

शब्दावलि नहीं कहा जा सकता । आपको यह बात सुन कर हर्ष होगा कि हमारे पड़ोसी स्याम देश में तो पारिभाषिक शब्दावलि संस्कृत से ली गई है । पारिभाषिक शब्दावलि के सम्बन्ध में जो कुछ शिक्षा मंत्रालय ने किया है वह सन्तोषजनक नहीं है ।

अब तीसरी बात मुझे साहित्य निर्माण के विषय में कहनी है । गत वर्ष के अपने भाषण में मैंने यह कहा था कि जहां आप नहरों के ऊपर, उद्योग धंधों के ऊपर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां साहित्य निर्माण के लिये आपको कम से कम पांच करोड़ रुपया अवश्य खर्च करना चाहिये । यदि इस देश का आप बौद्धिक निर्माण करना चाहते हैं तो बिना इतनी धनराशि के हम हिन्दी में साहित्य को तैयार नहीं कर सकेंगे । और हिन्दी की जो अन्तिम बात मुझे कहनी है वह सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी के चलने के सम्बन्ध में है । यह काम भी बहुत धीमी गति से हो रहा है । मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा मंत्रालय हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहा है, देश में इस विषय में एक मत है कि शिक्षा मंत्रालय हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ कर रहा है वह असंतोषजनक है ।

दूसरी बात मैंने आप से गाय के सम्बन्ध में कही । गाय के ऊपर इस देश का सारा आर्थिक भविष्य निर्भर है । हमारे यहां पर भूमि का जिस प्रकार का वितरण है और भूदान यज्ञ के कारण तथा जमीन का सीलिंग (उच्चतम सीमा) होने के बाद, जिस प्रकार का भूमि का वितरण हो जायेगा उसमें हम ट्रेक्टरों से काम नहीं कर सकेंगे । हमें बैलों की जरूरत होगी और बैल हमको गायों से ही प्राप्त हो सकते हैं । फिर यह देश निरामिष भोजी है । "वसुधैव कुटुम्बकम्" का सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है । ऐसी अवस्था में इस इतने बड़े निरामिष भोजी देश में यदि फिर से मछली खाने का प्रचार किया जाये या मुर्गी खाने का प्रचार किया जाये; या और इस प्रकार के प्रचार किये जायें, और वह भी हमारी स्वतन्त्र भारत की सरकार करे, तो मुझे इस प्रकार के प्रचार से हार्दिक दुःख होता है । अतः हम निरामिष भोजनियों को दूध के लिये, घी के लिये भी गायों की आवश्यकता है ।

जहां तक गोवध बन्दी का सम्बन्ध है, हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं । मेरा विधेयक इस सदन ने तो स्वीकार नहीं किया पर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में गोवध निषेध के विधेयक पास हुए हैं । पंजाब में भी वह होने वाला है । हमारे मध्य प्रदेश में सब से पहले वह विधेयक पास हुआ था लेकिन उसमें बैलों का वध शामिल नहीं था । वह भी किया जाने वाला है ।

लेकिन गोवध के अतिरिक्त जहां तक गोसंवर्धन का सम्बन्ध है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं । सरकार ने निश्चय किया था कि वह १६० गोसदन स्थापित करेगी, लेकिन १६० गोसदनों के स्थान पर केवल २० गोसदन स्थापित किये गये हैं । सरकार ने निश्चय किया था कि १२५ सांड तैयार करने के लिये वह फार्मों की व्यवस्था करेगी । सांडों के तैयार करने के लिये १२५ के स्थान पर एक फार्म की भी स्थापना नहीं की गयी ।

इसके अतिरिक्त चारे की रक्षा और उत्पादन ये दोनों अत्यन्त आवश्यक चीजें हैं । आप रेल से भारत के पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कहीं भी चले जाइये, आपको रेल के दोनों तरफ जंगलों में चारे की इफरात मिलेगी, जो या तो गरमी की गरम हवा में जल जाता है, या बरसात में गल जाता है, या शीत ऋतु में भस्म हो जाता है । अगर उस चारे की हम रक्षा कर सकें, और साथ ही हम चारे का उत्पादन कर सकें तो इस प्रश्न के हल करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । लोग बड़ी भूल करते हैं जब वे यह कहते हैं कि इस देश में आदमियों के लिये तो खाना नहीं है और हम गोवध बन्द करने की बात कहते हैं । यह बहुत बड़ी गलतफहमी है । जो कुछ गायें खाती हैं आदमी वह नहीं खाते । आदमियों का भोजन और गायों का भोजन ये दोनों अलग-अलग हैं । इसलिये अगर हम इस इफरात चारे की रक्षा कर सकें और चारे का उत्पादन बढ़ा सकें, तो हमको गो संवर्धन में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है ।

†**श्री रामानन्द दास** (बैरकपुर) : "मुर्गी" और "मछली" के प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में मुझे शब्दों पर आपत्ति है ।

सेठ गोविन्द दास : अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिये जहां तक हमारे राष्ट्रीय बजट का सम्बन्ध है हमको कुछ बातें सिद्धान्त के बतौर (रूप में) अपने सामने रखनी होंगी । मेरी दृष्टि से इन पंचवर्षीय योजनाओं का और इन बजटों का एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है बौद्धिक योजना और आर्थिक योजना । जैसा अभी मैंने आप से कहा, हम राजनीतिक कार्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं । लेकिन जहां तक बौद्धिक और आर्थिक उत्कर्ष है वहां तक इन दोनों प्रश्नों से हिन्दी और गाय का बहुत बड़ा सम्बन्ध है । मैं ३३ वर्ष से इस सदन में हूं और शायद आगे भी मैं इस सदन में रहूं । जब तक ये प्रश्न हल नहीं होंगे मैं बराबर इनको सरकार के सामने रखता रहूंगा ।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा—दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री के बजट के दोनों भाषण लोक-सभा का भाषण और राज्य सभा का भाषण, गौर से पढ़ गयी । ठीक है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कई बातों में हमें काफी सफलता मिली है । अब हमें उस अनुभव से दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाभ उठाना है । हम देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे में ठीक से नहीं सोचा गया था जिस से हमारे सामने काफी मुश्किलात आयीं । तब भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के विकास में जो काट-छांट की गयी है उसमें बड़ी गलती हुई है ऐसा मुझे अभी भी लगता है । मेरी विनती है कि इसको फिर से सोचा जाय । चाहे और कहीं काट-छांट की जाये पर रेलवे के विकास के लिये पूरे पैसे देने चाहिये । आप स्टील प्लांट (इस्पात का कारखाना) बिठाने की सोच रहे हैं । उसके लिये रेलवे लाइन ले जाने के लिये आपने प्रबन्ध किया है । परन्तु जो माल बनेगा उस माल को उठा कर जहां जरूरत हो वहां अगर नहीं ले जा सकेंगे तो स्टील प्लांट के बिठाने से क्या फायदा होगा । इस तरह से जहां-जहां आपने नई योजनायें बनाने की बात सोची है, नये कारखाने बिठाने की बात सोची है, वहां रेलवे की कमी के कारण असफलता मिलेगी । सरकार के जितने नये कारखाने होंगे और जितनी योजनायें होंगी उनको तो प्रायरिटी (प्राथमिकता) मिलेगी । उसके लिये रेलवे में प्रबन्ध किया जायेगा । और जो प्राइवेट सेक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) है उसको कोई कच्चा माल नहीं मिलेगा, उसके लिये वैगन्स नहीं मिलेंगी और जो बना हुआ माल है उसको उठाने के लिये भी वैगन्स नहीं मिलेंगी । और पीछे प्राइवेट सेक्टर को हम दोष देंगे कि उन्होंने अपना टारजेट (लक्ष्य) ठीक से पूरा नहीं किया । तो यह भी ठीक नहीं होगा ।

मैं देखती हूं कि फेडेरेशन (संधान) के मकान के लिये जमीन दी गयी है । लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि उसको सीमेंट नहीं मिली । उसको सीमेंट देने का प्रबन्ध करने के अलावा कहते क्या हैं कि अगर आप मकान नहीं बनाते हैं तो हमको जमीन वापस दे दो । अगर इस तरह से होगा तो हमको दूसरी पंचवर्षीय योजना में सफलता मिलने में काफी कठिनाइयां होंगी और असफलता भी मिलेगी । इसलिये मेरी अभी भी सरकार से विनती है कि इस पर फिर से सोचना चाहिये और रेलवे के विकास के लिये पूरा पैसा देना चाहिये ।

एक और भी मार्ग है । मैंने सुना है कि आज हमें स्टील (इस्पात) मिल सकती है और उसको हम दस साल, पन्द्रह साल या बीस साल बाद वापस दे सकते हैं । अगर अमरीका रूस या और कोई देश हमको इस प्रकार स्टील दे सके और ऐसा करने में हमको कोई नुक्सान न हो तो इस चीज पर भी हमें सोचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

वित्त मंत्री ने हम को अपने भाषण में बताया है कि जहां तक हो सके वहां तक इकानमी (मित-व्ययता) करने के लिये भी उन्होंने प्रबन्ध किया है । हमको स्वतन्त्रता मिलने के पहले साल सेक्रेटरी (सचिव) थे । चार हजार तनख्वाह पाते थे । यह ठीक है कि अब हमारा काम बढ़ रहा है इसलिये हमको ज्यादा आदमियों की जरूरत है और हमको ज्यादा आदमी रखने होंगे । आई० सी० एस० वालों को हम ने चार हजार रुपया देने की गारंटी दी है । लेकिन आज मैं देखती हूं कि सात के स्थान पर चालीस से अधिक और ५० के नजदीक सेक्रेटेरियों की संख्या पहुंच गयी है और उन में सब तो आई० सी० एस० नहीं हैं । लेकिन इनमें भी कई आदमी ऐसे हैं जिनको चार हजार दिये जाते हैं, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कुछ साल पहले तीन सौ या चार सौ रुपये मिलते थे पर जिनको आज तीन हजार तक मिल रहे हैं और कुछ तो तीन हजार से भी आगे गये हैं और आगे जाने वाले हैं । क्या इस में कमी करने की बात सोची गयी है या एक पर दूसरे का दबाव पड़ रहा है इसलिये तनख्वाह बढ़ायी जाती है और आदमियों को रखा जाता है ।

ऐसा भी मैं ने सुना है कि जिन अफसरों को काफी जांच पड़ताल करने के बाद हटाया गया है, जिनके कि बारे में कमेटी बैठी और उसके बाद उनको उनकी जगहों से हटाया गया है, उनको कोई भी कारण से पब्लिक सर्विस कमीशन (लोक सेवा आयोग) तक न भी गये हों या गये भी हों, इस कारण उन आदमियों को डिसमिस नहीं किया । अब अगर आप यह जो नये कारपोरेशन (निगम) और कारखाने आदि स्थापित कर रहे हैं उन में रखेंगे तो हमें अपने इन नये कामों में सफलता कैसे मिल सकेगी । यह भी सुना जा रहा है कि इस बारे में उन अफसरान को लिये जाने के लिये काफी प्रयत्न हो रहा है और दबाव पड़ रहा है लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि उसको इस विषय में काफी सावधान रहना चाहिये और अगर हमने जरा भी इस विषय में असावधानी बर्ती तो असफलता के अतिरिक्त हमें काफी बदनामी भी उठानी पड़ सकती है ।

वित्त मंत्री महोदय ने राज्य सभा में आम बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए यह भी कहा कि महीन कपड़े पर हम डयूटी इसलिये नहीं डालते हैं क्योंकि महीन कपड़े पर डयूटी डालने से जो महीन कपड़ा पहनने वाले हैं, वे उसके विरुद्ध बहुत ज्यादा शोर मचायेंगे जब कि मोटे कपड़े पर उत्पादन कर लगाने का असर मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा और जिनके लिये कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि वे यह करभार देश के आम हित को देखते हुए बर्दाश्त कर लेंगे । अगर मंत्री महोदय ने यह चीज मजाक में कही हो तब तो यह ठीक है परन्तु उनका यह कहना कि अगर हमने महीन कपड़े पर उत्पादन कर लगाया तो धनी लोग उसके खिलाफ ज्यादा शोर मचायेंगे और उस शोर के डर से दब कर महीन कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि न करना मेरी समझ में यह उचित कार्य नहीं है.....

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैंने राज्य-सभा में ऐसा नहीं कहा ।

श्रीमती मणिबेन पटेल : मैं अभी आप के वहां पर दिये हुए भाषण में से उस वाक्य को पढ़ कर सुनाये देती हूं :

> "माननीय सदस्यों ने जो यह कहा था कि देश, योजना को और आगे बढ़ाने के लिये कुछ और करारोपण सहन करने के लिये तैयार है इससे निश्चय ही यह प्रगट होता है कि जो यहां जनसाधारण के हितों के पोषक हैं, जनसाधारण उनसे कम असन्तोष प्रकट करेगा ।"

इसका मतलब तो यही होता है कि जो सामान्य आदमी हैं, सर्वसाधारण आदमी हैं, वे ज्यादा टैक्स बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं परन्तु मेरा तो यह कहना है कि जो महीन कपड़ा पहनना चाहते हैं वे उसको थोड़े ज्यादा पैसे देकर पहनें, उन में देने की सामर्थ्य है और थोड़ा उत्पादन कर में यदि वृद्धि कर दी जाय तो वे आसानी से दे सकेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वे लोग ज्यादा शिकायत करते हैं ।

†**श्रीमती मणिबेन पटेल :** ठीक है शिकायत ज्यादा करते हैं इसलिये आप उनको रिआयत देते हैं और जिन लोगों की शिकायत आप के कानों तक नहीं पहुंच सकती है, जिनके पास अखबार नहीं हैं और जिनके पास अखबार वाले नहीं जाते हैं, उनका न सोचना और उनका ध्यान न रखना और जिनकी कि शिकायत गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है, उनका ख्याल रखकर महीन कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि न करना, यह ठीक बात नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है । मैं अब भी कहती हूं कि सुपर-फाइन कपड़े पर यदि आप कुछ अतिरिक्त कर भार डालें तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन मोटे कपड़े पर उत्पादन कर में वृद्धि नहीं करनी चाहिये, यह मेरी विनती है और यह मेरी मान्यता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने ऐसा तो नहीं कहा जैसा कि आप समझ रही हैं ।

श्रीमती मणिबेन पटेल : ठीक है शायद आप जितनी अंग्रेजी तो मैं नहीं समझ पाती हूं लेकिन मेरी तुच्छ समझ में मतलब तो उसका वही होता है जो मैंने कहा । आपने इंश्योरेंस (बीमा) को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) किया, ठीक है, आप ने राष्ट्रीयकरण किया, परन्तु एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीयकरण से पहले और आपके द्वारा उसको अपने हाथ में लेने के बाद उनके काम में किसी तरह की प्रगति हुई है या नहीं और उनका काम आगे बढ़ा है कि नहीं, इस कसौटी पर आपको जांचना होगा । मैंने तो सुना है कि एक जगह पर आगे और काम करता था आज वह आदमी दिन भर में कुल तीस चैकों पर दस्तख्त करता है मेरा कहना है कि अगर इसी तरह से राष्ट्रीयकरण का कार्य चला तो राष्ट्रीयकरण से पहले जैसी बीमा कम्पनियों की हालत थी, उससे हम कुछ अच्छी नहीं कर पायेंगे और उनके काम को हम आगे बढ़ा नहीं सकेंगे और इसलिये इसके ऊपर भी आपको काफी सावधानी रखनी होगी और काफी जांच करनी होगी ।

एक बात मैं आप से और कहना चाहती हूं और वह शायद आपको पसन्द भी न आवे । आपके फाइनेंस बिल (वित्त विधेयक) में मैंने देखा कि आपने उसमें इस तरह की चीज डाल दी है जिसके द्वारा आपने इनकमटैक्स आफिसर को १५ साल पहले की बातों के सम्बन्ध में लोगों से पूछने और उनकी छानबीन करने का अधिकार प्रदान किया है जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है । ऐसी बातें लानी हों तो उसके लिये एक अलग बिल लाना चाहिये ताकि सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में उसको ले जाकर उस पर अच्छी तरह से सोच विचार किया जा सकता है । आज हालत तो यह है कि अगर हम सरकार से पूछते हैं कि हमने साल भर हुए आप को एक चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है और हमें बतलाया जाय कि उसके बारे में क्या हुआ तो हम को कहा जाता है कि आप अपनी उस चिटठी की नकल भेजिये तब उस पर आगे कार्यवाही की जायेगी । आज जब सरकारी दफ्तरों में साल पहले की चिट्ठी मिलना भी मुश्किल हो जाता है तो आप लोगों के पास से १५-१५ साल के पुराने हिसाब किताब के कागजात मांगना चाहते हैं । एक लाख रुपये के बारे में जिस पर आप को शक हो उस आदमी से १५ साल का हिसाब मांगा जाय, तो सम्भव है कि उसके लिये लाख रुपये देना तब सम्भव रहा हो लेकिन आज उसके पास न हो और उसमें से कितने ही आदमी अब तक मर भी गये होंगे, तो इस तरह से कितने दिनों तक आप यह रगड़ने की चीज चलायेंगे ? स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जब यहां पर हमारी अन्तरिम सरकार थी और उसमें मुस्लिम लीग के मिस्टर लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, तो वे यह इनवैस्टिगेशन कमीशन (जांच आयोग) लाये थे और उसके कारण कैबिनेट में भी काफी हल्ला हुआ था और पार्टी में भी काफी हल्ला हुआ था और तब उसके लिये एक अवधि निर्धारित की गई थी कि इतने साल के लिये यह कमिशन रखा जायगा और लोगों ने सोचा था कि चलो कुछ दिन बाद यह कमीशन हट जायेगा लेकिन हम ने देखा कि उस इनवेस्टिगेशन कमिशन की अवधि बढ़ती चली गई और हमने देखा कि आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट में उसको अवैध ठहराया गया और उसको गलत बतलाया

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

गया तो उसके तत्व को फाइनेंस बिल में इस तरह से डाला जाना ठीक और उचित नहीं है । आप इस तरह की चीज फाइनेंस बिल में डाल कर कितने ही लोगों को तकलीफ देंगे और उनको परेशान करेंगे । मैं इस चीज को अस्वीकार नहीं करती कि आप ने काफी ऐसे अफसरान को पनिश (दण्ड) भी किया जिन्होंने कि इनकमटैक्स सम्बन्धी कर्त्तव्य को ठीक तरह नहीं निभाया लेकिन आप को यह भी समझना चाहिये कि काफी लोगों को उससे तकलीफ होती है क्या इनकमटैक्स आफिसर सब साहुकार और जिसके यहां इन्कमटैक्स के लिये जाता है वे सब चोर हैं, मैं समझती हूं कि इस निगाह ने देखना ठीक नहीं है । यह भी देखने में आया है कि लोग किसी प्राइवेट (निजी) रंज की वजह से बिना बात के बेनामी चिट्ठी किसी शख्स के खिलाफ इनकमटैक्स के विभाग में डाल देते हैं लेकिन बाद में जांच करने पर मालूम होता हैं कि उस चिट्ठी में कोई सच्चाई नहीं है तो मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कितने आदमियों को आपने प्रासिक्यूट (अभियोग चलाना) किया है जिन्होंने कि आप को गलत खबरें दीं ? मेरे पास कितने ही लोग आते हैं और बतलाते हैं कि वे किस तरह से परेशान किये जाते हैं और मैं उनसे यह कह देती हूं कि मैं किसी व्यक्तिगत केस को लेकर किसी मिनिस्टर के पास नहीं जाती हूं परन्तु मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि इसके बारे में काफी लोगों को तकलीफ होती है, मैं बड़े-बड़े आदमियों की बात नहीं करती, छोटे-छोटे आदमियों को इसके कारण कितनी तकलीफ पहुंचती है वह शायद आपको मालूम नहीं है । आप तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है ।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहती हूं और वह यह है कि हमारे देश में जो विदेशी आते हैं और काफी तादाद में आते हैं और आ रहे हैं, उन सब को हमारे पहाड़ों पर चढ़ने का एक शौक सा हो गया है आगे तो इस तरह हमारे पहाड़ों पर घूमने के लिये आते नहीं थे तो यह सब लोग क्या पहाड़ों पर चढ़ने और घूमने के शौकीन हैं और इसी कारण वे पहाड़ों पर जाते हैं या उसके पीछे कोई और कारण है और हमें इस विषय में सावधानी बर्तनी है और यह देखना है कि क्या वह घूमने के बहाने हमारे पहाड़ों की तस्वीरें नहीं खींचते, नकशे नहीं बना जाते, और विदेशों में तो नहीं ले जाते और कहीं ऐसा न हो कि दस, पन्द्रह वर्ष बाद हमारे सामने कोई आश्चर्यजनक घटना घटे मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस विषय में सावधान रहें ।

हम यहां बहुत जल्दी-जल्दी कानून बनाते हैं । उनके बारे में कोई हाई कोर्ट जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है । उनमें गल्तियां निकलती हैं और बार-बार संसद् को बुला कर हमें उन में सुधार करना पड़ता है । यह बात अच्छी नहीं है । जब भी किसी बिल को संसद् में लाना हो तो उस पर पहले से विचार हो जाना चाहिये और खूब सोच समझ कर तब फिर उसको यहां पर लाना चाहिये । आजकल यह होता है कि संसद के बुलाने के बाद जल्दी-जल्दी में बिल बनाये जाते हैं जिसके कारण उनमें बहुत गल्तियां रह जाती हैं और फिर बार-बार उनमें सुधार के लिये आना पड़ता है ।

इसके बाद मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जो पुराने रूल्स (नियम) हैं उनकी ओर भी आपको देखना चाहिये और जिन-जिन रूल्स को तब्दील करने की जरूरत हो, उनको तब्दील करना चाहिये । एक अजीब सा रूल है जिसके ऊपर मैं आप का ध्यान खींचना चाहती हूं । वह यह है कि अगर किसी भी आई० सी० एस० अफसर की छुट्टी छः महीने से अधिक जमा हो गई हो और वह छः महीने से अधिक देश में रहता है तो उसको बाकी छुट्टी के समय में केवल ७५० रुपये मासिक मिल सकते हैं, परन्तु अगर वह परदेश जाये, यहां से विलायत जाय, तो पूरी तनख्वाह मिलेगी । जब यहां पर पुरानी सरकार थी अंग्रेजों की तब तो उनके लिये यह ठीक हो सकता था क्योंकि उनका उद्देश्य यह था कि वह लोग अपने देश को खूब रुपये ले कर जायें, यहां पड़े रह कर मौज न करें । लेकिन अब जब कि हम स्वतन्त्र हैं और अपने देश के कामों के लिये पाई-पाई बचाना चाहते हैं, एक-एक पाई की हम को

जरूरत है, तो इस प्रकार के कानून का रखना मेरी राय में ठीक नहीं है । इस प्रकार के जितने कानून हों, उनको देख कर, परिवर्तन करना चाहिये । जितने भी इस तरह के रूल्स हों उन में योग्य तब्दीली कर देनी चाहिये ।

निष्णात के नाम पर, एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) के नाम पर, हमारे यहां जो लोग बाहर से आते हैं उन के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं । जिनको यहां निष्णात कहा जाता है वह अपने देश में कभी-कभी कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रखते हैं । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे देश में ऐसे लोग नहीं हैं ? जिन देशों से वे लोग आते हैं, जिन देशों से हम मदद लेते हैं, वे लोग अपने देश का अनएम्प्लायमेंट (बेरोजगारी) कुछ साल्व (हल) करने के लिये हमारे यहां भेजते हैं । मुझे इस तरह के दो तीन प्रसंग मालूम हैं जिनमें इसी तरह से जो निष्णात नहीं थे आये हैं । हो सकता है अपना टर्म (अवधि) खत्म करके अब वह चले गये हों, लेकिन जो इस प्रकार के लोग आये थे, उनमें कोई खास बात नहीं थी । यहां पड़े-पड़े खाते थे, मौज और आराम करते थे । क्या उनकी तरह के आदमी हमारे यहा नहीं मिल सकते ? लेकिन हम उन को नहीं लेते हैं । क्या हमारे यहां डाक्टर नहीं हैं जो काम चला सकें ? लेकिन हम डाक्टर वहां से मंगाते हैं । यह ठीक नहीं है । मैंने यह केवल एक उदाहरण दिया है । लेकिन हम को सोचना चाहिये कि क्या हमारे यहां इस तरह के लोग नहीं मिल सकते हैं । जब हम स्वतन्त्र नहीं थे उस वक्त जितनी संख्या ऐसे लोगों की हमारे यहां थी, हमें सोचना चाहिये कि आज उस से बढ़ी है या कम हुई है । हम लोगों को आप लोगों को बताना चाहिये कि क्या स्थिति है, अगर आज उनकी संख्या बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है ?

मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गरीबों के पास से, सर्व-साधारण के पास से, जो देश का प्रेमी है, उस के पास से आप स्माल सेविंग्स (लघु बचत) में पैसा लेना चाहते हैं ताकि किसी न किसी सरकारी काम में उस पैसे को लगा सकें । क्या आपको मालूम है या क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने मिनिस्ट्रियों के चन्दे हैं, उनमें से कितनों के हिस्से और बीमे फारेन (विदेशी) कम्पनियों के फारेन बैंक में रखे हैं । मैंने एक जगह पूछा कि फारेन बैंक में रुपया क्यों रखा गया तो जवाब मिला कि फारेन बैंक में इन्टरेस्ट (ब्याज) ज्यादा मिलता है । तो क्या देश के लोगों को इन्टरेस्ट ज्यादा नहीं चाहिये ? जब लोगों को आप कहते हैं कि सरकारी, प्रामिसरी नोट में या स्माल सेविंग्स में पैसा लगाया जाय तो उनको ज्यादा ब्याज नहीं चाहिये ? सरकार को इस बात को सोचना और सब डिपार्टमेंटस (विभागों) के कर्मचारियों को इस बात की सूचना देनी चाहिये कि वह परदेशी बैंकों या बीमा कम्पनियों में अपना पैसा न लगायें । चन्दे की रकम न रखी जाय ।

मैं एक बात पूछना, जानना चाहती हूं मेसेन्जर सिस्टम की बात चली थी । उस का क्या हुआ ? कोई भी नया विभाग खुलता है, कोई भी नया मिनिस्टर बनता है तो पहली बात यह होती है कि चपरासी चाहिये । यहां पर एक अजीब तरीका है किसी भी चपरासी से कोई बात कहो तो वह कहता है कि यह मेरा काम नहीं है । यहां तो खैर, जो चपरासी हैं उनको मालूम है कि ५०० आदमियों का काम करना है लेकिन आमतौर से यही बात उनके सम्बन्ध में है । इस तरह से तो होते-होते हमारी आधी दिल्ली चपरासियों से ही भर जायेगी । जितने भी कर्मचारी बढ़ेंगे, जितनी आप सेक्रेटरियों, ज्वायेंट सेक्रेटरियों और डिप्टी सेक्रेटरियों की संख्या बढ़ायेंगे उतना काम में विलम्ब होगा क्योंकि एक-एक अफसर के टेबल पर कम से कम एक-एक दिन तो फाइल पड़ी ही रहेगी । इसलिये हमारा कहना यह है कि आप आदमी भले ही कम लीजिये, लेकिन अच्छे लीजिये और उनसे पूरा काम लीजिये और उनको पूरी तनख्वाह दीजिये । अगर आप ज्यादा आदमी रखेंगे तो पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और काम में विलम्ब भी होगा ।

जो दफ्तरों में चाय और काफी मिलने का तरीका है वह बिल्कुल बन्द होना चाहिये । जब कभी किसी दफ्तर में जायें तो देखते हैं कि कहीं चाय चल रही है और कहीं काफी चल रही है । अगर सारा

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

दिन इसी तरह से चलता रहे तो सरकार का काम किस तरह हो । मेरी विनती है कि जिस तरह से बिजिनेस कंसर्न्स (व्यापार संस्था) में काम होता है उसी तरह से दफ्तरों में भी होना चाहिये और यह चाय, काफी का मिलना दफ्तर में बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये ।

मेरी एक यह भी विनती है कि अब मंत्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी यहां एक दो घण्टे के बाद हाउस के अन्दर एक दो मिनिस्टर से अधिक नहीं दिखाई पड़ते हैं । जब यहां पर मिनिस्टर्स इस प्रकार से करें तो हमारे दिल में भी आता है कि हम भी यहां क्यों बैठें । पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था कि इस तरह से गवर्नमेंट बेन्चेज खाली दिखाई पड़ें । इस सम्बन्ध में भी आप लोगों को सोच कर कुछ अच्छे ट्रैडिशन्स (परम्परा) बनाने चाहिये । कम से कम दस पन्द्रह की संख्या में जैसा भी आप मुनासिब समझें मंत्रियों को यहां पर रहना ही चाहिये ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस के लिये धन्यवाद ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : सर्वप्रथम मैं लोक-सभा सचिवालय द्वारा किये गये महान् तथा सुन्दर कार्य की प्रशंसा करना चाहता हूं । हमने देखा है कि यह सचिवालय पिछले चार वर्षों से कितनी सुन्दर प्रकार से कार्य कर रहा है तथा संसद् सदस्यों के प्रति उदारता दिखा रहा है ।

इस आय-व्ययक में लोक-सभा सचिवालय का विस्तार करने के लिये एक विशेष उपबन्ध रखा गया है, इसीलिये इस सचिवालय के सम्बन्ध में मैं कुछ एक बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनकी ओर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है ।

मैं अनुभव करता हूं कि पुस्तकालय के प्रबन्ध में कुछ कमी है । उसमें अधिक प्रवीण कर्मचारियों तथा अधिक सुन्दर पुस्तकों की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त बहुत से संसद सदस्यों की यह शिकायत है कि अधिकतर प्रश्नों को या तो अगृहीत कर दिया जाता है अथवा उन्हें तोड़-मोड़ दिया जाता है । अतः इसके सम्बन्ध में हमें अच्छी प्रकार से सोच विचार करना होगा तथा प्रश्नों को गृहीत करने तथा उनके उत्तर देने के बारे में कोई नियमित उपाय अपनाना ही होगा ।

जहां तक सरकार की अधिक से अधिक मंत्री नियुक्त करने की नीति का सम्बन्ध है, मैं कुछ बातों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हाल ही में समाचारपत्रों में यह समाचार निकला है कि शिक्षा मंत्रालय के एक सचिव को मंत्री बना देने के उद्देश्य से सचिव के पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा गया है । मैं आश्चर्य चकित हूं कि सरकार इतने प्रवीण सचिवों को मंत्री बनाने का प्रलोभन क्यों दे रही है । इससे तो सभी सचिवालयों के सचिवों में पारस्परिक होड़ सी लग जायेगी । अतः इस प्रकार की प्रणाली को एक दम समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

प्रति वर्ष दो पृथक्-पृथक आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि पृथक्-पृथक् रूप से दो आय-व्ययक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है । रेलवे आय-व्ययक के पृथक् प्रस्तुत होने के कारण अन्य विभागों में काम करने वाले लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय के साथ पक्षपात किया जा रहा है । यदि रेलवे के लिये एक पृथक् आय-व्ययक तैयार किया जा सकता है तो अन्य मंत्रालयों के लिये क्यों न किया जाये ? अन्य मंत्रालय भी उतने ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है जितना कि रेलवे मंत्रालय । इसी लिये मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या पर अच्छी प्रकार से विचार किया जाये । अंग्रेजों के शासन काल में तो रेलवे के लिये अलग-अलग आय-व्ययक इसलिये तैयार किया जाता था कि उस समय रेलें पृथक् समवायों द्वारा चलायी जाती थीं। परन्तु अब तो रेलें पूर्णरूपेण सरकार के नियन्त्रण में हैं । अतः कोई कारण नहीं कि इसके आय-व्ययक को आज भी पृथक् रूप में प्रस्तुत किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस आय-व्ययक में बहुत से कर लगाये जाने के सुझाव दिये गये हैं। इनमें से विशेष कर डीजिल तेल पर लगाये जाने वाले कर के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि इससे कृषकों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिससे इस दिशा में प्रगति रुक जायेगी, तथा उत्पादन बहुत कम हो जायेगा। इसलिये वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर एक बार फिर विचार करें।

निर्गन्ध तेलों पर लगाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में भी मेरा यही कथन है कि इस कर का उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे लगभग १,२०० कारखानों और उन में काम करने वाले लगभग ४५,००० लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। इस कर से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिस से वस्तुओं की कीमत बढ़ जायेगी, और उससे उन वस्तुओं की बिक्री कम हो जायेगी, जिससे वनस्पति तेल का उद्योग बन्द हो जायेगा। दक्षिण भारत में वनस्पति तेल के बहुत से समवाय पहले ही घाटे में चल रहे हैं क्योंकि उत्पादन-लागत बहुत ज्यादा है। अब इन तेलों पर और अधिक कर बढ़ा देने से तो वे बिल्कुल ही बन्द हो जायेंगे। अतः यदि सरकार यह चाहती है कि ये समवाय सुचारु रूप से काम करते रहें तो उन पर और अधिक कर लादने ठीक नहीं हैं। यदि उन समवायों को अधिक से अधिक करों के बोझ से लाद दिया गया तो वे सभी समवाय शीघ्र ही बन्द हो जायेंगे।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार ने नमक पर आयात तथा उत्पादन शुल्क लगाने का अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया है। मैं बार-बार यह कह चुका हूं कि नमक पर कर लगाने से देश को महान् आर्थिक लाभ होगा। हाल ही में संसद द्वारा पारित किये गये एक अधिनियम के द्वारा एक उपकर लगाया गया था परन्तु उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा-मध्य) : कर जांच आयोग ने इस उपकर की पुनः सिफारिश नहीं की है।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** : हम हमेशा किसी न किसी आयोग की आड़ लेकर निर्णयों को रद्द कर देते हैं। हम जानते हैं कि एक पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में आयोग नियुक्त किया गया था उसका प्रतिवेदन मिले, मैं समझता हूं, एक वर्ष हो गया है। परन्तु आज तक उस प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं कराया गया है। मैं गृह-मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इसे प्रकाशित कराने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है? मेरा अनुमान है कि उस प्रतिवेदन में पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षा सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की सुविधायें देने के बारे में सिफारिशें की गयी होंगी, परन्तु उस प्रतिवेदन के अभाव में हम नहीं समझ सकते कि पिछड़े हुए वर्गों की क्या स्थिति है और सरकार उनके सम्बन्ध में क्या सोच रही है।

हम अन्य देशों से तो ऋण प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु हमने स्वयं जो धन अन्य देशों को ऋण के रूप में दिया था वह अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान से हमें ३०० करोड़ रुपया लेना है। उस रुपये को वापिस लेने के लिये हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? बर्मा से धन वापस लेने के लिये गत वर्ष यह प्रबन्ध किया कि धन के बदले वहां से चावल ले लिया जायें। गत वर्ष बर्मा से कुछ चावल लिया भी गया था। परन्तु वह चावल शायद ठीक नहीं था और इसके अलावा वह ४५ रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया था जब कि हमारा अपना ही देश विदेशों को ३० रुपये प्रति टन के हिसाब से चावल निर्यात कर रहा था। तो इस प्रकार से एक बड़ा ही अद्भुत सा व्यापार किया गया था। मुझे आशा है कि सरकार भविष्य में इस प्रकार का कोई व्यापार न करेगी।

लघु-बचत योजना के सम्बन्ध में एक अत्यन्त आकर्षक चित्र खींचा गया है। इसके सम्बन्ध में बड़ा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और बैंकों तथा बीमा समवायों पर इस बात का बल दिया जा रहा है कि वे इस निधि में पूरा योग दें। इस प्रकार से ये लघु-बचत राशियां वास्तव में बड़े-बड़े बैंकों तथा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम चन्द्र रेड्डी]

बीमा समवायों से ही आ रही है न कि छोटे लोगों से। बड़े-बड़े धनवान तो इस में बहुत कम योग दे रहे हैं क्योंकि वे तो इनमें से किसी भी समवाय को केवल व्याज की प्रत्याभूति दे देते हैं। यदि इस प्रकार से लघु-बचत निधि एकत्रित की जानी है तब तो वित्त मंत्री से मेरी यही प्रार्थना है कि वह इस मामले पर एक बार फिर विचार करें और स्थानीय लोगों पर पदाधिकारियों द्वारा डाले जा रहे इस जोर को रोका जाये।

मद्य-निषेध के सम्बन्ध में सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि वे इसके सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र एक कठोर नीति को लागू करें। परन्तु उसके लिये कुछ एक राज्य सम्भवत: अभी तैयार नहीं है ? क्यों कि उत्पादन शुल्क के बिना उनके लिये अपने आय-व्ययक को पूरा करना बड़ा कठिन है। राज्य सरकारें पहले सी केंद्रीय सरकार के सामने घाटे की अर्थ-व्यवस्था कर रही हैं। यदि केंद्र की तथा राज्यों की आर्थिक-अवस्था इस प्रकार की है तो मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मन्त्रिमण्डल पर इस बात पर जोर दें कि इस मद्य-निषेध की नीति पर फिर से विचार किया जाये और उसके लिये राज्यों को बाध्य न किया जाये !

अन्त में मैं वित्त मंत्री से पुन: प्रार्थना करता हूं कि वह पाकिस्तान द्वारा लिये ऋण का पूरा चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अब जान बूझ कर शरारत कर रहा है और इसका कारण केवल यह है कि हमने शांति तथा अहिंसा की नीति को अपनाया है।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर): वार्षिक बजट हमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने तथा यह देखने के लिये कि देश ने कितनी उन्नति की है एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

किन्तु यह शिकायत की गई है कि हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री नहीं दी गई है। मैं भी इस बात से सहमत हूं। यहां तक कि सामूहिक परियोजनाओं तथा पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो सामग्री दी गई है वह भी एक वर्ष पुरानी है। सरकार को हमें अधिक तथा व्यापक सामग्री देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में एक और सुझाव भी दिया गया है कि वित्तीय बजट के साथ-साथ देश का एक आर्थिक बजट भी पेश किया जाना चाहिये। यद्यपि इस में कई कठिनाइयां हैं, फिर भी मुझे आशा है देश की विभिन्न सांख्यकी संस्थाओं की सहायता से सरकार एक ऐसा व्यापक बजट भी पेश करने का प्रयत्न किया करेगी जिस में देश के विभिन्न भागों की आर्थिक प्रगति का विस्तृत विवरण रहा करेगा। अभी हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। किन्तु यह तो कुल देश के सम्बन्ध में है। हमें यह कैसे पता लगे कि विभिन्न भागों में कितनी उन्नति हुई है। अत: इस प्रकार का बजट और भी आवश्यक हो जाता है। हमें चाहिये कि देश को उपयुक्त आर्थिक भागों में बांट लें और प्रति वर्ष उन भागों की प्रगति का स्पष्ट ब्यौरा भी इस बजट के साथ संसद् में रखा जाय।

वित्त मंत्री ने कई और कर लगाये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इन अतिरिक्त करों की ३५ करोड़ रुपये की राशि में से केवल १० करोड़ रुपया ही सीधे करों द्वारा प्राप्त किया जायेगा। तब भी कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जो ६ प्रतिशत से उपर वाले लाभांशों के लिये कर लगाया गया है उसके सम्बन्ध में लोगों ने एक अजीब धारणा बना ली है। वे समझ रहे हैं कि सरकार ने यह कर इसलिये लगाया है कि आगे जब कभी वह उद्योगों आदि का राष्ट्रीयकरण करेगी तो उसे प्रति कर के रूप में अधिक रुपया न देना पड़े। मेरे विचार में सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं। किन्तु फिर भी म अनुरोध करता हूं कि सरकार को शीघ्र ही अपनी उद्योग नीति को स्पष्ट कर देना चाहिये।

अब मैं वित्त मंत्री का ध्यान कृषि पदार्थों की शीघ्रता से बदलती हुई कीमतों की ओर दिलाना चाहता हूं। हम यह नहीं चाहते कि सामाजिक जीवन को कुछ कठोर सीमाओं में बांध दिया जाय परन्तु फिर भी कृषि वस्तुओं की कीमतें इतनी शीघ्रता से नहीं बदलनी चाहियें। इससे कृषकों का आत्मविश्वास डिग जाता है। सरकार को इनकी कीमतों में स्थिरता लाने के लिये एक व्यापक नीति अपनानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस प्रकार का आर्थिक चित्र आज हमारे सामने वित्त मंत्री ने रखा है इस में कई ओर से दबाव पड़ सकते हैं और इस प्रकार मुद्रास्फीति का भय हो सकता है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में सतर्क रहने के लिये अपने कई अस्त्रों का वर्णन किया है। मुझे आशा है वह उसे काबू में रखने में अवश्य ही सफल होंगे। कई लोगों ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था की बड़ी आलोचना की है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह व्यवस्था तभी आप्रत्यक्ष करों का रूप ग्रहण कर सकती है जब कीमतें काबू से बाहर हो जायें। किन्तु अब जैसा कि हमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया के समय-समय पर निकलने वाले करेन्सी के विवरणों से पता चलता है मुद्रा स्फीति निरन्तर बढ़ती जा रही है और इधर कीमतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अतः वित्त मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि जब सामान्य जनता यह आशा करती हो कि कीमतें बढ़ने वाली हैं तो वे बढ़ ही जाती हैं। उधर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ८०० करोड़ रुपये की पूर्ति का प्रश्न उत्पन्न होगा। कहीं ऐसा न हो कि इन दो बातों से हमारी आशायें प्रतिफलित न हो सकें।

अब मैं सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में बनाये जा रहे उद्योगों की ओर आता हूं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी उद्योग नहीं है जैसे हैदराबाद। अभी-अभी देश में एक उर्वरक कारखाना और एक बिजली के उपकरणों का कारखाना खोलने की बात चली थी। उर्वरक का तो नहीं किन्तु बिजली-उपरकणों का कारखाना हैदराबाद में खोला जा सकता है। वहां पर कारखाना बनाने के लिये बिजली भी उपलब्ध हो सकती है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ २४७ पर विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋणों का उल्लेख किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्यों को विकास कार्यों के लिये बड़े-बड़े ऋण दिये गये हैं। किन्तु हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि इन ऋणों का उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है, विभिन्न राज्य इन से कहां तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा पाये हैं आदि। वित्त मंत्री ने इन के व्यय के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सुझाव रखा है। मेरा सुझाव है कि इस समिति को यह जांच करनी चाहिये कि इन ऋणों से विभिन्न राज्यों का राजस्व कहां तक बढ़ा है और वे अब इसे ब्याज सहित केन्द्र को लौटाने के कहां तक समर्थ हो गये हैं।

†**श्री सी० डी० पांडे** (जिला नैनीताल व जिला अल्मोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली उत्तर): मैं वित्त मंत्री की हमारी वित्तीय स्थिति को दृढ़ बनाने के लिये प्रशंसा करता हूं और विशेषकर जब कि उन्होंने ४४० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था करके यह सब कार्य किया है। किन्तु फिर भी वर्तमान बजट में उनकी इस कुशलता की कोई छाप नहीं पड़ी दीखती है। पिछले वर्ष उन्हों ने १७ करोड़ का घाटा दिखाया था किन्तु बाद में अब वह १२ करोड़ रुपये के आधिक्य में बदल गया है। इसका अर्थ है २९ करोड़ रुपये का अन्तर! यह बजट बनाने का कोई चतुर ढंग नहीं है। इस प्रकार का बजट तो हर कोई बना सकता है। बजट का उद्देश्य होता है, कि हम अपने सामने आने वाली समस्याओं को देखें तथा उनके निदान का हल सोचें। आज हमारे सामने सब से बड़ी समस्या बेकारी की है। आज पढ़े लिखे लोग दर-दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। लोक कल्याण राज्य में यह बात कहां तक ठीक है! हमने इस समस्या को छूआ तक नहीं है।

फिर हमने निर्गन्ध तेलों आदि पर नये कर लगा दिये हैं। अधिकतर गरीब इन्हीं पर पलते हैं। इससे राज्य को कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है किन्तु उनकी कठिनाई बढ़ गयी है। आपने इस वर्ष भी बजट में घाटा दिखाया है। पिछले वर्ष की भांति यह भी अन्त में आधिक्य में बदल जायेगा। फिर ये नये टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता थी। हमारी अर्थ-व्यवस्था पहले ही इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि उस पर अब कोई और कर नहीं लगाये जा सकते हैं। पिछले वर्ष आपने यही कहा था। परन्तु इस वर्ष फिर और कर लगा दिये हैं। उधर रेलवे ने कोई ११ करोड़ रुपये के कर बढ़ा दिये हैं। फिर राज्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० पांडे]

सरकारें भी कुछ न कुछ कर लगाती रहती हैं। इस प्रकार सब मिला कर हमारे लोगों पर प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये का टैक्स बढ़ता रहता है। भला लोग इसे कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं।

इसके इलावा हमारी सरकार ने मकानों की समस्या का भी कोई हल नहीं किया है। विशेषकर दिल्ली में जो व्यक्ति १२० रुपये की नौकरी करता है उसे ४० रुपये अथवा उससे भी अधिक मकान के किराये के लिये देने पड़ते हैं। इससे आप के दफ्तरों में काम करने वाले लोगों में बड़ा रोष छाया हुआ है।

फिर यह करों की मात्रा इतनी दु:खदायी नहीं जितनी कि आपकी कर लगाने की विधि दु:खदायी है। वित्त विधेयक केवल नये करों तथा करों की राशियों से ही सम्बन्धित होता है किन्तु आपने उसके द्वारा सम्पूर्ण आय कर अधिनियम का ढांचा ही बदल दिया है। किसी विधि को बदलने का यह बड़ा अप्रजातान्त्रिक ढंग है। वित्त विधेयक के द्वारा आप किसी विधेयक में सारभूत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपने आय कर अधिकारियों को घरों की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया है ताकि वे यह देख सकें कि घर के किसी कोने में कोई आभूषण अथवा हिसाब की किताब आदि तो नहीं छिपा रखी है। इससे अधिकारियों को लोगों की इज्ज़त पर हाथ डालने का अवसर मिल जायेगा। इस कार्य के लिये आपको कोई अन्य शिष्ट ढंग निकालना चाहिये।

फिर आपने पुराने लेखों को दुबारा खुलवाने की बात कही है। इस में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि कितने वर्षों तक के पुराने लेखे खुलवाये जा सकते हैं। लोग सैंकड़ों वर्ष तक तो ऐसा नहीं कर सकते कि वह पुराने लेखे रखते रहें। सामान्यता युद्ध के दिनों में यह सीमा आठ वर्ष तक की थी। अत: सरकार को अब यह सीमा चार वर्ष तक की निश्चित कर देनी चाहिये। यदि इसमें कोई अपवाद की आवश्यकता पड़े तो सरकार ऐसे अपवाद रख सकती है।

जब यह कहा गया कि ऐसे लेखे केवल उन लोगों को रखने होंगे जिनकी आय १ लाख रुपये से अधिक हो तो मैंने यह समझा कि यह केवल चन्द ही लोगों पर लागू होगा। किन्तु वित्त विधेयक में यह लिखा हुआ है कि "इस के पश्चात् की आठ वर्ष की सारी अवधि में कुल मिला कर"। इसका यह अर्थ हुआ कि नौ वर्ष तक। अब यदि किसी व्यक्ति की आय ११,००० रुपये प्रति वर्ष हुई तो उसे भी यह लेखा रखना पड़ेगा। यदि ऐसी बात है तो बड़ी अन्धाधुन्धी मच सकती है क्योंकि इस प्रकार के हम आप जैसे हजारों लोग हो सकते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार से कर लगाने के ढंग में अवश्य ही संशोधन करें।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : हमारी योजना पर ५,००० करोड़ रुपये की वृहत राशि खर्च होने जा रही है और इसलिये यह अत्यावश्यक है कि हम जो रुपया खर्च करें उसके बारे में बहुत सतर्क रहें। कर जांच समिति 'ने कहा है कि भारत में लोकहित के कामों पर अधिकाधिक खर्चा हो रहा है, किन्तु नहीं कहा जा सकता कि मितव्ययता तथा कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई है।

हमारा देश गरीब है और हमें देखना है कि हमारी एक पाई भी बर्बाद न हो। इस सम्बन्ध में मैं गत कुछ वर्षों के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों से उदाहरण दूंगा। समिति के सन् १९५५ के प्रतिवेदन से पता चलता है कि एक मामले में सैनिक मोटर गाड़ियां ख़रीदने में हमने ७ करोड़ रुपये खर्च किये और बाद में पाया गया कि ये गाड़ियां फालतू थी। एक दूसरे मामले में २५ लाख रुपये का बेकार माल खरीदा। सन् १९५४ के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि एक टैंकर को खरीदने में २५,००० डालर अधिक दिये गये। सन् १९५१ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि जापानी कपड़े के आयात तथा विक्रय में सरकार को ५५ लाख रुपये का नुकसान हुआ। पन्द्रहवें प्रतिवेदन से पता चलता है कि लन्दन में हमारे उच्चायुक्त ने कार्यालय के लिये अतिरिक्त स्थान बनवाने के लिये १७,००० पौंड, जो जमीन के मूल्य का १०

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत था, पेशगी दिया जो बाद में जब्त हो गया क्योंकि सौलिसिटर द्वारा ठेका समय पर पूरा नहीं किया जा सका। नवें प्रतिवेदन में बतलाया गया है कि इंग्लैंड में जीपों के एक ठेके तथा सैनिक सामान के अन्य दो ठेकों में सरकार ने बिना न्यायोचित कारण के दलालों को नियुक्त किया जिस के फलस्वरूप सरकार को बड़ी हानि हुई। सन् १९५१ के असैनिक लेखा प्रतिवेदन में बताया गया है कि फालतू अमरीकी ट्यूब और टायरों के लिये कलकत्ते के मेसर्स विजय कारपोरेशन के साथ किये गये ठेके की शर्तों को पूरा न करने के कारण सरकार को १७,६४,३३५ रु० की हानि हुई।

कल मैं 'विजिल' के नवीनतम अंक में पढ़ रहा था कि दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष श्री पी० एस० राव को निगम पर खर्चे में मितव्ययता लाने के लिये नियुक्त किया गया। वह कश्मीर, वालटेयर, पुरी, मैसूर और मद्रास घूमे और एक वर्ष का उनका यात्रा भत्ता ९८,००० आया। एक और अन्य पदाधिकारी का एक वर्ष का यात्रा भत्ता ८८,००० रु० था।

ये केवल थोड़े से उदाहरण हैं कि रुपया किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। हम गरीबों पर इसलिये कर नहीं लगाते कि वह रुपया बर्बाद किया जाय। वित्त मंत्रालय को सब जगह पूरी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं है कि खर्चे में खर्चे की मितव्ययता तथा कार्य कुशलता में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह बहुत आवश्यक है कि हम सावधान रहें कि हमारा रुपया बर्बाद न हो और इसके लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों को उचित दण्ड दिया जाय। एक-एक पाई का उपयोग जनता के कल्याण के लिये होना चाहिये।

कल श्री एस० के० पाटिल ने सुझाव दिया कि छोटी बचत योजना के सम्बन्ध में एक नये मंत्री की नियुक्ति की जाये। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाये जाने से कोई लाभ नहीं होता। जिन मंत्रियों के पास काम अपेक्षाकृत कम है उनमें से किसी को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

आजकल हम लोगों में पहाड़ों पर सम्मेलनों की बैठकें करने की आदत पड़ गयी है। जब अंग्रेज यहां पर थे तो हम इस बारे में उनकी कटु आलोचना किया करते थे। लेकिन अब हम सम्मेलनों की बैठकों में बड़ा रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि रुपया खर्च करने के मामले में बहुत सावधानी से काम ले। जब दिल्ली में वायु-अनुकूलन का प्रबन्ध है तब ये सब सम्मेलन यहां ही किये जा सकते हैं।

लगभग एक वर्ष हुये मैंने राष्ट्रपति को भेंट किये गये हाथी के लिये अस्तबल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा की थी। प्रधान मंत्री जी ने मुझ से कहा कि समाजवादी देशों में भी ठाठ-बाट और शान-शौकत होती है। लेकिन वे समाजवादी देश गांधी जी का अनुसरण नहीं करते। वे चरखे में विश्वास नहीं करते। वे खादी में विश्वास नहीं करते। उनके आदर्श हमारे आदर्शों से सर्वथा भिन्न हैं। हमें अपने देश की गरीबी की ओर भी देखना चाहिये।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि हम अभी प्रत्येक नागरिक के लिये भोजन, मकान और चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं कर सकते, तो हमें कम से कम भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये पीने के शुद्ध जल का प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये। इस काम के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो समस्त देश में इस बारे में सर्वेक्षण करे और एक योजना प्रस्तुत करे जिस के अन्तर्गत प्रत्येक गांव को कम से कम आधे मील के फासले के अन्दर कुंए या तालाब के द्वारा पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके। इसमें कुछ व्यय होगा, किन्तु यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां, विशेषकर गर्मी में, केवल गंदा पानी ही उपलब्ध होता है और वह भी गांव से कुछ मील दूर पर। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस सुझाव पर विचार करे और देखे कि यह क्रियान्वित किया जा सकता है या नहीं।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : मुझे प्रसन्नता है कि बजट का इस वर्ष का व्याख्यात्मक ज्ञापन गत वर्ष के अपेक्षा अधिक व्यौरेवार है क्योंकि बजट के मदों को समझने में इससे बहुत सहायता मिलती है। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। मैं देखता हूं कि ज्ञापन में ऐसी बहुत सी सारणियां हैं जिनमें गत वर्ष का वास्तविक व्यय नहीं दिया गया है। इसलिये वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आगामी वर्ष से ज्ञापन में पहले के वर्ष के सभी मदों के वास्तविक व्यय के आंकड़े भी दिये जायें जिससे कि इस बात का अधिक स्पष्ट ज्ञान हो सके कि जो राशि बजट में उपबन्धित थी वह खर्च की गयी है या नहीं। पूंजी संवितरण की जो लम्बी सारिणी ज्ञापन में दी गयी है उसके साथ पूर्व वर्ष का वास्तविक व्यय भी दिया गया है किन्तु पृष्ठ ७७ पर औद्योगिक परियोजनाओं के संवितरण की एक सारिणी है जिसमें पूर्व वर्ष के वास्तविक व्यय नहीं दिये गये हैं। मेरा सुझाव है वहां यह चीज वर्णित होनी चाहिये। इससे बजट का समझना अधिक आसान हो जायेगा।

पृष्ठ ७३ पर "पूंजी संवितरण" शीर्षक के अन्तर्गत एक मद है "दिल्ली में नई राजधानी" मैं इस मद का अर्थ जानना चाहता हूं विशेषा कर जब कि दिल्ली में पहले ही कई वर्षों से राजधानी विद्यमान है।

"औद्योगिक परियोजनायें" शीर्षक के सम्बन्ध में कल श्री सोमानी ने कहा था कि इस क्षेत्र में सरकार ने मूलतः आयोजित राशि का केवल ६० प्रतिशत खर्च किया है। आंकड़ों से मैं देखता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं में उससे भी कम व्यय किया गया है। हिन्दुस्तान स्टील में ५ करोड़ रुपये कम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड में २० लाख रुपये कम, नेशनल इन्स्ट्रमेंट फेक्टरी में १८ लाख रुपया कम, हिन्दुस्तान केबिल्स में ४ लाख रुपये कम और बिजली का भारी सामान बनाने सम्बन्धी परियोजना में १३ लाख रुपये कम खर्च हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि उपरोक्त कम व्यय मित-व्ययता के कारण होता। परन्तु तथ्य यह है कि जितनी राशियों का बजट में उपबन्ध किया गया था सरकार उतना उपयोग नहीं कर सकी है। यह कहा जा सकता है कि सरकार उद्योग के क्षेत्र में नई-नई आई है, इसलिये अनुभव की कमी के कारण सम्पूर्ण राशि खर्च नहीं की जा सकी। यदि ऐसा होता तो भी मुझे अधिक शिकायत नहीं होती। किन्तु जब मैं राजस्व लेखे में देखता हूं तो पाता हूं कि एक के बाद एक मद पर बजट में उपबन्धित राशि से कम खर्चा हुआ है। और इसके कारण भी ऐसे दिये जाते हैं जो हमारी आगामी पंचवर्षीय योजना के लिये सहायक नहीं प्रतीत होते।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये कारण दिया गया है कि कुछ स्थानों के रिक्त रहने के कारण यह राशि बच गयी। शिक्षा मंत्रालय में, पूरी राशि इसलिये नहीं खर्च हुई कि युनेस्को सहयोग कार्यालय की स्थापना नहीं हो सकी। पुनरीक्षित प्राक्कलन में कमी का मुख्य कारण है गैर-विश्वविद्यालय संस्थाओं को वैज्ञानिक तथा टेक्निकल गवेषणाओं के लिये ४० लाख रुपये कम अनुदान का दिया जाना। आदिम जाति क्षेत्रों के अन्तर्गत, बचत का मुख्य कारण आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर रुपया कम खर्च किया जाना है। इसी प्रकार बुनियादी माध्यमिक तथा सामाजिक शिक्षा पर अपेक्षा से कम राशि व्यय की गयी है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की बचत मीन क्षेत्र पदाधिकारियों के कुछ स्थानों के रिक्त रहने के कारण है। मैं इसी प्रकार के और उदाहरण देकर सदन को थकाना नहीं चाहता। श्री पांडे ने बेकारी की समस्या का जिक्र किया। यहां ऐसे मामले हैं कि संसद ने रुपया मंजूर किया किन्तु उसे खर्च स्थानों को भरने के लिये खर्च नहीं किया गया।

ज्ञापन में केवल खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत मैंने एक छोटा सा मद देखा जहां यह दिखाया गया है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि का कारण आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण स्कीम के लागू करने से काम बढ़ने के कारण सचिवालय में वृद्धि होना है। यहां एक बड़ी अजीब परिस्थिति है। हम विभिन्न मंत्रालयों में आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण चाहते हैं जिससे कि संसद द्वारा स्वीकृत राशि को व्यवहृत

†मूल अंग्रेजी में

करने में कोई बाधा उपस्थित न हो तथा योजनायें तेजी से आगे बढ़ें। किन्तु यदि यह सिफारिश क्रियान्वित की जाती है तो खर्चा बढ़ जाता है। मेरा ख्याल था कि आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली से न केवल काम की प्रगति में तेजी आयेगी तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी अपितु कुछ मितव्ययता भी होगी। कम से कम वित्तीय मंत्रालय के खर्चे में तो बराबर की कमी होनी चाहिये जब कि आंतरिक वित्तीय स्कीम में वहां के कुछ पदाधिकारी दूसरे मंत्रालय में चले जाते हैं।

मैं इन्दौर में लघु उद्योग बोर्ड की एक बैठक में शामिल हुआ था। राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने लघु उद्योगों को उधार देने के लिये तीन करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। किन्तु उस बैठक में मालूम हुआ कि इस में से केवल ८८ लाख रुपये दिये गये अर्थात् ३० प्रतिशत से भी कम। इसी प्रकार लघु उद्योगों के एक संस्था की स्थापना के लिये स्वीकृत राशि में से केवल ८ प्रतिशत व्यय हुआ। हमारी प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार की है। यदि हमने इसे नहीं सुधारा तो मैं नहीं समझता कि आगामी पंचवर्षीय योजना में हम क्या आशा कर सकते हैं। मैं इस बात पर इस लिये इतना जोर दे रहा हूं कि एक तरफ हम संसद में बैठ कर करदाताओं को अधिक भार सहन करने को कहते हैं, और दूसरी ओर उन मदों पर रुपया खर्च नहीं होता जो सबसे लाभदायक हैं और जो अवश्य कार्यान्वित किये जाने चाहिये।

देश में इस समय इस्पयात की कमी है। इसकी आवश्यकता जो अब तक २० लाख टन थी, बढ़ कर ३६ लाख टन हो गयी है। और योजना काल के अन्त तक ५० लाख हो जायेगी। यही चीज सीमेंट के बारे में है। सरकार इनका उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रही है, किन्तु यह काम रातोंरात नहीं किया जा सकता।

किन्तु इससे अधिक चिन्ता है मुझे लघु उद्योगों के सम्बन्ध में तथा अनेक उपभोक्ता उद्योगों के सम्बन्ध में जिन का उत्पादन हम बहुत शीघ्र बढ़ा सकते हैं। यदि इन कमियों का उपाय हमने अभी से नहीं सोचा तो निकट भविष्य में ही हमें मुद्रास्फीति की स्थिति का सामना करना पड़ जायगा।

यदि मुद्रास्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो यह तीन चीजों में होगी खाद्यान्न, कपड़ा तथा इमारती सामान। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यथा सम्भव सब कुछ किया जा रहा है। किन्तु कपड़े के लिये हम क्या कर रहे हैं? मैं अम्बर चर्खा के विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि अम्बर चर्खा से वह सारा सूत पैदा करें। किन्तु साथ साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि यह सूत उचित मूल्य पर बिके। मुझे आशा है कि सदन इसके लिये पर्याप्त राशि का साहाय्य स्वीकृत कर लेगा। लेकिन महज इसलिये कि हमारे पास अम्बर चर्खा है, हमें उस क्षेत्र में तो उत्पादन नहीं बन्द कर देना चाहिये जहां कि उत्पादन किया जा सकता है। इससे मुद्रास्फीति के रोकने में सहायता ही मिलेगी।

एक चीज जो हमारे गांवों के लिये आवश्यक है और जिस पर वे लोग कपड़े के बाद खर्च करते हैं वह हैं इमारती सामान। जब भी वे लोग पैसा बचा पाते हैं वे उसे छोटा सा मकान बनाने में व्यय करना चाहते हैं। हमें अपने सीमेंट उद्योग में अवश्य वृद्धि करनी चाहिये, किन्तु इमारती सामान के मामले में एक रुकावट है और वह है निम्न कोटि के कोयले को ईंट के भट्टों के लिये भेज देना। मैं समझता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता कोयला खदानों से कोयला निकालने में दी जानी चाहिये जिससे कि जब भी हमारे ग्रामीणजन कुछ रुपया बचा पायें तो वह उसे छोटे मकानों के निर्माण में लगा सकें।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा–पूर्व) : मैं केवल भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक प्रस्तावों में भाग 'ग' राज्यों की धनराशि बढ़ा दी है। मनीपुर की धनराशि में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। त्रिपुरा की धनराशि में लगभग ४८ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। मुझे इसकी प्रसन्नता है परन्तु साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल धन बढ़ाने से ही राज्य की जनता का कोई लाभ नहीं होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इसको किस प्रकार से व्यय किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दसरथ देव]

त्रिपुरा में अब तक कोई प्रशासनिक सुधार नहीं किया गया है। जनता के लोकतन्त्र के इच्छुक होने पर भी मुख्यायुक्त का प्रशासन ही वहां पर है। दोनों राज्यों में कोई भी व्यक्ति इस प्रशासनिक पद्धति को नहीं चाहता है। अब सरकार समाजवादी ढंग का समाज बनाने जा रही है और इससे सुधार अवश्य होगा। परन्तु प्रशासन में जनता के भाग लिये बिना पूर्णतः सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिये मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह धन के आवण्टन के साथ साथ, मंत्रि मंडल में प्रशासन के परिवर्तन को रखें जिस से धन का सदुपयोग हो सके।

विकास कार्यक्रमों में वहां की जनता ने सर्वदा सरकार की सहायता का प्रयत्न किया परन्तु वहाँ की सरकार जनता के सुझावों को एक दम मानने को तैयार नहीं है।

त्रिपुरा के आय कर पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शिकायतें हैं तथा भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें आय-कर आयुक्त श्री वी० एन० हून और मंत्री महोदय से की गई थी परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रथम पंच वर्षीय योजना में कोई प्रशासनिक सुधार नहीं किया गया है।

कोई भूमि सुधार भी नहीं किया गया है। महाराजा के समय का काश्तकारी अधिनियम भी नहीं बदला गया है। अगरताला की नगरपालिका का कार्य भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यह जनता के अधिकारों पर नियन्त्रण है। सभा को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि दंडाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। परिवहन में, आसान अगरताला मार्ग बन जाने से अवश्य कुछ सुधार हुआ है परन्तु इतना धन व्यय होने पर भी यह सड़क सभी ऋतुओं के काम नहीं आ सकती है।

त्रिपुरा के निवासी अधिकतर कृषक हैं परन्तु इनकी दशा दो तीन वर्ष से कृषि उत्पाद के मूल्य कम हो जाने से बड़ी खराब हो गई है। त्रिपुरा के निवासी नियमित रूप से यह मांग कर रहे हैं कि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। सर्वेक्षण के लिये कुछ धन स्वीकार किया गया था परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार कई बार आश्वासन दे चुकी है कि सुखसागर, राजनगर, हरीजला में जमीनों को आबाद किया जायेगा परन्तु यह कार्य भी अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष जनता को कठिनाई होती है परन्तु बांध नहीं बनाये गये हैं।

सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में गत दो वर्ष से कुछ नहीं किया गया है। प्रारम्भ में कुछ नल कूप लगाये गये, स्कूल खोले गये परन्तु उनमें से अधिकतर बेकार पड़े हैं। परियोजना क्षेत्रों में सरकार जनता की सहायता नहीं लेती है। ठेकेदारों से सड़कें बनवाई जाती हैं और सहकारी समितियों को यह कार्य नहीं दिया जाता। जिससे बहुत ही खराब काम होता है क्योंकि ठेकेदार काम में उतना ध्यान नहीं देते जितना पदाधिकारियों को प्रसन्न करने की ओर देते हैं। यह भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये अन्यथा जो धन दिया जाता है। उससे जनता का कोई लाभ नहीं होगा।

विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको पुनर्वासित नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार आदि के कई मामले हैं जो कि अभी न्यायालयों के समक्ष लम्बित पड़े हैं।

अब मैं आदिम जाति के सम्बन्ध में कुछ बताता हूं। इनको सरकारी सहायता नहीं मिलती है। इनकी शिक्षा, भूमि आदि की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गत वर्ष इनके पुनर्वास के लिये लगभग ७ लाख रुपया स्वीकार किया गया था जिसको पूर्णतः व्यय नहीं किया गया। त्रिपुरा सरकार को हजारों याचिकायें भेजी गईं परन्तु केवल तीन अथवा चार परिवारों को पुनर्वासित किया गया।

इसके पश्चात् एक और कठिनाई यह है कि याचिका लेने का कार्यालय एक अगरतल्ला में ही है और झूमिया पुनर्वास की याचिकायें देने अगरतल्ला आना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूं कि सरकार के विभिन्न स्थानों पर ये कार्यालय खोले जायें।

मैं त्रिपुरा के वर्तमान प्रशासन की धांधली का एक और उद्धाहरण देता हूँ। केन्द्र में आवास ऋण की व्यवस्था थी और मैंने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे जिनका उत्तर माननीय मंत्री ने दिया कि त्रिपुरा सरकार ने कोई योजना ही इस सम्बन्ध में नहीं भेजी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रथमतः त्रिपुरा तथा मनीपुर राज्यों में लोकतंत्रीय प्रशासन शीघ्रातिशीघ्र स्थापित होना चाहिये। दूसरे मुख्यायुक्त तथा उनके परामर्शदाताओं का शासन समाप्त कर देना चाहिये। तीसरे त्रिपुरा तथा मनीपुर के अलग-अलग राज्य रखने चाहिये। चौथे अगरताला नगरपालिका का प्रबन्ध निर्वाचित संस्था को सौंप देना चाहिये। पांचवें त्रिपुरा में निर्वाचित पंचायतों की व्यवस्था कर देनी चाहिये। छठे, एक अलग आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना होनी चाहिये। सातवें एक परामर्शदात्री समिति बननी चाहिये जिससे समुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार ब्लाक के कार्य में शीघ्रता की जा सके। कृषि के सम्बन्ध में एक ग्राम्य ऋण बैंक की शाखा त्रिपुरा में स्थापित होनी चाहिये तथा कृषकों को कम सूद पर उधार मिलना चाहिये। दूसरे प्रत्येक मौज़े में एक-एक गोदाम बनाये जाने चाहिये। तीसरे बहु-प्रयोजनीय सहकारी समिति बननी चाहिये। चौथे त्रिपुरा का पुराना काश्तकारी अधिनियम संशोधित होना चाहिये। तथा पांचवें जंगलात अधिनियम में सुधार होना चाहिये।

आदिम जाति के पुनर्वास के लिये 'खास' भूमि का रक्षण हो जाना चाहिये। दूसरे, 'झूमिया' पुनर्वास के लिये प्रति परिवार को ५०० रुपये देना बहुत कम है। तीसरे सरकारी सेवाओं में, आदिम जाति के लिये स्थान रक्षण होना चाहिये। चौथे, आदिम जाति को हथियार रखने की अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिये जिससे वह वन पशुओं से अपनी रक्षा कर सकें। पांचवें, आदिम जाति की समस्याओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभिन्न आदिम जाति वर्गों का परामर्श लेना चाहिये।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो ऋण दिये जाते हैं वह पश्चिमी बंगाल में दिये जाने वाले ऋणों के बराबर हों। जोतने के समय यह ऋण मिलना चाहिये। प्रत्येक परिवार को भूमि का आवण्टन उचित रूप से होना चाहिये। विवाद ग्रस्त भूमि पर पुनर्वासित नहीं करना चाहिये। पुनर्वास के काम में सरकार को शरणार्थी संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सुझावों का विचार करे।

†**श्री रामानन्द दास :** मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि सरकार ने इम्पीरियल बैंक और बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें देश की सभी मूल और आधार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

मुझे बड़ा दुख है कि वित्त मंत्री ने कपड़ा, साबुन और वनस्पति तेल आदि पर कुछ नये कर लगा दिये हैं इससे गरीबों को बड़ी कठिनाई हो जायेगी। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इन करों को हटा दें और इनके स्थान पर देश के अभी तक प्रयोग में न लाये गये संसाधनों को ढूंढने का प्रयास करे। देश के लगभग ५० प्रतिशत व्यापारी आय-कर बचा जाते हैं। कलकत्ता में १,००० से अधिक चीनी व्यापारी हैं जिनका बड़ा अच्छा व्यापार है। वे बिल्कुल कर नहीं देते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के कुछ मुसलमान चमड़े और खालों का बड़ा अच्छा व्यापार कर रहे हैं। वे भी कर नहीं देते हैं। वे लोग क्रमशः अपना हिसाब चीनी भाषा और उर्दू में रखते हैं। उनको कोई नहीं पढ़ सकता है अतः वे कर रहे बच जाते हैं। इसी प्रकार मारवाडी भी अपनी भाषा में लेखा रख कर आय-कर का अपवचन कर रहे हैं। यदि आप ठीक ढंग से कर वसूल करें तो आप को ऐसे ही स्रोतों से २०० करोड़ रुपया प्राप्त हो सकता है और फिर आपको इन चीजों पर और कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

सरकार ने बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। अनेक विभागों में करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है फिर भी दिन प्रति दिन बेकारी बढ़ती ही जा रही है। आबादी बढ़ती जा रही है अतः बेकारी भी बढ़ती जा रही है। आपकी परिवार नियोजन की अपील भी स्वस्थ्य मंत्रालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामानन्द दास]

की आक्षमता के कारण असफल रही। जब तक आप कुटीर उद्योगों का पुनरोद्धार नहीं करते हैं तब तक बेकारी की समस्या हल नहीं की जा सकती है। सरकार ने केवल खादी और हथ करघा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके उसका कुछ उद्धार किया है किन्तु अन्य उद्योगों के लिये उसने कुछ नहीं किया है। इन ग्राम उद्योगों को दी गई राशियां वैसे ही व्ययगत हो गई हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह शीघ्र ही इनको आर्थिक सहायता तथा विपणन सुविधायें देकर इनका उद्धार करने का प्रयत्न करे।

हमने जिमींदारी तो समाप्त कर दी है किन्तु अभी तक भूमि जोतने वाले को नहीं मिली है वह केवल बड़े-बड़े कृषकों को ही मिली है। भूमिहीन श्रमिक लगभग उनके दास से बन गये हैं। मैं सरकार को अपील करता हूं कि वह भूमि का राष्ट्रीकरण कर दे और उन्हें निर्धन खेतिहरों में बांट दे। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक गांव उजड़ते रहेंगे और बेकारी बढ़ती रहेगी।

हमारे देश में गांवों मैं मकानों की अवस्था भी बड़ी खराब है। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को बड़ी-बड़ी रकमें दी हैं किन्तु उन्होंने इसका कुछ भी उपयोग नहीं किया है। राजधानी के आस-पास के गांवों की ही अवस्था देखिये। दिल्ली में ४ लाख मजदूरों के पास रहने की कोई जगह नहीं है। वे लोग पटरियों पर सोते रहते हैं। सरकार को उनके लिये एक कमरे वाले ५०,००० मकान बनवाने चाहियें और ग्रामीण आवासों की दशा को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये ?

अब भी हमारे देश में वेतनों में बड़ा अन्तर है। स्वतन्त्रता से पहले मंत्री को ६,६०० रुपये मासिक वेतन मिलता था किन्तु अब उसमें से ४,००० रुपये घटा दिये गये और उसे केवल २,२५० रुपये मासिक वेतन मिलता है। किन्तु उनके साथ कार्य करने वाले सचिवों को कुछ भी नहीं किया गया है। कई सचिव तथा पदाधिकारी ४,००० रुपये से ५,००० रुपये तक वेतन पाते हैं। वे मन्त्रियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : माननीय सदस्य ने यह सूचना कहां से प्राप्त की है ?

†**श्री रामानन्द दास** : यह बिल्कुल सही सूचना है। आपका सचिव आपसे अधिक वेतन लेता है अतः वह आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं करता है।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : निस्संदेह। यह सही बात है।

†**श्री रामानन्द दास** : अब चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की ओर आता हूं। उनको ६० रुपये से ८० रुपये मासिक तक मिलते हैं। आप भला बताइये यह कैसा समाजवादी ढंग का समाज है ? देश में किसी व्यक्ति को १०० रुपये से कम और २,००० रुपये से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। कम से कम किसी व्यक्ति को मंत्री से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। फिर एक बी० ए० पास क्लर्क को १२० रुपये मासिक वेतन मिलता है और एक अन्डरग्रेजुएट अधिकारी को १,५०० अथवा ३,००० रुपये। फलतः ये क्लर्क दिल लगा कर काम नहीं करते हैं। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी यही विकृत भेद-भाव है। मैं अपील करता हूं कि सरकार एक वेतन आयोग नियुक्त करे, जो दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों का वेतन निश्चित करे। अन्यथा देश में सदा हड़तालें होती रहेंगी और असन्तोष फैला रहेगा।

विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में लगभग ३० लाख शरणार्थी आ चुके हैं। किन्तु उनमें से केवल ५० प्रतिशत लोगों को ही बसाया जा सका है। बाकी अभी तक कलकत्ता के बाजारों और उसके पास गांवों में वैसे ही आपदाओं का शिकार होकर मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार को उन्हें बसाने के लिये और अधिक प्रयत्न करना चाहिये तथा रुपया देना चाहिये क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल सरकार की अर्थ-व्यवस्था पर पहले ही काफी दबाव पड़ रहा है। प्रति दिन शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है किन्तु फिर भी हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार की अभी तक पूजा ही कर रही है। वे प्रति दिन हम पर हमले करते जा रहे हैं। हम फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन ३० लाख लोगों को बसाने के लिये पाकिस्तान से सीमान्त के ६ जिलों की मांग करे। अगर वह न दें तो सरकार मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाये और यदि यह भी सम्भव न हो तो हमें पाकिस्तान से सब सम्बन्ध विच्छेद कर लेने चाहियें और उन से सभी प्रकार का आयात निर्यात बन्द कर देना चाहिये।

पाकिस्तान से हम को अभी तक ३०० करोड़ रुपये वसूल करने हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमें उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये अथवा वहां रह रहे ८० लाख हिन्दुओं को भी एक न एक दिन हिन्दुस्तान आना होगा और तब हमारी सरकार और मुश्किल में पड़ जायेगी। विभाजन के समय हमें यह स्वप्न में भी ख्याल न था कि ये ३० लाख लोग इधर आ जायेंगे अतः अब उसी अनुपात में उनसे भूमि मांगना सरकार का सबसे मुख्य कर्त्तव्य है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। सभी जगह भ्रष्टाचार है किन्तु पुलिस में खास तौर से। सामान्य थानों में भी जब तक कुछ भेंट नहीं चढ़ा दी जाती, पुलिस अधिकारी कोई शिकायत आदि नहीं दर्ज करते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि भविष्य में इस प्रकार की अन्धेरगर्दी न चल सके। दो वर्ष पहले मैंने कलकत्ता के भारत सरकार के एक अधिकारी श्री ए० तालिब, जो कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त थे, की शिकायत की थी। उन्होंने कई पाकिस्तानियों को कलकत्ता में बुलाकर नौकरी दी थी और अवैध तरीके से बहुत सा रुपया इकट्ठा कर लिया था। मैंने यह शिकायत गृह-कार्य मंत्री से की थी किन्तु उन्होंने बताया क्योंकि वह अधिकारी श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है अतः उनके कहे बिना वह उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने यह शिकायत पहले श्रम मंत्री श्री वी० वी० गिरि तथा वर्तमान श्रम मंत्री श्री खांडुभाई देसाई के पास भेजी। किन्तु अभी तक उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कारवाही नहीं की गई है। उल्टे उस अधिकारी ने एक व्यक्ति को बहुत सा रुपया देकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करवा दिया जिसमें सौभाग्य से मेरे उपर कोई आंच न आई। क्योंकि वह अधिकारी एक बड़ा मुसलमान है अतः वह अब भी वहीं बना है। हमारी सरकार को अब भी सचेत होना चाहिये।

हमारे देश में अनुसूचित जातियों और आदिम जाति लोगों की ८९ करोड़ से अधिक संख्या है। संविधान के अनुसार भारत सरकार उनकी दशा सुधारने की जिम्मेवार है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनके कल्याण के लिये एक पृथक् मंत्रालय बनाया जाये और उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिये ५० करोड़ रुपया दिया जाये। इसके बिना उनकी उन्नति सम्भव नहीं हो सकती है।

अन्त में मैं आशा करता हूं सरकार इन लोगों के लिये अवश्य ही कुछ न कुछ ठोस कार्य करेगी।

†**श्री शेषगिरि राव** (नन्दलाल): यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बनाया जा रहा है। हमें बताया गया है कि देश की आर्थिक अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इसकी ओर निर्देश किया है।

एक महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है, कि विभिन्न राज्यों को, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में व्यय करने के लिये जो रुपया दिया जाता है उस पर समुचित निगरानी रखी जाये। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि केन्द्र में एक मितव्ययता दल है और वे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त करने वाले हैं। लेकिन इस मितव्ययता दल तथा समिति को राज्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकेगी, किन्तु यदि ऐसे दल स्थानीय क्षेत्रों में, गांव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शेषगिरि राव]

के स्तर से प्रारम्भ होकर, तहसील, जिले, इत्यादि ऊंचे स्तरों पर हों, और उनसे योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी देते रहने को कहा जाय तो अधिक अच्छा होगा। धन जनता के लिये व्यय किया जाता है अतः जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि वह इस बात की शिकायत कर सके कि धन का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्र, जिनको विकास एवं आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनका समुचित विकास किया जाये।

हमारे गांवों में ५ करोड़ ४० लाख मकान हैं। उनमें से अधिकांश मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, किन्तु केवल ५ करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह राशि इस मामले में नितांत अनुपयुक्त है। इस राशि में वृद्धि करनी चाहिये।

अब मैं देहात में ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण समिति का प्रश्न लेता हूं। भारत का राज्य बैंक विधेयक पर चर्चा करते समय भी हमने कहा था कि सहकारी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं हैं। यह सारी प्रणाली आंकड़ों पर चल रही है। और ये आंकड़े बड़े भ्रामक होते हैं। हमें इन से भ्रमित नहीं होना चाहिये। इस विभाग में प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहियें जो कि विभाग को कुशलता पूर्वक चला सकें।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है, यह बहुत दुःखद पहलू है और इसका कोई हल नहीं मिला है। वित्त मंत्री अपने भाषण में भी इस प्रश्न की गम्भीरता के बारे में कुछ नहीं कह सके। निःसंदेह यह एक दुःखद बात है कि आज भारत के काम-दिलाऊ दफ्तरों में ६·९ लाख व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और प्रतिवर्ष विद्यालयों से छात्र निकलते जाते हैं और नौकरी की तलाश करते रहते हैं। शिक्षा की यह प्रणाली ही दोषपूर्ण है जो कि व्यक्ति को केवल पराश्रित बनाती हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो न जाने क्या होगा। हमें इस समस्या को यथाशीघ्र हल करना है। क्योंकि जब तक देश के नवयुवक बेकार हैं तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती, इसलिये नवयुवकों के लिये उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाये जिससे कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उचित कार्य मिल सके।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस समय गांवों में केवल १२·१ प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, अतः शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की अधिक आवश्यकता है जिस के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

यद्यपि लोक स्वास्थ्य की मद में १४ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है तथापि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की उन्नति के लिये केवल १४ लाख रुपये रखे गये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अधिक राशि की व्यवस्था करें।

प्रथम दो तीन वर्षों के बजट में पिछड़े राज्यों का जिक्र किया जाता था; लेकिन इस बजट में रायलासीमा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप किसी भारी उद्योग की स्थापना करें तो उसे रायलासीमा में स्थापित करें जिस से वहां की जनता लाभान्वित हो सके।

†**श्री रिशाँग किशिंग** (वाह्य मनीपुर–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : जब मैं पहिली बार संसद् में आया था तो लोक कल्याण राज्य की दुहाई दी जाती थी, किन्तु १९५४ से समाजवादी राज्य का नारा शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी समाजवादी नारे को दुहराया है; लेकिन देश में कहां तक समाजवाद कायम हो रहा है, यह तो देश के विभिन्न भागों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों, तथा दरिद्र देशवासियों की दशा से ज्ञात हो जायेगा। अपने निर्वाचन-क्षेत्र से यहां आने पर मुझे १,६०० मील की यात्रा करनी पड़ती है और इस दौरान में, मैं जो कुछ भी देखता हूं उससे जनता की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं मालूम हो पाता।

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये सर्वाधिक आवश्यकता इस समय भूमि सुधार की है। कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना चाहिये। भूमि सुधारों के न होने से सबसे अधिक हानि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को हुई हैं। इस समय केवल ५ प्रतिशत व्यक्तियों के पास सारी भूमि का ३३ प्रतिशत है। इस आधार पर सरकार ने नब्बे लाख परिवारों को भूमि देनी है। लेकिन सरकार ने क्या किया है ? पर्वतीय क्षेत्रों में जिन आदिम जातियों के लोगों के पास कुछ भूमि थी, उसे भी भारतीय वन अधिनियम के अधीन ले लिया है। फलतः लामिंगलोंग, मनीपुर इत्यादि के क्षेत्रों में लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई है। और जब इन भूखे लोगों ने हवाई जहाज से खाना गिराने को कहा तो आप कहते हैं कि आप लोगों को यह तरकीब किसने बताई है। क्या सरकार का, जो कि समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है, यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इन लोगों की सहायता करे ?

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें न तो लाभ में कोई अंश मिलता है और न प्रशासन में ही उनका हाथ रहता है। उनको निम्नतम वेतन मिलता है सरकार कहती है कि उसने बड़ी-बड़ी योजनायें, यथा नदी घाटी परियोजनायें, सामुदायिक परियोजनायें, इत्यादि बनाई हैं; लेकिन इन योजनाओं को गलत ढंग से क्रियान्वित करने का परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोग धनी हो गये हैं। गांव के दरिद्र लोगों को यह ज्ञात ही नहीं हुआ है कि सरकार उनके लिये कुछ करना चाहती है। जब तक आप गांव के लोगों में विश्वास नहीं पैदा करेंगे, तथा ग्राम पंचायतों, और जिला परिषदों का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक सरकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगी। आपको चाहिये कि आप पंचायतों तथा जिला परिषदों को ये योजनायें क्रियान्वित करने के लिये दें और सरकारी कर्मचारियों के हाथों से ये अधिकार ले लें और उन्हें निर्वाचित ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों को दें। वे ही इन्हें क्रियान्वित करें। अंग्रेजी राज्य के समय भी इन संस्थाओं का आदर किया जाता था और उन्हें मुकदमों के फैसले इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन आज जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपविभागीय पदाधिकारी अपने कार्यालयों में बैठे-बैठे सारा कार्य कर लेते हैं।

मैं सुझाव दूंगा कि पदाधिकारियों तथा श्रमिकों के वेतन में १ और १० का अनुपात होना चाहिये। इस समय यह अनुपात १ और १०० और १ और १५० का है। क्या एक समाजवादी सरकार में इसे अपराध नहीं माना जायेगा ?

सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिम जातियों के क्षेत्रों के लिये ३९ करोड़ रुपया मंजूर किया। लेकिन इस धन का दुरुपयोग किया गया। मनीपुर केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेश है। वहां के पदाधिकारी अपने कार्यालयों में बैठ बैठे वहां की योजनायें को क्रियान्वित किया करते हैं। उन्हें जनता की आवश्यकताओं का पता नहीं रहता। उन्हें आदिवासियों का विश्वास भी प्राप्त नहीं। जब तक अपनी समस्त योजनाओं को पंचायतों तथा निर्वाचित जनता की संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

सरकार मनीपुर के युद्धपीड़ित लोगों के लिये ६० लाख रुपया मंजूर किया था। इसका दुरुपयोग किया गया है। जिन परिवारों को कोई क्षति नहीं हुई वे लोग ५०० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ले रहे हैं और जिन्हें वास्तव में क्षति हुई है उन्हें केवल १०० रुपया मिला है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की जांच करवायें और जो पदाधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हो उसे दंड दें।

युद्ध के दौरान हवाई अड्डा बनाने के लिये कई खेत ले लिये गये थे। उन्हें आज तक प्रति कर नहीं दिया गया। भारतीय वन अधिनियम भी वहां लागू कर दिया गया, जिस से कई लोगों की भूमि ले ली गई। मैं ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था उन्होंने जांच कराई और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उत्तर के आधार पर उन्होंने इस कार्य को न्यायोचित कहा।

[श्री रिशांग किशिंग]

मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि मनीपुर में सीमेंट के एक बोरे का मूल्य १४ रुपये और एक बन्डल नालीदार चादर का मूल्य ९५ रुपये है। भला वहां के आदिवासी इस मूल्य पर किस प्रकार अपने मकानों पर छतें लगवा सकते हैं। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये और आदिवासियों को ये वस्तुयें सस्ते और रियायती मूल्यों पर उपलब्ध करानी चाहिये।

मनीपुर बर्मा के निकट है। इस लिये वहां बर्मी मुद्रा प्राप्त होती रहती हैं लेकिन वहां बर्मी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने का कोई कार्यालय नहीं। वित्त मंत्री को इम्फाल में एक ऐसा कार्यालय खोलना चाहिये; जहां बर्मी मुद्रा भारतीय मुद्रा से बदली जा सके।

अब मैं नागा समस्या को लेता हूं। उन्होंने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति भी उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग का समर्थन नहीं करेगा। नागा लोग सरकार से सन्धि वार्ता करने को तैयार हैं। लेकिन भारत सरकार उन लोगों से वार्ता नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार फिजो को नहीं चाहती। यह ठीक नहीं कि जब तक फिजो नागा परिषद् का अध्यक्ष रहे, सरकार उनसे समझौता न करे। इससे नागा लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार को चाहिये कि वह नागा परिषद् से तत्काल वार्ता कर ले और उनकी मांग की असम्भावना बतला कर जो उचित मांगें हैं उन्हें पूरा करे इस प्रकार नागाओं को उनकी परेशानियों से मुक्त करे।

श्री श्रीनारायण दास : सभानेत्री महोदया, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के अन्त में जो उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह अनुरोध मुझे तो स्वीकार्य है ही लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों को भी स्वीकार्य होगा। वह अनुरोध है कि जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हम जनता को सर्वोत्तम परामर्श दें, उसका सच्चा पथ प्रदर्शन करें और बुद्धिमानी के साथ उसका नेतृत्व करें।

जब हम यहां इस सदन में बैठते हैं तो हमारे ऊपर दोहरी जवाब देही होती है। एक जवाबदेही तो इस रूप में होती है कि हम हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक अंदाज़ लगावें और हमारी सरकार क्या-क्या काम करने जा रही है, उसको पूरा करने के लिये उसको कितनी रकम की आवश्यक्ता है, इसकी जानकारी हासिल कर जो बोझ कर रूप में सरकार जनता के ऊपर आगे जारी करना चाहती है, उसकी समीक्षा करें और देखें कि दरअसल में वह न्यायसंगत है या नहीं। दूसरी जवाबदेही हमारे ऊपर यह होती है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि होने के नाते यह देखना भी हमारा कर्त्तव्य है कि जनता की अवस्था को मद्देनज़र रखते हुये हम यह देखें कि जनता उस बोझ को सम्भालने के लायक है या नहीं। इन दोनों चीज़ों को जब हम सामने रखते हैं तो हमारा ध्यान संविधान की उस धारा की ओर जाता है जिस में यह कहा गया है कि हम अपने देश के अन्दर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ आफ स्टेट पालिसी (राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्त) में कहे गये इन सिद्धान्तों को देखते हुये हमें यह जानकर भी प्रसन्नता होती है कि वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है और उन्होंने हमेशा इस बातको अपने सामने रखने का आश्वासन दिया है और इस आदर्श तक पहुंचने का प्रयत्न भी वह कर रहे हैं। अब मैं वित्त मंत्री जी के ही शब्दों को दोहराना चाहता हूं जो कि उन्होंने अपने बजट भाषण में कहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक आधुनिक सरकार का सर्वप्रथम और अनिवार्य कर्त्तव्य यह है कि वह जनता के जीवन-यापन के स्तरों को ऊंचा उठाये और इस प्रकार प्रगतिशील और न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे और यही उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। इस उद्देश्य को हमें लोकतन्त्रीय साधनों से प्राप्त करना है। योजना के पीछे शासन-शक्ति नहीं, जन-शक्ति है। यह वाक्य यह स्पष्ट बतलाता है कि हमारे वित्त मंत्री जी जब बजट का निर्माण करने लगते हैं तो संविधान में दिये हुये ये निदेशक

सिद्धान्त हैं और संविधान के आरम्भ में जो हम ने संकल्प किया है कि हम न्याय की स्थापना अपने मुल्क में करेंगे, उनको वे अपने सामने रखते हैं।

देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह अवश्य ही संतोष-प्रद है। वह बताते हैं कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन हम देश की आर्थिक अवस्था को दृढ़ करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, इसमें से भी एक आशा की झलक नज़र आती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम बहुत बड़ी राशि खर्च करने जा रहे हैं, यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन सभानेत्री महोदया, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैंने पिछले साल भी वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूं। कि देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था बतलाने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिये था कि इस देश के अन्दर जिस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में किस रूप में उपभोग की गई है। आज हिन्दुस्तान की सब से बड़ी समस्यायें जो हल करने को बाकी हैं वह हैं गरीबी और बेकारी का खत्म होना। ये दोनों बीमारियां हममें समाज के अन्दर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। जैसे कि आजतक डाक्टर यह नहीं सोच पाये हैं कि कैंसर की बीमारी के लिये कौन सी दवाई उपयुक्त है, उसी तरह से मुझे यह कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी एक विशेषज्ञ होते हुये भी, बड़े ज्ञानी होते हुये भी, आर्थिक अवस्था की समीक्षा बहुत अच्छे ढंग से करते हुये भी, इस बीमारी की जो असली दवाई है, वह दवाई हमें बतलाने में असमर्थ रहे हैं और इसका कोई प्रभाव-कारी इलाज उन्होंने बताया हो ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। बेकारी की समस्या को वह महसूस करते हैं लेकिन जैसे-जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे यह कहा जाता है कि सर्वेक्षण करने से यह पता लगता है कि बेकारी का सवाल हल नहीं हुआ, बेकारी कुछ बढ़ ही गई है। इस बेकारी का इलाज हमारे प्रधान मंत्री भी अभी तक नहीं निकाल सके हैं और जो गरीबी का सवाल है वह भी इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है, वह भी आज हमारे सामने है ही। इसलिये मैं वित्त गंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जब वह इस सदन को देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं तो उनको इस बात को भी बतलाना चाहिये कि समाज के किस अंग में और किस रूप में, देश में जो उत्पादन बढ़ा है, उसका उपभोग किया गया है। यह अगर हमको बता दिया जाया करे तो हमको कुछ तो पता चल सकता है कि जो गरीब हैं, जो भूखे हैं उनके पेट में कितना अन्न पहुंचा है, जो बेकार हैं उनको कहां तक काम मिला है और ऐसा करने से उन्होंने जो आदर्श अपने सामने रखा है उसमें उनको कितनी सफलता प्राप्त हुई है, यह जानने की सुविधा भी उनको हो जायेगी। उनको यह भी मालूम हो सकता है कि जिस आदर्श की ओर वह बढ़ रहे हैं दर-असल में उसमें गति है या नहीं, और अगर गति कुछ धीमी है तो उस धीमी गति को कैसे तीव्र किया जा सकता है। इसलिये मैं कहूंगा कि देश में जो उत्पादन बढ़ गया है, खेती की फसल बढ़ गयी है, कारखानों में बनने वाली चीजों में भी वृद्धि हो गयी है और देश की राष्ट्रीय आय में भी १८ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है, इस वृद्धि का उपभोग किस हद तक जनता के किस वर्ग ने किया है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी देखें कि समाज का जो उपेक्षित और रोगग्रस्त अंग है उसमें जो यह नया रुधिर पैदा हुआ है वह पहुंचा है या नहीं। क्योंकि यदि उस अंग में यह रुधिर नहीं पहुंचता है तो वह उपेक्षित समाज का अंग दुखद अवस्था में ही रह जाता है इसलिये मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे देखें कि यह जो धन का उत्पादन हुआ है वह किस हद तक किस अंग में गया है।

दूसरी बात यह कही गई है कि विकास शील समाज में यह आवश्यक है कि नागरिक त्याग करें। मैं भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूं और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से महसूस करती है कि बिना कठिनाई उठाये पूंजी नहीं होती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता और धन नहीं बढ़ सकता। यह बात तो हमारे यहां गांव का एक एक आदमी जानता है। वह जानता है कि बांसमती के चावल को बचाकर यदि रोटी खाई जायगी तो धन इकट्ठा हो सकेगा। इसलिये देश की जनता अधिक से अधिक टैक्स देने के लिये तैयार है लकिन साथ ही सरकार को यह समझना चाहिये कि

[श्री श्रीनारायण दास]

यह विषमता का देश है जिसमें विभिन्न वर्ग हैं और विभिन्न श्रेणियां हैं। मैं समझता हूं कि यदि इन सब श्रेणियों को बराबर त्याग करने के लिये कहा जायेगा तो यह उचित नहीं होगा। जो ज्यादा त्याग करने की अवस्था में है उसको ज्यादा त्याग करने को कहा जाय और जो कम त्याग करने की अवस्था में है उससे कम त्याग करने की अपेक्षा की जाय तो मैं समझता हूं कि अधिक युक्तियुक्त होगा।

इस अवस्था में जो कर लगाया गया है मैं उसका समर्थन तो करता हूं किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कर लगाने में वित्त मंत्री ने ओवर काशन (आवश्यकता से अधिक सावधानी) से काम लिया है। ज्यादातर अखबार पूंजी पतियों के हैं। उनमें यह लिखा जाता है कि अगर यह कर लगायेंगे तो कैपीटल फारमेशन नहीं होगा, अगर वह कर लगायेगें तो जिन के पास पंजी है उन में रुपया लगाने का इंसेंटिव (उत्साह) नहीं रहेगा। वे ऐसा कह कर सरकार को डराना चाहते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि वित्त मंत्री जी ने उन सिफारिशों की तरफ इशारा तक नहीं किया है जो कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन (कर जांच आयोग) ने की हैं। मैं बताना चाहता हूं वित्त मंत्री को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि कर देने के बाद लोगों के पास कितनी आय रहनी चाहिये। उसकी उच्चतम सीमा तय होनी चाहिये। यह चीज़ जल्दी से जल्दी निर्धारित होजानी चाहिये। ऐसा करने से देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार हो जायेगा और लोग योजना के यज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति देने के लिये तैयार हो जायेंगे। लेकिन अगर आप आय की सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो यह वातावरण पैदा नहीं होगा। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन (कर जांच आयोग) ने कहा है कि साल साल में धन पर टैक्स लगाया जाये और जो एस्टेट ड्यूटी है उसको ज्यादा किया जाये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो देश में अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा नहीं हो सकता। इसलिये मैं कहूंगा कि आगे के लिये इस बात का ध्यान रखें कि जिन-जिन बातों की तरफ टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन (कर जांच आयोग) ने इशारा किया है उन पर ध्यान दिया जाये और कर निर्धारण में आर्थिक विषमता दूर करने के उद्देश्य को हमेशा सामने रखा जाये।

हमने समाजवादी समाज रचना करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। और हमारा ख्याल है कि जो उत्पादन के साधन हैं वे व्यक्ति विशेष के हाथ में न रहकर समाज के हाथ में आ जायें। लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने में कुछ हिचक होती है। यह मैं वांछनीय समझता हूं कि हम सारे मुख्य निजि व्यवसाय को अपने हाथ में ले लें लेकिन यदि हम उसको ठीक से चला नहीं सके तो इससे देश को हानि ही होगी। यद्यपि इस विषय में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि वे इस बात की भी जांच पड़ताल करें कि जो सरकारी कर्मचारी गण इस प्रकार के कामों में लगाये जाते हैं उनमें से किन किन को इस तरह के उद्योग धन्धों को चलाने की क्षमता है। अंग्रेजों के जमाने में जो सर-विसेज़ का ढांचा बनाया गया था वह तो पुलिस राज्य चलाने के लिये बनाया गया था। आज हमारा लोक-कल्याणकारी राज्य है। इसलिये आज जब हम इन सब कामों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो हमको यह छान बीन करनी चाहिये कि इन सरकारी कर्मचारियों में जिनको यह काम सौंपा जाता है किताबी योग्यता के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की ओर जनता के हृदय को जानने की क्षमता है या नहीं। मैं चाहता हूं कि अब जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जायें उनको यह दो प्रकार की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये उनको यह शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे जनता के सेवक हैं और उनको जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिये, जनता के हृदय को समझने की चेष्टा करनी चाहिये। आज सरकारी अफसरों में यह भावना नहीं है। आज अफसर और जनता का मेल नहीं खाता। जनता समझती है कि अफसर जनता को दबाने के लिये है। जनता सोचती है कि अगर हम उनके पास जा कर अपनी बात कहेंगे तो न जाने वे हमारी बात सुनेंगे या नहीं। जनता की आज हिम्मत नहीं होती कि सरकारी अफसरों के सामने दिल खोल कर अपनी बात रख सकें। हमारे प्रधान मंत्री ने भी इस बात को कहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारीगण हैं वे इस बात को महसूस नहीं करते

कि हमारे प्रधान मंत्री किस तरफ इशारा करते हैं। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में हाल में कहा था कि हमारे अफसरान जब देहात में जाते हैं तो वे जनता के साथ बैठ नहीं सकते। जो अफसर जनता के साथ नहीं बैठ सकते वे कैसे जनता के हृदय की बात को समझ सकेंगे और कैसे देश की जनता की भलाई कर सकेंगे। इस ख्याल से मैं कहना चाहूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हों उनको दो चार महीने आचार्य विनोबा जी के आश्रम में रख कर ट्रेनिंग दी जाये। उनकी शिक्षा के लिये दिल्ली में जो स्कूल खोला गया है उसमें उनके हृदय में वह भावना पैदा नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कहता कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे देशभक्त नहीं हैं। वे देशभक्त हैं यह मैं मानता हूं, लेकिन जिस वातावरण में वे पले हैं उसने उनके मन में यह भावना पैदा कर दी है कि वे जनता के मालिक हैं और उनका काम जनता पर शासन करना है। यह भावना अभी उनके दिल से हटी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारीगण कुछ समय के लिये विनोबा जी के साथ देहातों का भ्रमण करें और उनके भाषण सुनें ताकि उनके हृदय में जनता के प्रति अपने कर्तव्य की सच्ची भावना पैदा हो।

तो मैंने थोड़े से समय में ये बातें सदन के सामने रखी हैं। धन पर टैक्स लगाया जाये, आमदनी की उच्चतम सीमा तय कर दी जाये, एस्टेट ड्यूटी में वृद्धि की जाये, केपीटल गेन्स टैक्स लगाया जाये और चीनी, तम्बाकू आदि के उत्पादन की मानोपली सरकार अपने हाथ में ले। मैं समझता हूं कि इस मानोपली से भी हमको कुछ आय हो सकती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि खेती के लिये कर्ज देने की जो व्यवस्था की गयी है उसके कोआपरेटिव डिपार्टमेंट (सहकारी विभाग) के आडिट डिपार्टमेंट (लेखा-परीक्षा विभाग) को, कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल (नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक) के मातहत रखा जाये ताकि जो रुपया हो उसका दुरुपयोग न हो।

मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बात की परीक्षा की जाये कि देहात में खेती की उपज का बीमा करने का प्रबन्ध करना कहां तक सम्भव है। मैं समझता हूं कि यह आसान काम नहीं है लेकिन इस बात की जांच होना जरूरी है कि इस काम को हम कहां तक कर सकते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा का बहुत सा प्रबन्ध हो रहा है और होने वाला है। लेकिन जो देहात में खेतिहर मजदूर काम करते हैं उनके लिये किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि उनके लिये भी, सामाजिक सुरक्षा की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि बुढ़ापे की पेंशन है, दवा का इन्तिजाम या शिक्षा आदि का प्रबन्ध होना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो लोग उपार्जन करने वाले लोग हैं उनके लिये अनिवार्य बीमा योजना होनी चाहिये। इससे हमारे खजाने में भी कुछ रुपया आवेगा और जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके पास भी वर्षा के दिनों के लिये कुछ रकम हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ में इस बजट का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि चाहे धीरे धीरे ही सही हम अपने आदर्श की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आदर्श हमारे वित्तमंत्री जी ने अपने सामने रखा है वे उस पर बार बार गौर करेंगे और हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाली उपेक्षित, गरीब और बेरोजगार जनता की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो देश की समृद्धि बढ़ेगी। केवल राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से यह सारा काम चलने वाला नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे वित्त मंत्री के आय-व्ययक भाषण को पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई विशेषकर जब कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आधारित था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ज्ञात होता है कि सरकार के हृदय में भय समाया हुआ है तथा आय-व्ययक भाषण पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जनता से जितना संभव है उतना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेलायुधन]

धन ले लेने को उत्सुक हैं। इसी आधार पर हमें आय-व्ययक पर विचार करना चाहिये। मैं आय-व्ययक के सामान्य सिद्धान्तों की ओर निर्देश करता हूँ।

स्वतंत्रता के आठ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस दल के अन्य नेताओं के भाषणों से यह जानकारी होती है, देश की समास्यायें सुलझने के स्थान पर, उलझ गई हैं। देश की आज क्या स्थिति है। रामलीला मैदान में राष्ट्रपिता की बरसी पर भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने बताया था कि "राष्ट्र में एकसूत्रता नहीं आ पाई है तथा इस प्रकार की लड़ाइयों से हम सैनिक प्रशासन का आह्वान कर रहे हैं"। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। परन्तु सैनिक प्रशासन के लिये जिम्मेदार कौन है क्या जनता जिम्मेदार है? नहीं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बम्बई की गड़बड़ी के लिये जिम्मेदार कौन है?

†**एक माननीय सदस्य** : आप।

†**श्री वेलायुधन** : मैं इसका उत्तर नहीं देता क्योंकि जिस सदस्य ने इसका उच्चारण किया है वह राजनीति जानते ही नहीं हैं। देश में कौन विरोधी है। मैं संसद् अथवा राज्य विधान मंडलों में कांग्रेस के विरोधियों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ। मैं सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में कह रहा हूँ कि विरोधी दल के सदस्य बहुत कम हैं। कहा जाता है कि देश प्रधानमंत्री के पीछे है। मैं मानता हूँ तथा हमें इस सम्बन्ध में विवाद भी नहीं करना है। परन्तु हमें पुरानी पद्धति का बिरोध अवश्य करना चाहिये और इस के लिये कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है और इसीलिये यह सब गड़बड़ी है।

यह कहना कि गृह युद्ध आ रहा है, ठीक नहीं है। मैं संसार में घूमा हूँ तथा मैंने राष्ट्रों को बनते देखा है तथा मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत की जनता अपना जीवन बनाने में संसार में सब से अधिक विवेकशील है।

मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ परन्तु कांग्रेस दल के लोग प्रतिक्रियावादी हैं। वे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। चार वर्ष से समाजवाद के सम्बन्ध में कहा जा रहा है। परन्तु उस पर चलता कौन है? समाजवाद ऊपर से नहीं बनाया जा सकता, यह तो निम्न स्तर के व्यक्तियों से प्रारंभ होता है। कुछ अभिकरणों अथवा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु मैं ऐसा राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता जिसका अन्त राजनीतिक तानाशाही में हो।

यह कठिनाइयां क्यों आईं? मेरी राय में यह इसलिये आईं कि संसदीय लोकभारत के लिये उपयुक्त नहीं है। यह असफल रहेगा और समाजवादी ढंग के समाज के लिये हमें इस पद्धति को छोड़ देना होगा। यह मेरी राय है।

मैं कुछ शब्द त्रावनकोर कोचीन राज्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। अफवाह है कि वहाँ राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। ऐसी स्थिति वहाँ क्यों आई? इस स्थिति के लिये विरोधी पक्ष, अथवा जनता जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिये कांग्रेस दल जिम्मेदार है। क्या आपने विरोधी दल को जो कि बहुमत वाला दल है, सरकार बनाने का निमंत्रण दिया? कभी नहीं।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : दूसरा बहुमत वाला कौन सा दल है?

†**श्री वेलायुधन** : आप त्रावनकोर के सम्बन्ध में क्या कुछ नहीं जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि त्रावनकोर की जनता समाजवादी ढंग के समाज के अधिक उपयुक्त है। उन्हें तो अवसर ही नहीं दिया गया। और यही कठिनाई है।

मैं हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि देहातों के हरिजनों की अवस्था बड़ी ही दयनीय है। यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो आपको जातिभेद-तथा छुआ-छूत को हटा देना पड़ेगा। भारत के लिये अब यही दल है कि समावाद लाने के लिये, निम्न स्तर से निर्माण किये जाये। वर्तमान आर्थिक नीति से समाजवाद की स्थापना नहीं होगी प्रत्युत राजनीतिक आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शिवराजवती नेहरू** (जिला लखनऊ—मध्य) : सभानेत्री महोदया, इस वर्ष का बजट जो माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने रक्खा है, बड़ा ही आशाप्रद है। उसमें उन्होंने देश के हर क्षेत्र की उन्नति का चित्र हमारे सामने रक्खा है जिस को देख कर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और गर्व भी। हर्ष इस लिये कि अब हम सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी ढंग) का समाज बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज से छः वर्ष पूर्व जब हमारे देश में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हुआ था उस समय हमारी सरकार ने अपना लक्ष्य अपने देश की जनता की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के जल्द से जल्द पूरा करने का रक्खा था। मुझे आज यह कहते हुये गर्व होता है कि इन छः वर्षों के अल्प काल में हमारे देश में कृषि, रेल, तार, वायुयान, विद्युत कारखानों, प्रयोगशालाओं, विज्ञानशालाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सभी क्षेत्रों में जितनी उन्नति हुई है उसकी तुलना किसी भी उन्नतिशील देश से की जा सकती है। हमारी पिछली पंच वर्षीय योजना सफल और वास्तव में जो कुछ हमने अपना ध्येय या लक्ष्य रक्खा था, कई बातों में हम उस से भी आगे बढ़ गये। हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना का ध्येय था अपने देश की अनाज की कमी को पूरा करना, इस वास्ते कि हमारे देश की जनता को अपना पेट भरने के लिये दूसरे देशों का मूंह न ताकना पड़े। मुझे आज यह कहते हुये हर्ष होता है कि हमारी सरकार की विशाल योजनाओं के कारण हमारा देश आज अनाज के सम्बन्ध में सेल्फ सफिशिएंट (आत्मनिर्भर) हो गया है और बावजूद सैलाबों (बाढ़ों) की इतनी बरबादी के भी आज हमारे देश में पहले से २० प्रतिशत अनाज अधिक उत्पन्न हो रहा है।

परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब आज हमारे देश में अनाज की कमी नहीं। तो क्या कारण है कि देश में अनाज सस्ता नहीं हो रहा है? मैं यह जानती हूँ कि आज भी बजारों में एक रुपये का सवा दो सेर और दो सेर गेहूं मिलता है जब कि कंट्रोल और कमी के समय में पौने तीन सेर और तीन सेर तक वह हमें मिला है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह बाजार में सस्ते अनाज बेचने की दुकानें खोले और बनियों पर वह नियंत्रण लगाये कि वह मंहगा अनाज न बेचें। क्योंकि यह तो दुनियां की कहावत है कि :

"बाम्हन जीमे तब पतियाय"

यदि अनाज सस्ता होगा तो जनता के ऊपर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा और तभी वास्तव में देश की जनता सुखी और संतुष्ट होगी।

फिर केवल अनाज और कृषि से ही देश की सारी समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं। आज सब से बड़ी समस्या हमारे देश की बेरोजगारी है। इसको मिटाने के लिये हमारी सरकार आज बड़े-बड़े कल कारखाने खोलने जा रही है और औद्योगिक विकास करने जा रही है जिसमें लगभग ९०० करोड़ रुपया व्यय होगा और ३५० करोड़ रुपया लगा कर आज समस्त देश में स्माल स्केल (काटेज और विलेज इन्डस्ट्रीज) छोटे पैमाने, कुटीर और ग्राम उद्योग चालू करने जा रही है। इतने भारी प्रयत्न के बाद भी पांच वर्षों में केवल १ करोड़ मनुष्यों को रोजगार मिलेगा। अपने देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये और बेरोजगारी की अधिकता को देखते हुये मुझे यह संख्या बहुत कम मालूम होती है। फिर इसमें यह नहीं बताया गया है कि जो यह बेरोजगारी की संख्या है उस में स्त्रियों का कितना भाग है। आज सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में स्त्रियों में भी बहुत अधिक बेरोजगारी है और स्त्रियां भी स्वयं कमा कर के बहुत अधिक संख्या में अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि वह स्त्रियों को भी इस प्रकार का संरक्षण दे और हर प्रकार के कार्य सिखलाये तथा उनको रोजगार दे।

सरकार अपनी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये, अपनी महान योजनाओं को पूर्ण करने के लिये जो धन की कमी है उसके लिये आज नये कर देश में लगाने जा रही है। ठीक है। अपने देश की आर्थिक उन्नति और उत्थान के लिये सबको यह भार उठाना ही पड़ेगा, परन्तु जब यह कहा जाता

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

है, माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, कि इस बजट में देश के गरीब और मध्य श्रेणी के लोगों पर कर का कोई और भार नहीं डाला गया है, तो मुझे यह बात ठीक नहीं लगती है क्योंकि जब चश्मे के फ्रेम के ऊपर, सूती और रेशमी कपड़े के ऊपर, साबुन के ऊपर और तरल सोने इत्यादि के ऊपर कर लगाया, और यह कर तो केन्द्रीय सरकार लगा रही है राज्य सरकारों ने अपने कर अलग लगाये हैं तो उन का पूरा-पूरा भार मिड्ल क्लास (मध्य वर्ग) के लोगों के ऊपर और गरीब लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। अमीर आदमियों के ऊपर तो उस के भार का आभास भी नहीं होगा। मैं इस बात को मानती हूं कि आज समाजवादी ढांचे के उठाने के लिये हर एक व्यक्ति को उचित रूप में देश के लिये त्याग और परिश्रम करना होगा। परन्तु सभानेत्री महोदया, यह जो मिडिल क्लास के लोग हैं इन पर पहले से ही करों का बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। यदि कर लगाये जाने हैं तो मैं चाहती हूं कि ऐसे लोगों पर लगाये जायें तो इनको अदा करने की क्षमता रखते हों। अगर आपको टैक्स लगाने ही हैं तो उन लोगों पर लगाइये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं, मिल मालिक हैं। इनका भार मिडिल क्लास के लोगों पर, गरीब जनता पर नहीं डाला जाना चाहिये था। आप आज देश में सभी चीज़ों पर सीलिंग लग रहे हैं, बड़ी बड़ी आय पर सीलिंग लगा रहे हैं, ज़मीन पर सीलिंग लगा रहे हैं, दूसरी आमदनियों पर सीलिंग लगा रहे हैं, परन्तु मैं तो यह कहती हूँ कि आपको पहले फ्लोर (आधार) को देखना चाहिये। यदि फ्लोर (आधार) हमारा ठीक नहीं हुआ तो सीलिंग कहां जायेगी। इस वास्ते पहले फ्लोर को आप मजबूत करें मैं इस बात को मानती हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये और देश में समाजवादी समाज की रचना करने के लिये सरकार को पैसे की जरूरत है। मैं यह भी मानती हूं कि सरकार की जो आवश्यक सेवा हैं उन पर खर्च बढ़ रहा है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करती हूं कि आज देश की जनता को इस बात की बड़ी शिकायत है कि धन का बहुत ज्यादा अपव्यय हो रहा है और इसको खर्च करने में कोई देखभाल नहीं की जा रही है। एक तरह से धन को लुटाया जाता है। इस वास्ते मेरी सरकार से और वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि वह ऐसे उपाय करें, ऐसे तरीके निकालें जिस से कि आगे से भ्रष्टाचार की सम्भावना न रहे और धन का सदुपयोग हो यदि ऐसा हुआ तो मैं आश्वासन देती हूं कि देश की जनता खुशी खुशी और शान्ति से करों को अदा करेगी और इन का भार उठायेगी और जितना धन सरकार मांगेगी देगी।

शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारी सरकार इस बात का विचार तो अवश्य करती है कि समस्त देश के अन्दर १४ बरस तक के बालकों को शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जाये यानी एजुकेशन (शिक्षा) को फ्री और कम्पलसरी (मुफ्त और अनिवार्य) कर दिया जाये। परन्तु अभी तो यह कहती है कि इसमें १२ बरस लग जायेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व हम इस बात का स्वप्न देखा करते थे कि जब हमारा राज होगा तो सारे देश में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी जायेगी। परन्तु मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि बजाय ऐसा करने के आज शिक्षा इस कदर ज्यादा मंहगी हो गई है कि जो बेचारा मिडिल क्लास (मध्यम वर्ग) का आदमी है या जो गरीब है, या जो थोड़ी तनख्वाह पाने वाला आदमी है। उसके लिये अपने बच्चों को शिक्षित बनाना भी कठिन हो रहा है। यही हालत दवा व इलाज की है किसी बीमारी का यदि इलाज करवाना हो तो वह भी एक बहुत मंहगा पड़ता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप अगली पंचवर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपया शिक्षा विभाग पर खर्च करने जा रहे हैं लेकिन देश की आवश्यकताओं को देखते हुये यह रकम बहुत थोड़ी है और मेरा सरकार से यह निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में वह और ज्यादा धन की व्यवस्था करे। कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिस से कि पांच वर्षों के अन्दर समस्त देश में फ्री और कम्पलसरी ऐजुकेशन (मुफ्त और अनिवार्य) लागू हो जाये।

अब मुझे केन्द्रीय समाज सेवा संघ यानी सैंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है। यह हमारे देश की और हमारी समाज की अकथनीय सेवा

कर रहा है। इसके द्वारा चिल्डरंस होम, अपंगों और अपाहिजों के लिये इंस्टीट्यूशंस ग्रामीण स्त्रियों के लिये शिक्षा केन्द्र इत्यादि अनेकों सेवा कार्य हो रहे हैं। आज यह समस्त देश की सेवा में संलग्न है। जो काम यह बोर्ड कर रहा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन एक कमी है जिस की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। अभी तक इसने कोई बैगर्ज़ होम (भिक्षुक गृह) नहीं खोला है। आज हमारे देश में भिखमंगों की बहुत भारी संख्या है। आज सरकार इस बोर्ड को करोड़ों रुपया दे रही है। मैं चाहती हूं कि सरकार और यह बोर्ड दो चार बैगर्ज़ होम्स (भिक्षुक गृह) खोलने का यत्न करे जिससे कि गरीब मोहताजों को रोटी कपड़ा मिलने के साथ ही साथ उनको कोई धंधा करने की भी शिक्षा दी जाये। यदि ऐसा किया गया तो वे लोग कार्य भी करेंगे और रोटी कपड़ा भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

आखिरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को जो धन उसके विकास के लिये देना स्वीकार किया है वह उसकी आवश्यकताओं से बहुत कम है। हमारा जो प्रदेश है वह इंडस्ट्रियालाइजेशन (औद्योगीकरण) के फील्ड (क्षेत्र) में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है। इसलिये उसको अपना औद्योगिक विकास करने में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। इस लिये मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश की जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति वह उदारता से करें और उसके लिये सहायक बनें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

†**श्री आनन्द चन्द** (बिलासपुर) : समाचारपत्रों की टिप्पणी, और सभा कक्ष तथा पत्रिकाओं की टिप्पणियों से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत आय-व्ययक को सामान्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसलिये मेरा विचार है कि मुझे शेष जनता के साथ एक स्वर हो कर वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिये। मेरा विचार है कि यह आय-व्ययक एक निर्वाचन वर्ष का आय-व्ययक है।

राजस्व प्राक्कलन ५२७ करोड़ रुपये रखा गया है तथा व्यय ५४५ करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार से यह १७·६८ करोड़ रुपये के घाटे का आय-व्ययक है। पूजी व्यय की ओर, कुल व्यय ७०३ करोड़ रुपये है तथा इसमें केन्द्र का ३१६ करोड़ रुपया तथा राज्यों का ३८६ करोड़ रुपया है। इसकी आय से तुलना करने पर यह जानकारी होती है कि ३३८ करोड़ रूपये का घाटा है क्योंकि आय ३६५ करोड़ रुपये है। दूसरे शब्दों में यह घाटे की अर्थव्यवस्था है।

जहाँ तक मैं जानता हूँ वर्तमान वर्ष में घाटे की अर्थ व्यवस्था २४० करोड़ रुपये रखी गई थी तथा १९५६-५७ में यह आंकड़े ३६० करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। परन्तु योजना आयोग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा के समय, घाटे की अर्थव्यवस्था अधिकतम १,२०० करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी और प्रथम वर्ष में ३६० करोड़ रुपये रखा गया है। इसका असर हम देख रहे हैं कि खाद्यान्नों के भाव कुछ राज्यों में बढ़ रहे हैं और केन्द्र को अनाज उन राज्यों को शीघ्रता से भेजना पड़ रहा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ७०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था है तथा मेरा विचार है कि आय-व्ययक में ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं और यह उचित भी है।

मैं कर राजस्व के सम्बन्ध में कुछ कहनां चाहता हूँ। कर राजस्व ४२५ करोड़ रुपये दिखाया गया है तथा सीमा शुल्क का राजस्व १५० करोड़ रुपये है. केन्द्र उत्पादन शुल्क १४५ करोड़ रुपये, आयकर १२७ करोड़ रुपये तथा अन्य साधनों से ३ करोड़ रुपये राजस्व होगा। यह बड़ी ही अजीब बात है कि १९५१-५२ में आयकर तथा सीमा शुल्क से ३६७ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था जब कि १९५६-५७ में इन स्रोतों से केवल २७७ करोड़ रुपये आया है। केन्द्र उत्पादन शुल्क १९५१-५२ में ८५·७ करोड़ रुपये से घट कर १९५६-५७ में ६० करोड़ रुपये हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आनन्द चन्द]

इससे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम केन्द्र उत्पादन शुल्क बढ़ा कर जनता को कष्ट दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री का यह कथन कि नये शुल्कों का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही हो सकता है परन्तु साबुन तेल आदि पर शुल्क बढ़ जाने से अन्त में जनता को ही पिसना पड़ेगा यह भी सत्य है। इसलिये मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें कि जब राजस्व के अन्य साधन भी हैं तो उत्पादन शुल्क ही हम पर क्यों लादा जा रहा है।

इसके तश्चात् मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रतिरक्षा व्यय लगभग हर वर्ष २०० करोड़ रुपये हो रहा है। मेरा विचार है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी के कारण हमें अपने प्रतिरक्षा व्यय की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारी शस्त्रास्त्र सेनायें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी के अनुसार पर्याप्त हैं अथवा नहीं।

इसके पश्चात् मैं आपका ध्यान केन्द्र के असैनिक प्रशासन की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह १३६ करोड़ रुपये है जबकि १६५१-५२ में ५४ करोड़ रुपये था। जहाँ तक सामान्य प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के काम के विस्तार का प्रश्न है, यह व्यय ठीक है परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य स्थानों पर अपेक्षित कर्मचारियों के प्रश्न की जाँच के लिये समितियाँ नियुक्त कर रही है तथा इस कार्य के लिये विदेशी विशेषज्ञ भी बुलाये गये हैं। इसलिये लोक-सभा यह जानना चाहेगी कि इन समितियों के प्रतिवेदनों का क्या हुआ।

इसके पश्चात मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। प्रथमतः भाग 'ग' राज्यों के सम्बन्ध में जिनको केन्द्र से सहायता मिलती है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने भाग 'ग' राज्यों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। परन्तु गत पांच वर्षों में उनकी संचित निधि अलग रही है। केन्द्र ने इनको बहुत धनराशि सहायक अनुदान के रूप में दी है। हिमाचल प्रदेश को ले लीजिये उसको १८८ लाख रुपये की सहायता दी गई है। विगत वर्ष शायद १७३ लाख रुपये की सहायता दी गई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस राज्य को सात करोड़ रुपया दिया गया। इसमें साढ़े तीन करोड़ की वह राशि भी जोड़नी चाहिये जो कि उन्होंने यथार्थ में खर्च की है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हैं किन्तु हिमाचल-विधान सभा में जो लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसमें लाखों रुपयों की गड़बड़ी दिखाई गई है।

जब केन्द्रीय सरकार इस राशि को मंजूर करती है तो उसे यह अधिकार भी है कि वह व्यय की यथार्थ स्थिति की जानकारी प्राप्त करे। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह इस मसले पर गौर करें और यदि सम्भव हो तो इन राज्यों के व्यय की जाँच कराये। यदि ये लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन किन्हीं विशेष स्थानों तक ही सीमित रहेंगे तो उक्त राशियाँ गायब हो जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बाँध बनाया जा रहा है। यहाँ के सत्रह हज़ार व्यक्तियों की भूमि ली गई है और अब उनके पुनर्वास की दुहरी समस्या है। पहला तो उनकी भूमि के बदले में उन्हें भूमि देनी है। केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की सहायता से उनकी भूमि की समस्या लगभग हल हो गई है और उन्हें हिसार में भूमि दे दी गई है। लेकिन वे लोग सारी भूमि एक खंड में ही चाहते हैं आप उन्हें पृथक्-पृथक् खंडों में भूमि दे रहे हैं। दूसरी समस्या उन्ह मकानों के स्थान पर मकान देने की है। भाखड़ा बस्ती में इस समय लगभग छः हज़ार व्यक्ति रहते हैं। बाँध बनने पर वे सारे बेघर हो जायेंगे। आप उन्हें जो प्रतिकर दे रहें हैं वे पुरानी अनुसूची के अनुसार हैं जिसके अनुसार अधिकाँश व्यक्तियों को २०० रुपये से ३०० रुपये तक मिलेंगे। इतनी कम राशि से कोई अपना मकान नहीं बना सकता। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इस सम्बन्ध में बहुत सहायता नहीं कर सकती अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह इस मामले में इनकी सहायता करें और उन्हें केन्द्रीय सहायता दिलवाने का प्रयत्न करें।

†**श्री कामत :** संसद् में पिछले बजट को रखने के पश्चात् से जन साधारण के हित में तीन विशेष बातें हुईं। पहिले तो यह कि आवड़ी में निश्चित "समाजवादी" रूपरेखा में कटौती कर हमने उसे समाजवाद कर दिया।

दूसरे यह कि आम जनसाधारण के हितों को देखने वाले मंत्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। पिछले वर्ष ४८ मंत्री थे और इस वर्ष ५० मंत्री हैं। जनसाधारण को तीसरा लाभ यह हुआ है कि राजनीतिज्ञों के स्वागत समारोह में भाग ले सकते हैं। प्राचीन रोमन साम्राज्य में भी जनता को रोटियां दी जाती थीं और सरकस का खेल दिखाया जाता था। एक लाभ यह भी हुआ है कि वित्त मंत्री हिन्दी कवि हो गये हैं। उन्होंने राज्य-सभा में एक कवि के प्रत्युत्तर में हिन्दी में कविता सुनाई है उन्होंने यह भी कहा कि :

'अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्' लेकिन वह यह भूल गये कि उसी अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि :

'तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव सः।' कि यदि सरकार बिना गरीबों को खिलाये खाती है तो वह चोर है।

ये सभी बातें जन साधारण के लिये किसी काम की नहीं हैं। सरकार तो व्यर्थ में ही इतना धन लुटा रही है। फिर भी वित्त मंत्री एक सुनहला स्वप्न देख रहे हैं। वे समझते हैं कि अब हम स्वयं अपने भाग्य विधाता बन गये हैं। उन्होंने कल अपने आय-व्ययक-भाषण में बड़े ही काव्यात्मक ढंग से एक महान भारत के काल्पनिक रूप का चित्रण करने का प्रयत्न किया। परन्तु मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूँ कि ग़लत नीतियों पर आधारित उनके ये सभी सुनहले स्वप्न अन्त में झूठे सिद्ध होंगे। जब तक इन नीतियों में परिवर्तन न किया जायेगा तब तक उस स्वर्ग की आशा करना एक भ्रम है और एक धोखा है।

वित्त मंत्री की राजकोषीय नीति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे इस आय-व्ययक के अनुसार खर्च तो बहुत सा रुपया कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने कर-आधार को बढ़ाया नहीं है। बिना इस आधार को बढ़ाये अत्याधिक रुपया खर्च करना किसी भी काम नहीं आयेगा। यदि वित्त मंत्री यह स्वीकार करें तो मैं इसके सम्बन्ध में उनसे चर्चा करने के लिये तैयार हूँ और उन्हें इसके बारे में अत्यन्त लाभकारी सुझाव दे सकता हूँ।

जहाँ तक हमारी घरेलू नीति का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार की नीति बना रही है जिससे देश की समस्त शक्ति उसके अपने हाथ में केन्द्रित हो जाये। दिन प्रतिदिन यह सरकार एक पार्टी की सरकार बनी जा रही है। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को परिसीमित किया जा रहा है और राज्य के लोकतंत्रात्मक आधारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। स्वतंत्र ग़ैर-सरकारी कार्मिक संघों के साथ भेदभाव बर्ता जाता है, राजनीतिक विपक्ष को कुचला जा रहा है। प्रेस तथा रेडियों जैसे सार्वजनिक माध्यमों को सरकारी सफ़लताओं का प्रचार करने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है।

मुझे तो यह प्रतीत होता है कि सरकार जनता की राय तथा संसद् की राय की उपेक्षा करने में ही गौरव का अनुभव करती है। गोआ समस्या के बारे में सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वह प्रशासक पार्टी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पार्टी की परवाह नहीं करती।

इसीलिये आज देश में बहुत से लोगों में असन्तोष तथा बेचैनी सी है। देश की उत्तरी सीमा तथा दक्षिणी सीमा दोनों में ही आज भयंकर समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। दक्षिण में त्रावनकोर-कोचीन की समस्या के सम्बन्ध में मेरा यही सुझाव है कि सरकार वहाँ के राजप्रमुख को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे और स्वतंत्र राज्य सरकार बनाने के बारे में उसकी बातों में कोई हस्तक्षेप न करे।

काश्मीर के सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस बात से तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार काश्मीर की उतनी भारी आर्थिक सहायता कर रही है, परन्तु हमें इस बात को सदैव ध्यान में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

रखना चाहिये कि काश्मीर अभी तक पूरी तरह से भारत में मिला नहीं है। जब तक भारत का संविधान पूरी तरह से जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होता तब तक काश्मीर का भारत से एकीकरण कैसे हो सकता है ।

बम्बई, उड़ीसा तथा बंगाल में होने वाली अशान्ति का वास्तविक कारण राज्य पुनर्गठन के बारे में सरकार की ग़लत नीति है। सरकार की इस नीति में प्रथम दिवस से लेकर आज तक कोई भी एकरूपता नहीं रही है ।

वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि जेनेवा उच्च स्तरीय सम्मेलन की सभी आशायें मिट्टी में मिल गयी हैं और आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नये नये आतंक फैल रहे हैं। संसार के अविकसित देश आज महत्त्वाकांक्षी देशों के हाथों में कठपुतलियों के समान नचाये जा रहे हैं। वार्सा तथा बग़दाद समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। इस प्रकार से पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में एक शीत युद्ध सा चल रहा है जो कि विश्व शान्ति के लिये खतरनाक है ।

पश्चिमी एशिया में हमने अभी तक इज़राइल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये हैं। पहले तो हम उसे अभिस्वीकार करने में ही तीन वर्ष तक टालमटोल करते रहे और अब हम उससे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में ही संकोच कर रहे हैं। यह एक ग़लत नीति है, इससे शीत युद्ध के बढ़ जाने का भय है ।

हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक राज्य है, परन्तु पिछले दिनों जब ख्रुश्चेव यहाँ आये थे तो उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से संसार को रूस में किये गये सब से बड़े उद्जन बम के विस्फोट के सम्बन्ध में सूचना दी थी, यह जानते हुये भी कि हमारे प्रधान मंत्री इन विस्फोटों के विरोधी हैं ।

सिंचाई कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली अर्थनीति के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिये इतना अधिक रुपया लगाया जा रहा है, वहाँ इन छोटे-छोटे सिंचाई कार्यों के लिये जो थोड़ा-सा निर्धारित किया गया है वह भी अभी तक लगाया नहीं गया है ।

अगले वर्ष १८५७ की शताब्दी को मनाने के लिये बिना सोचे समझे ही रुपया खर्च किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में मेरी यही प्रार्थना है कि इस धन को सोच विचार कर खर्च किया जाये। इसके बारे में मेरा प्रथम सुझाव यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आज़ाद हिन्द सेना के जिन वीर सैनिकों के सिंगापुर के स्मारकों को १९४५ में लार्ड माऊँटबैटन ने तोड़ दिया था उन्हें फिर से वहाँ पर बनवाया जाये, और एक स्मारक दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया जाये ।

दूसरा सुझाव यह है कि भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध को प्रारम्भ करने वाले बहादुरशाह की क़ब्र के अवशेष आज रंगून में पड़े हुये हैं। उन्हें भारत में लाया जाय और बहादुरशाह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की जाये। पिछले दिनों भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी, परन्तु मैं कह नहीं सकता कि वह समिति क्या कर रही है। अतः जब तक हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, ये सभी दिखावे के आडम्बर थोते और निराधार होंगे ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : सभानेत्री महोदया, कामत साहब से मैं उम्मीद करता था कि वह बजट के कुछ बहुत बारीक नुक्ते बतलायेंगे लेकिन मुझे इस चीज़ को उन से न सुन कर ना-उम्मीदी हुई। उन्होंने काश्मीर के सवाल और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सवाल यहां पर उठाये। उनके भाषण से तो कभी कभी ऐसा मालूम होता था कि वह सिर्फ अपने नारे ही लगा रहे हों। उन्हों ने जनता की जो हालत है उस पर हमदर्दी का इज़हार किया लेकिन सरकार ने जनता के लिये क्या नहीं किया यह नहीं बतलाया। उन्होंने यह भी नहीं बतलाया कि जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये जो बजट बनाया गया है वह किस तरह का है और उसमें क्या कमियां रह गई हैं। इसके बारे

में उन्होंने जो बात कही है उसको दलीलें देकर साबित करने की कोशिश नहीं की। काश्मीर के सवाल पर उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया शायद वह भी वही दृष्टिकोण था जोकि अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री डलेस साहब ने अपनाया है और पाकिस्तान का भी यही दृष्टिकोण है। वह भी यही कहता है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने इस बारे में जो तर्कमय आधार रखे हैं और जो रुख अख्तियार किया है उसको आज दुनिया में किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। आज काश्मीर की जनता यह कहती है कि हम हिन्दुस्तान के साथ हैं और हमको कोई उससे जुदा नहीं कर सकता। जब कामत साहब बोल रहे थे तो ऐसा मालूम होता था कि या तो वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं या अमरीका का समर्थन कर रहे हैं।

महाराजा बिलासपुर और जो दूसरे साहिबान हैं जिन्होंने कि इस बजट को इलेकशन बजट बताया है, मैं उनसे भी मुत्तफिक नहीं हूँ। एक सब से बड़ी वजह जो इस सम्बन्ध में बताई गई है वह यह है कि अपनी पंचवर्षीय योजना में १२०० करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग (घाटे की अर्थ व्यवस्था) हम कर रहे हैं, इसलिये हमें चाहिये था कि हम पहले साल में २०० या २५० करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग करते। चूंकि हम इतने का डिफिसिट फाइनेंसिंग न करके ३३८ करोड़ का डिफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इसलिये उनकी दलील है, जोकि नोट करने के काबिल है, कि यह इलेकशन बजट है। एक होशियार मेम्बर की तरह से उनको यह देखना चाहिये था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद जो अगली योजना हम बनाने वाले हैं उसमें हमें किन-किन चीज़ों की जरूरत है। अगर वह इन चीज़ों को देखते और इनका एक नक्शा सामने रखते तो शायद वह ऐसी दलील न देते। इस वक्त हमें सब से ज्यादा जिस चीज़ की जरूरत है वह इस बात की है कि हम अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज़ (औद्योगीकरण) करें। हमें आज कैपिटल गुड्स (पूंजी वस्तुएँ) चाहियें। हमें स्टील की आवश्यकता है, हमें सीमेंट की आवश्यकता है और इनके लिये हमें कारखाने खोलने हैं और इन तथा दूसरी चीज़ों के बारे में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इन चीज़ों के लिये आज हमें मजबूर होकर बाहर के मुल्कों पर डिपेंड करना पड़ रहा है। हम चाहतें हैं कि दूसरी योजना के दौरान में हम इन चीज़ों को यहीं बनायें और अपने कदम मजबूत करें और कदम-ब-कदम आगे बढ़ते चले जायें ताकि हमारा जो फारेन एक्सचेंज (विदेशी विनिमय) है वह बच सके। ३३८ करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग करने की इसी वास्ते आवश्यकता पड़ी है न कि इस वास्ते कि इलेकशन आ रहे हैं और हमको जीतना है। हमने अपने पिछले इतिहास से और पंचवर्षीय योजना की सफलता से यह साबित कर दिया है कि भारत की जनता के दिल में हमारे लिये कितना आदर है और हमने उसके दिल में हमारे लिये कितना स्थान प्राप्त किया है। अगले चुनावों में भी जनता आपको यह दिखा देगी कि वह किस पार्टी को पसन्द करती है।

प्राइवेट सैक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) के सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। कुछ दलीलें दी गई हैं कि जो टैक्स लगाये गये हैं वह बहुत लगाये गये हैं, और जितनी भी दलीलें दी गई हैं उन सब का यही मतलब निकलता है। यह कहा गया है कि बोनस शेयर्ज पर जो टैक्स लगाया गया है वह ज्यादा लगाया गया है। ६ परसेंट का जो डिविडेंड (लाभांश) है उससे ज्यादा पर टैक्स लगाया गया है और यह ठीक नहीं है। हमारे पांडे साहब ने बजट के आंकड़े पेश करके यह कहा कि जो पहले बजट बनाया गया था उसमें तो डिफिसिट (घाटा) दिखाया गया था लेकिन बाद में वह सरप्लस में वह तबदील हो गया। इस आधार पर उन्होंने यह कहा कि जो आपके अंदाजे थे वह गलत निकले। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि ६ परसेंट डिविडेंड के उपर जो टैक्स लगाया गया है वह नहीं लगाया जाना चाहिये था। अगर वह डिफिसिट फाइनेंसिंग के शास्त्री हैं तो क्या वह इस बात से इन्कार करेंगे कि वह कदम जो कि डिफिसिट फाइनेंसिंग करने के बाद इन्फ्लेशन (मुद्रा स्फीति) को रोकने के लिये ज़रूरी होता है वह कदम भी इसके साथ उठाना चाहिये था या नहीं इसलिये ६ परसेंट के ऊपर टैक्स लगता है तो मैं समझता हूँ कि यह कोई गलत बात नहीं है।

[पंडित सी० एन० मालवीय]

इसी तरह से प्राइवेट सैक्टर के सिलसिले में कुछ गलत फहमी है। इस गलत फहमी को मैं साफ करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में जब कभी भी मैं कहता हूँ तो हमारे बहुत से दोस्त जो प्राइवेट सैक्टर के हामी हैं वह उस पर कुछ गुस्से और नाराज़ हो जाते हैं। प्राइवेट सैक्टर की जरूरत को मैं महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सैक्टर का इस्तेमाल किया जाये। लेकिन यह जो बजट लीकेज करने वाले हैं यह कौन लोग हैं? यह जो टैक्स को इवेड करने वाले (टैक्स न देने वाले) हैं यह कौन लोग हैं? यह कहा जाता है कि प्राइवेट सैक्टर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या प्राइवेट सैक्टर के लोगों का यह फर्ज़ नहीं है कि वह इन चीज़ों को कंडेम करें। बजट लीकेज के बारे में अगर मैं यह कहूँ कि इस के लिये खुद नफा कमाने वाले लोग रिसपोंसिबल (उत्तरदायी) थे, यह उनकी रची हुई एक साज़िश थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने पहले इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज़ (राष्ट्रीयकृत) किया। इसके बाद हमने इनश्योरेंस को नेशनलाइज़ किया। यह हम इसलिये कर रहे हैं कि देश में समाजवादी ढंग की समाज कायम हो और इसकी ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। उन लोगों की साज़िश यह थी कि किसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवाया जाये। पहले तो वह यह समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब उनके हक में हैं। अब वह यह समझने लग गये कि यह कैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं कि इन्होंने हमारा समर्थन करना बन्द कर दिया है। एक ट्रेडीशन (परम्परा) चली आती है कि अगर बजट लीक हो जाये तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वह इस्तीफा दे देता है और उनका ख्याल था कि इस लीकेज से जो वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह भी इस्तीफा दे देंगे। मैं अपने नेताओं को उनकी दूरदर्शिता के लिये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर कोई गलत कदम नहीं उठाया और कौमी नुकसान होने से हमें बचाया। मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा हुआ कि इस ट्रेडीशन को फोलो (अनुसरण) नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि जांच करके उन लोगों को अच्छे तरीके से सजा देनी चाहिये जिन्होंने इस लीकेज में हिस्सा लिया है और इससे फायदा उठाया है। इससे फायदा उठाने वालों को वही सजा मिलनी चाहिये जो कि रिश्वत लेने वालों को मिलती है।

आज हमको अपने बजट के सिलसिले में डेफिसिट फाइनेंसिग की जरूरत हुई है। इस पर यह ऐतराज किया जाता है कि इससे इन्फ्लेशन होगा। लेकिन इसके लिये हमारा पिछले पांच साल का तजर्बा है। मैं ने तो इस बजट को खास तौर से इस दृष्टि से देखा है कि इन वर्षों में हमारी जनता की परचेजिंग पावर (क्रय शक्ति) बढ़ी है या नहीं। उनका स्टेंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) बढ़ा है या नहीं। जब से हमें आजादी मिली है आज तक हमें वह तजर्बा नहीं हुआ बावजूद इसके कि साइक्लोन आये, बावजूद इसके कि ज्यादा बारिश की वजह से नुकसान हुआ, कि बंगाल की तरह ३० या ४० लाख आदमी भूखों मर जाते जब कि गल्ले के ढेर लगे हुये थे, जैसा कि बृटिश शासन के समय में हुआ था। आज तक हमको कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि लोग भूख के मारे मर गये हों। हमने कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के जरिये से, नेशनल एक्सटेंटशन सरविसेज के ज़रिये से, फर्टीलाइज़र बांट कर, अच्छा सीड (बीज) बांट कर, ट्रेक्टरों द्वारा जमीन को आबाद करके देहात वालों को मदद करने की पूरी कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि अभी बेरोजगारी का अन्त नहीं हो गया है। मैं मानता हूँ कि इस दिशा में हम उतनी सफलता हासिल नहीं कर सके जितनी कि करनी चाहिये थी। एक पुरुषार्थी के लिये असंतोष होना बुरी बात नहीं है। हमको इस बात पर असंतोष है कि हमने जो कुछ किया है वह पूरा नहीं है। यह एक बात है। लेकिन यह दूसरी बात है कि यह कहा जाये कि हमने कुछ भी नहीं किया है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया वे अपने दिल पर हाथ रख कर देखें और देहातों में जाकर देखें कि कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के ज़रिये कितना काम हुआ है, कितनी जमीन ट्रेक्टरों से तोड़ कर खेती के योग्य बनायी गयी है, कितने स्कूल और अस्पताल खोले गये हैं। यह ठीक है कि ये चीज़ें अभी हम सब गावों में नहीं कर सके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह कि है जनता की परचेजिंग पावर बढ़ी है और उसका स्टेंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा हुआ है।

अब जो हमारी सैकिंड फाइव इअर प्लान है उसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन (औद्योगीकरण) पर जोर देना चाहते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हम एम्पलायमेंट को भी काफी बढ़ाना चाहते हैं। इस बारे में पिछले पांचवर्षों में हम पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है उसके २३वें सफे पर आप देखेंगे कि आठ मिलियन लोगों को पूरी तरह से रोजगार देने की हमारी स्कीम है। इस तरीके से जो एम्पलायमेंट हम देना चाहते हैं वह भी हमारी स्कीम में है और साथ ही साथ हम अनएम्पलायमेंट के फिगर्स (बेकारी के आंकड़े) भी इकट्ठे कर रहे हैं। यहां मुझे यह बात दु:ख के साथ कहनी पड़ रही है कि हमने पहले भी कहा था कि हम बेरोजगारी के आंकड़े तैयार कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर पाये हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत उलझी हुई बात है लेकिन फिर भी हमको इसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि हम इस समस्या को पूरे तरीके से अपने हाथ में ले सकें।

डेफिसिट फाइनेंन्सिंग का मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना का जो बड़ा वाल्यूम है उसके सफे ५९, ६० और ६१ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग के सिलसिले में जो पालिसी निर्धारित की गयी है गवर्नमेंट ने पालिंसी का हर्फ व हर्फ पालन किया है। सरकार निश्चिन्त होकर नहीं बैठी। जहां भी उसे इनफ्लेशन मालूम हुआ वहां ही उसने उसको रोकने की कोशिश की। फाइनेन्स मिनिस्टर ने होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस और कैपीटल एक्सपेंडीचर (पूंजी खर्च) को जिस तरीके से बतलाया है उससे यह साबित होता है कि इनफ्लेशन को हमने रोका है बढ़ने नहीं दिया है। साथ ही साथ एक अन्दाज़ा लगाया है। यह जरूरी नहीं है कि हम ३३८ करोड़ का डेफिसिट फाइनेंन्सिंग करें। लेकिन एक दूरदर्शी आदमी का यह काम है कि वह जब भी कोई योजना बनावे तो उसमें इस बात की गुंजाइश रखे कि अगर किसी वक्त किसी तरह की गड़बड़ हो तो वह उसका सामना कर सके। हो सकता है कि रेवेन्यू (राजस्व) में तरक्की हो जाये या खर्चों में कमी हो जाये और इस वजह से जितना डेफिसिट फाइनेंन्सिग करना चाहते हैं उतना न करना पड़े। लेकिन हम उन्नति के कामों में पूरे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिये हम अपने पास पूरी गुंजाइश रखना चाहते हैं। हमारे गांधी साहब ने कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक तरह का टैक्स है। लेकिन मैं इसको टैक्स नहीं मानता। यह तो कुछ ऐसा है कि अगर मुझे टैक्स देना है पर मेरे पास रुपया नहीं है तो मेरा मित्र वह टैक्स मेरी तरफ से दे देता है। यह तो कौम का क्रेडिट है। उसके पीछे हमारा बैंकिंग है। उसके पीछे जो हमारा ७३१ करोड़ का स्टरलिंग बैलेंस (पौंडपावना) है उसका बैंकिंग है। इसमें हमको कोई कमजोरी नहीं होने वाली है। इनफ्लेशन को रोकने के लिये यह जरूरी है कि जो हमारा रुपया फिजूल जाता है उसको रोकें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में यह भी साफ कर दिया है कि हम इस नीति का भी अनुसरण कर रहे ह। हम यह नहीं चाहते कि आंकड़े इकट्ठे करके जनता को जाल में फंस कर यह साबित कर दें कि हमने जनता का जीवनस्तर बढ़ा दिया है बल्कि हम हकीकत में चाहते हैं कि जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठायें।

मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इनकमटैक्स के मामलों को चाहे जब खोला जा सकता है। इसके लिये बहुत आंसू बहाये गये हैं। लेकिन मुझे टैक्स इवेडर्स से किसी तरह की भी हमदर्दी नहीं है। फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो आठ साल की मियाद को हटाकर यह प्रावीजन (उपबन्ध) रखा है कि इनकम टैक्स के मामलों को खोलने की कोई मुद्दत न हो मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में जनता पूरी तरह से उनके पीछे है। ऐसे चोरों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिये।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हमको फारिन एड (विदेशी सहायता) मिली है। उसके सिलसिले में इकानमिक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है जिससे मालूम होता है कि उसका जैसा यूटीलाइजेशन (उपयोग) होना चाहिये था वैसा नहींहो पाया। यद्यपि किसी हद तक यह मामला

[पंडित सी० एन० मालवीय]

दूसरों के हाथ में है लेकिन हमको कोशिश करना चाहिये कि इस प्रकार का भेद न पड़े। हमको अपने यहां भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार का भेद न होने पावे। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो रकम दी जाने वाली है वह इतनी देर से दी जाती है कि ठीक वक्त पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। सैकिंड फाइव इअर प्लान में हमें चाहिये कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें।

आख़िर में मैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल यह होता है कि जब किसान अपना गल्ला बेचता है तो उसको कम दाम मिलते हैं और उसी गल्ले को मिडिल मैन सवाये, ड्योढ़े और दूने दाम पर बेचता है। मैं चाहता हूं कि हमको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये कि यह जो मिडिल मैन को नफा होता है उसका कुछ हिस्सा किसान को भी मिलना चाहिये। अगर और कोई तरीका न हो तो गवर्नमेंट इस काम को अपने हाथ में ले ले ताकि अगर उसके पास इस काम के सिलसिले में कुछ रकम बचे तो उसे हम कौम के फायदे के लिये इस्तेमाल कर सकें।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) :

नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्ये जनकात्मजायै।
नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो
नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रगणेभ्यः॥

माननीय सभानेत्री महोदया,

स्तवत्यनोड्कारपूर्वं पुरस्ताच्चविशीर्यति

मनु महाराज ने लिखा है कि जिस कार्य के पहले मंगलाचरण नहीं होता, भगवद् नाम नहीं होता वह जरूर आदि और अन्त दोनों में लीक कर जाता है। हमारे श्री देशमुख महाराज पहले ही से लीक कर गये। और वह लीक करने का कारण भी यह है कि वे देश के मुख हैं और देशमुख की समस्त इंन्द्रियां हैं।

परांचिखानि व्यतृणत्स्वयम्भू
तस्मात्परं पश्यति नान्तरात्मा॥

उनकी दृष्टि लगी हुई है बाहर के देशों पर। अमरीका पर, इंगलैंड पर और दूसरी ओर रूस पर उनकी दृष्टि लगी हुई है। उनकी अन्तर्मुख वृत्ति नहीं होती। घर में जो वस्तु है वह भी लीक करती है।

एक माननीय सदस्य : ये बातें उन नास्तिकों से कहिये।

श्री नंदलाल शर्मा : नास्तिक तो वैसे ही गये बीते हैं।

यह एक आबजेक्शन (आपत्ति) है और देशमुख साहब को इस बात को नोट कर लेना चाहिये। यह सन्तोष का विषय है कि नास्तिकों के हाथ में आज हमारे देश के शासन की बागडोर नहीं है और भगवान न करे कि देश की बागडोर जिनके हाथों में है, अगर वे कहीं अपने पथ से विचलित हो गये और बिगड़ गये तो जरूर देश को मिटा देंगे। नास्तिक मरेगा तो स्वयं आप ही मरेगा और किसी को तो नहीं मारेगा लेकिन यह अगर बिगड़ गये तो देश ही मटियामेट हो जायगा। हम इस बात को देख रहे हैं कि देश में चारों और पंचवर्षीय योजना के गुण गाये जा रहे हैं और जनता में सर्वत्र प्रचार किया जा रहा है कि अमुक अमुक बड़ी बड़ी योजनायें उनके लाभ के लिये बनाई जा रही हैं और जनता बड़ी सुखी है। स्वयं श्री देशमुख इस बात को स्वीकार करते हैं और अपनी बजट स्पीच के अन्त में वे इस प्रकार कहते हैं : "कठिन परिश्रम करना पड़ता है और तत्काल फल की इच्छा को त्यागना पड़ता है। अतः एक योजना एक प्रकार का यज्ञ है अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक् स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि यह एक प्रकार का एलडीरैडो क्षितिज है जो कहीं मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट फाइव इयर प्लान की कामयाबी को सेकेंड फइव इयर प्लान में देखना चाहिये। सेकेंड फाइव इयर प्लान के दौरान जनता को

हार्ड वर्क करना है और उसको फल की आशा नहीं करनी है। "माफलेषु कदाचन"। फल की कभी आशा न रक्खो। मुझे इस बात की भी चिन्ता नहीं अगर जनता के कल्याण के लिये एक व्यक्ति या २,४, १०, २० या ५० व्यक्तियों का भी बलिदान हो जाय परन्तु उसके साथ ही जनता का भी बलिदान हो जाय, राष्ट्र का भी बलिदान हो जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अगर इस बजट के कर प्रस्तावों को देखा जाय तो उसमें पूर्ण रूप से बेग, बौरो, स्टील और रौव यह चारों अंश दिखाई देते हैं। पहले अगर हमें कहीं से भिक्षा मिल सके तो हमें भिक्षा मांगें। जनता से हमने कहा है कि वह स्मौल सेविंक्स् (अल्प बचत) करे और बाहर के देशों से हमने कहा है कि भाई तुम कुछ हमारी सहायता करो और यह समय की बलिहारी है कि जो व्यक्ति हमारा मुंह ताका करते थे, हम उनसे २, २ और ४, ४ लांख रुपये की सहायता की भीख मांग रहे हैं और उसपर भी हम यह दावा करते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश हैं और अर्थात् अपने को एक स्वाभिमानी देश कहलाते हैं। हमारे बजट के कर प्रस्तावों में चारों चीजें मौजूद हैं, बैग भी है, बोरो भी है और स्टील भी है और रौव भी है और हम देख रहे हैं कि देश की जनता को एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) में वृद्धि करके चूसा जा रहा है और मैं समझता हूं कि अगर धनवान लोगों को ही चूसा जाता और रौव किया जाता तो कोई विशेष बात नहीं थी क्योंकि धनवानों के पास जिनके पास अतुल सम्पत्ति थी अगर उनसे इस तरह २०, २० या ५० करोड़ रुपया छीन भी लिया तो क्या हुआ। आप यह विचार कर देखें कि आपके उत्पादन शुल्क की वृद्धि का प्रभाव किस पर पड़ेगा। यह सारा भार जनता को ही वहन करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऐसा व्यापारी बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अपनी जेब से इस कर की ओर एक कौड़ी भी दे और अन्त में जाकर उसको जनता के मत्थे ही यह अतिरिक्त ड्यूटी मढ़नी है। जनता कर भार से पिसती चली जाती है और कोई उसकी ओर देखने वाला नहीं है। हमारे देशमुख साहब ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एक बार यदि इनफ्लेशन (मुद्रा स्फीति) के फ्लडगेट्स खुल गये तो उसको रोकना असम्भव हो जायगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है और उसके बाद भी वह यह कहते हैं :

"अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्"

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह वह दैवी यज्ञ नहीं है जो श्रीमद्भागवत गीता का कहा हुआ है। यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्रलोकोऽयं कर्मबन्धनः। कांग्रेस के भाई मुझे इस स्पष्टवादिता के लिये क्षमा करेंगे और मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस एक पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस के बाहर जितने भी अन्य लोग हैं वे सब शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जातियों) के हैं, योग्य से योग्य व्यक्ति भी जो कांग्रेस के बाहर हैं, वे उनको किसी काम के नहीं दिखाई देते और उसका परिणाम हम यह देख रहे हैं कि जो काम आप उठाते हैं वह चौपट हो जाता है · · · · ·

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

एक माननीय सदस्य : क्या आप भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं ?

श्री नंदलाल शर्मा : आपके लिये मैं भी शेड्यूल्ड कास्ट हूं। दूसरे देशों में हम देखते हैं कि हमारे वहां की मां और बहनें कलचरल शोज़ में वहां के लोगों के सामने नाचती हैं मैं और आप अपना कलचर संसार के सामने रख रहे हैं। इससे मेरा सिर तो शर्म के मारे झुक जाता है कि कलचर के नाम पर किस तरह हम अपने देश के गौरव और प्रतिष्ठा को बट्टा लगा रहे हैं · · · ·

एक माननीय सदस्य : वह तो अपनी कला के पदर्शन के लिये है।

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : दूसरे देशों से भी यहां बहनें आ रही हैं और अपनी कला का प्रदर्शन हम लोगों के सामने कर रही हैं

श्री नंदलाल शर्मा : यह कला का प्रदर्शन नहीं है। मैंने यह निवेदन किया है कि हमारी सरकार ऐसे विषयों पर रुपया खर्च करती है और उसके लिये जनता के ऊपर टैक्स लगाती है और उनसे कहती है कि अभी पैसा चाहिये यः का किणोम प्यपथ प्रपन्नां समुद्धरेन्निषक सहस्र तुल्यां। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार की डेफिसिट फाइनेंसिंग (घाटे को अर्थव्यवस्था) दीवाले का बजट कब तक चलता जायगा ? हम यह भी देखते हैं कि वर्ष के आरम्भ में तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है और साल के अन्त में कुछ न कुछ सरप्लस रह जाता है। ताज्जुब तो यह है कि जिसके लिये वह पुष्पं, पुष्पं विचिन्नवीत कहते थे, उन्हीं देशमुख साहब ने स्वयं इवांगाकारकः की तरह जनता को चूसना शुरू कर दिया है और मैं समझता हूं कि इस तरह एक दिन जनता की कमर टूट जायगी और अभी से उनकी कमर टूटनी आरम्भ हो गई है और मेरे पास छोटे-छोटे दुकानदारों और साधारण से साधारण व्यक्तियों ने आकर बतलाया कि चीज़ें मंहगी हो गई हैं और उनके पास कोई ख़रीदने को नहीं आता और वे लोग दुकान पर मक्खी मारते रहते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति इस बजट के आरम्भ से ही होनी शुरू हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि आगे चलकर हमारी कैसी शोचनीय स्थिति हो जायगी। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और मैं समझता हूं कि आपको जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर जैसे कि वस्त्र और साबुन इत्यादि पर और अधिक उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिये था।

आप निरंतर मद्य-निषेध और प्राहिब्शन की आवाज़ लगाते हैं लेकिन आप उसको जहां तक सम्भव हो सके कम करने और खत्म करने के लिये आवश्यक क़दम नहीं उठाते हैं। आप मद्य-पान के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगा देते कि जिससे साधारण व्यक्ति के लिये उसको ख़रीदना और प्राप्त करना दुर्लभ हो जाय और अगर आप इस तरह अपनी एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ायें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि रुपये की आमदनी करने के अलावा आप मद्य-निषेध को कामयाब बनाने के लिये भी काम करेंगे। इसी तरह आप तम्बाकू पर भी टैक्स में वृद्धि कर सकते थे और इस तरह इस बुरी चीज़ को किसी हद तक कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। आप कास्मेटिक्स पर ऋंगार आदि सामग्री पर जिनकी कि कोई विशेष आवश्यकता जनता को नहीं होती, ऐसी अनावश्यक वस्तुओं पर यदि आप टैक्स लगाते तो हम भी समझते कि आप कुछ उपयोगी काम कर रहे हैं और हम उनका उसके लिये स्वागत करते किन्तु वह सब न करके आपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाना शुरू कर दिया है और वह कष्टप्रद है। इसके साथ-साथ में एक बार फिर यह कहूंगा कि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपकी जो यह योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं के सहायतार्थ जो आपको विदेशों से सहायता मिलती है वह रुपये के रूप में नहीं मिलती है और वह सहायता आपको उन देशों के एक्सपर्टस् (विशेषज्ञों) की सेवा के रूप में मिलती है। हम यह देख रहे हैं कि सोश्यल वेलफेयर (समाज कल्याण) के कार्यों के लिये बाहर के देशों से एक्सपर्टस् बुला रहे हैं।

आप के देश के अन्दर डा० राधा कृष्णन् एक्स्पर्ट नहीं रहे समाज कल्याण के, हमारे स्पीकर महोदय एक्स्पर्ट नहीं रहे, राजर्षि टंडन नहीं रहे और कोई महात्मा नहीं रहे आपके अपने समाज को सुधारने के लिये, जो कि यहां की परिस्थिति को जानते हैं। आप अमरीका, स्वेडेन और दूसरे देशों से एक्सपर्टस् बुलाते हैं और उनके ऊपर खर्च करते हैं। इस का फल यह होता है कि आप की गुप्त से गुप्त बात, मैं यह संकेत बजट की ओर नहीं कर रहा हूं, परन्तु गुप्त से गुप्त बात अपनी युद्ध विद्या के सम्बन्ध में आप विदेशियों के हाथ में दे देते हैं। उसकी सारी बातें उन को पता रहती हैं। जिस मकान के अन्दर तिजोरी ही चोर ने बनाई हो उस के अन्दर छिपाया हुआ धन कैसे सुरक्षित रह सकता है, इस को आप समझ सकते हैं। सीएटो और नैटो आपके चारों ओर घूम रहे हैं, शैतान आपके चारों ओर घूम रहा है, और मैं जानता हूं कि उस से बचने की कितनी शक्ति आप के अन्दर है।

"मन्त्रो योद्ध इवाधीरः सर्वांगैः संवृतैरपि।
चिरं न शक्यते स्थातुं परेभ्यो भेदशंक्या।।"

वह तत्व ही यहां पर विद्यमान नहीं दिखाई देता । जरा सी कीमत पर, कई लोग आपके अन्दर पड़े हुये हैं जो आपके कर्मचारियों को मोल ले कर आपकी सामग्री ले जा सकते हैं । अगर ऐसा हो जाय तो आप की परिस्थिति क्या होगी ? मैं कहता हूं कि आप इतने भयंकर वेग से, ब्रेक नेक स्पीड से बढ़ते चले जा रहे हैं जिस का कोई ठिकाना नहीं है । आप ने अपनी फाइव इयर प्लैन को भी इसी तरह से बनाया है । मैं यह नहीं चाहता कि देश की उन्नति न हो परन्तु आप की शक्ति के अन्दर वह उन्नति होनी चाहिये । अगर आपके घर के अन्दर दाने हैं तो आप अपनी बुढ़िया मां को भुनाने के लिये दें, अगर नहीं हैं तो दूसरे से भीख मांग कर, कर्जा मांग कर अथवा जनता को दुखित करके ऐसा न करें । यह "अनेन प्रसविष्य-ध्वमेष वाऽस्त्विष्टकामधुक" नहीं है । यह है "अनेन मा हृसिष्यध्वं मेषवाऽस्तिस्त्वष्टकामधक्" । इसके द्वारा कहीं ऐसा न हो कि आपका सर्वनाश हो जाय और आप की समस्त कामनायें सदा के लिये जल जायें । इस भावना से इस आसुरी यज्ञ को केवल कांग्रेसी बहुमत के बल पर चलाना बन्द कर दें । आप निश्चित रूप से जनता को जनता समझिये । आपके विरोधी पक्ष में एक भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जब तक कि उस का जन्म ही विदेशी आदर्शवाद के द्वारा न हुआ हो, कम से कम मुझे प्रतीत नहीं होता , जो हमारे राष्ट्र को अथवा हमारे देश को किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता हो अथवा जो यह चाहता हो कि यह सरकार उलट जाय । हम सब समझते हैं कि देश चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ है । किन्तु हमें आप अपने विचार व्यक्त करने देने के स्थान पर बाबू रामनारायण सिंह जैसे व्यक्तियों को १२४ए में दंडित करना चाहते हैं जिसको हाई कोर्ट मना करता है, निषिद्ध करता है । यहां पर प्रिविलेज (विशेषाधिकार) का प्रश्न भी उठाया गया परन्तु अभी तक आप उन का मुख बन्द करने की चेष्टा कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप विरोधी लोगों को रोकने की चेष्टा न करें तथा साथ में यदि आप समस्त कार्यों में उन की सहायता लेंगे तो आपको लाभ होगा ।

†**श्री मात्तन** : माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो यथार्थवादी आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं ।

लोक-सभा के प्रमुख सदस्य श्री अशोक मेहता ने कहा था कि यह एक राजनीतिक अस्त्र है । उनकी बात सुन कर मुझे आश्चर्य और दुख हुआ था । ऐसे ही शब्द श्री एच. एन. मुकर्जी ने भी कहे थे । मैंने कई सदस्यों को घाटे की अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में निन्दा करते हुये या चिन्ता प्रकट करते हुये सुना । हमारे देश की बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में, जब कि हम अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारी योजनाओं की आवश्यकताओं के लिये नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था न की गई तो यह माननीय वित्त मंत्री का दोष होगा । मैं आय-व्ययक के ब्योरे में नहीं जा रहा परन्तु कुछ विशिष्ट बातें हैं, जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं ।

मैं विशेष रूप से ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं । यह सच है कि हमने सोच विचार कर एक समाजवादी प्रकार के समाज को अपनाया है । जैसा कि प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं, इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश और अपनी जनता की समृद्धि के लिये कार्य करना है । समाजवादी ढांचे में मेरा विश्वास है । मैं पूंजीपति नहीं बनना चाहता । इसके साथ ही मैं एक ऐसे वातावरण में पला हूं जिसने मुझे अपने विरोधियों के प्रति भी शिष्ट होना सिखाया है । अणुशक्ति इस्पात, विमान, टेलीफ़ोन और तार, बैंक, जीवन बीमा जैसे उत्पादन के ढंगों के सामाणिक स्वामित्व के दर्शन पर हम चल रहे हैं ।

यह एक काल्पनिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये । न केवल प्रधान मंत्री बल्कि माननीय वित्त मंत्री और कई अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिये । हमने सोच समझ कर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को संघ सरकार की नीति के रूप में स्वीकार किया है । लोक-सभा में और लोक-सभा से बाहर दुर्भाग्यवश मैं पूंजीपतियों की निन्दा सुनता हूं जैसे कि वे अछूत और धर्मसे बाहर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

निकाले गये व्यक्ति हों और मैं विदेशियों की निन्दा भी सुनता हूं, चाहे वे विदेशी कितने ही विशेषज्ञ क्यों न हों और उनकी अनुभव की हमें कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो ।

मैं मानता हूं कि बहुत से पूंजीपतियों की आलोचना करने का औचित्य हो सकता है परन्तु कई ईमानदार और शिष्ट व्यक्ति भी हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योग दिया है । हमारी प्रथम योजना में उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और हमें आशा है कि वे द्वितीय योजना में भी ऐसा ही करेंगे । तो क्या एक वर्ग के रूप में उनकी निन्दा करना हमारे लिये उचित होगा ? कुछ समितियों में यदि हम ऐसे किसी पूंजीपति को बुला लें, जो हमें उस विषय के सम्बन्ध में कुछ बता सकता हो, जिसे समिति के सदस्य नहीं जानते हों, तो कई सदस्यों को इस पर आपत्ति होती है ।

इसलिये मैं आपसे और अपने साथियों से, न केवल नैतिक आधार पर बल्कि आर्थिक आधारों पर, अपील करता हूं कि वे पूंजीपतियों से घृणा न करें । आज वे समाजवादी ढांचे से अत्यधिक चिन्तित हैं । मेरे विचार में हाल ही के दिनों में जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण से वे सबसे अधिक चिन्तित या उत्तेजित हुये हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्): मेरे विचार में पिछले वर्ष आय-व्ययक सम्बन्धी अपने भाषण में मेरे माननीय मित्र ने बीमे के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी ।

†**श्री मात्तन** : न केवल पिछले वर्ष बल्कि पिछले तीन वर्षों से मैं उसकी मांग करता आ रहा हूं और अब भी मैं उसकी पुष्टि करता हूं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्हें एकाधिपति बनाना औद्योगिक हितों में नहीं होगा । एक शिष्ट ग़ैर-सरकारी क्षेत्र भी रहना चाहिये ताकि स्पर्धा रहे । जब तक स्पर्धा (प्रतिद्वन्द्विता) नहीं होगी तब तक कोई भी औद्योगिक कार्य विकसित नहीं हो सकता । हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री के जोश के कारण एक, दो या तीन वर्ष तक प्रगति होती रहे परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि पांच वर्ष पश्चात् आप इसमें अन्तर पायेंगे । मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने कहा था कि जब तक किसी उद्योग का एकाधिपत्य न हो, सरकार उसे नहीं चला सकती है । माननीय वित्त मंत्री को उनकी चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिये और यह दिखा देना चाहिये कि वे इसे ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अच्छा चला सकते हैं । मुझे विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक दक्ष रूप से इन बातों का प्रबन्ध कर सकता है । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में कदाचार ऊपर से शुरू होते हैं । जब कि सरकारी क्षेत्र में ऊपर के लोग कदाचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं । वहां पर सब से नीचे या मध्य में कदाचार जन्म लेते हैं । यदि कदाचार न होते तो मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री जीवन बीमा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जल्दी न करते । परन्तु मेरी केवल यह प्रार्थना है कि कम-से-कम एक दर्जन समवायों को कायम रहने दीजिये । आप उन्हें कम स्वतंत्रता दे दें, आप उनमें से पूंजीपतियों को निकाल दें और उन्हें पारस्परिक समवाय बना दें, लेकिन वे कड़े नियन्त्रणों वाली स्वतंत्र कम्पनियां होनी चाहियें ताकि राष्ट्रीयकरण की योजना फल-फूल सके और जिस प्रयोजन से उसे पुरःस्थापित किया गया है वह पूरा हो सके ।

माननीय संचार मंत्री के सच्चे प्रयत्नो के बावजूद मुझे विश्वास है कि मेरे जिन मित्रों ने विमान द्वारा यात्रा की होगी वे मेरी इस बात की पुष्ट करेंगे कि इस सेवा का स्तर गिर गया है । क्यों ? क्योंकि इसमें प्रतिद्वन्द्विता नहीं है । कारोबार सरकार के हाथों में है । यदि प्रतियोगिता के लिये एक भी खण्ड हो तो कार्यदक्षता बढ़ जायेगी । मेरे विचार में प्रवर समिति में ऐसी एक मांग की गई थी और यदि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता तो बहुत सुधार हो जाता और हम आज कहीं अच्छी स्थिति में होते । सरकार किसी भी उद्योग को अपने हाथों में ले, चाहे अधिकतम नियन्त्रण रखा जाये, पर ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी कुछ रखा जाये, ताकि स्पर्धा की भावना बनी रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं स्पष्टीकरण के लिये माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विमान सेवा में सुधार के लिये त्रुटियों या कमियों या किसी गिरावट की ओर संकेत किया था या अन्य किसी प्रकार का कोई सुझाव कभी दिया था । यदि वह कोई सुझाव दे सकें तो मैं कृतज्ञ हूंगा ।

†**श्री मात्तन** : मैंने विमानों को गन्दा और कई बार ग़लीज़ देखा है । मैंने एक ओर को सामान रखा जाता देखा है जिससे कि कोई व्यक्ति ठीक तरह से बैठ नहीं सकता ।

†**श्री राज बहादुर** : मेरा प्रश्न यह था कि जब आपने ये सब बातें देखीं तो क्या कभी उन्हें विमान निगम अधिकारियों को या हमें बताया और उनके सम्बन्ध में हमें लिखा था ?

†**श्री नम्बियार** : वह अब ऐसा कर रहे हैं ।

†**श्री मात्तन** : मैं अपने अनुभव की बिना पर नहीं बल्कि अपने मित्रों की रिपोर्ट पर ये बातें कह रहा हूं । मैं आजकल रेलगाड़ी में यात्रा करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि संस्पर्धा की ख़ातिर प्रत्येक क्षेत्र में एक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र भी रहने देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है ।

†**श्री मात्तन** : कुछ समय माननीय मंत्री ने ले लिया था । मैं शीघ्र ही भाषण समाप्त करता हूं । इसी प्रकार सड़क परिवहन, जहाज़ निर्माण में और मशीनी औज़ार उद्योग में भी किसी के लिये भी एकाधिपत्य नहीं होना चाहिये ।

†**एक माननीय सदस्य** : रेलवे ?

†**श्री मात्तन** : मैं रेलवे तथा डाक और तार की चर्चा नहीं कर रहा । वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । जब मैं इस बात से सन्तुष्ट हो जाऊं कि सरकारी क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं उसका कार्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में सौंपने पर ज़ोर नहीं दूंगा । परन्तु सम्पूर्ण जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण एक ज्यादती है ।

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण पहलू विदेशी कारोबार है । यह एक ऐसा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसकी अत्याधिक सम्भावनायें हैं । इसे खो देने से भारी हानि होगी ।

भारत एक उपमहाद्वीप है । यदि हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसी कि इसमें होती रही है और हो रही है, तो कोई भी देश हमारी प्रगति को रोक नहीं सकेगा । आप जानते हैं कि अमेरिका में बनने वाली मोटर गाड़ियों के ९५ प्रतिशत भाग की खपत अमेरिका में ही होती है । यही लाभ हमें हैं । यदि कोई भी देश हमें वस्तुयें न भेजे तो भी हम अपना विकास स्वयं कर सकते हैं । इस प्रकार अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के बाद हम अपने पड़ोसी देशों को, जिनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है, अपने ज्ञान का लाभ पहुंचा सकते हैं ।

मैं यह चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में नियम और विनियम और विधियां ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के नियमानुकूल बनाई जायें ताकि न्यूनतम अन्तर दोनों में रह जाये और लाभ तथा प्रशासन कार्य में एक ऐसा समय आ जाये जब एक दूसरे में संस्पर्धा चाहे हो पर अन्तर अधिक न रहे ।

मैं कुछ शब्द अपने राज्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री, योजना आयोग और प्रत्येक सरकारी सदस्य की प्रवृत्ति मेरे राज्य को अन्य किसी भी राज्य की भांति समझने की रही है । मेरे राज्य से उसकी शक्तियों के कारण, विशेष व्यवहार किया जाना चाहिये । हम सारे भारत में सब से अधिक पढ़े लिखे हैं और सब से बड़ी समस्या बेरोजगारी की है । हमारी शिक्षित स्त्रियां तथा पुरुष भारत के विकास में सहायता कर सकते हैं परन्तु वे राष्ट्रीय एकता और भारत की अखण्डता के लिये ख़तरा भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

बन सकते हैं। इसलिये मेरे राज्य की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। हम एक स्थायी कार्य दक्ष और ईमानदार प्रशासन चाहते हैं।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : क्या मेरे माननीय मित्र राष्ट्रपति का शासन चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री बोगावत का नाम पुकारा है।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर-दक्षिण) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के आय-व्ययक में पिछले वर्षों के परम्परागत ढंग की अपेक्षा थोड़ा सा अन्तर भी है। धनी व्यक्तियों पर कुछ सीमा तक कर लगाया गया है। निगम-कर, अधि-कर और आय-कर में भी वृद्धि की गई है। आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने से पहले हमें आशा थी कि धनी तथा निर्धन व्यक्ति में खाई को पूरा किया जायेगा; कम-से-कम निर्धन वर्गों की भांति धनी वर्ग पर भी करारोपण का समान अनुपात होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

करारोपण प्रस्तावों में हमने देखा है कि डाक तथा तार की दरों में वृद्धि की गई है और वनस्पति तथा निर्गंध तेलों पर करारोपण हुआ है। अधिकतर भार जन-साधारण पर पड़ा है। यदि हम धनी वर्गों को देखें तो आयकर, अधि-कर और निगम कर में वृद्धि के बावजूद कुछ और करों की गुंजाइश है। समवायों द्वारा देय निगम-कर के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ७५,००० रुपये तक नौ पाई प्रति रुपया और १,५०,००० रुपये तक एक आना प्रति रुपया करारोपण का प्रस्ताव है। मेरा प्रस्ताव यह है कि एक लाख रुपये तक एक आना प्रति रुपया और एक लाख से डेढ़ लाख रुपये की रक़म पर डेढ़ आना प्रति रुपया और डेढ़ लाख से अधिक की राशियों पर कुछ और अधिक कर लगाये जाने चाहियें। इसी प्रकार लाभांशों पर कर के सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि इसे रुपये में तीन आने तक और १० प्रतिशत के बाद चार आने तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही सम्पदा शुल्क पर तथा धनी व्यक्तियों के बड़े-बड़े ख़र्चों पर वह कर लगाने का प्रस्ताव कर सकते थे। जब तक ऐसा नहीं होता और निर्धन तथा धनी व्यक्ति के बीच करारोपण संतुलित नहीं होता तब तक, मेरे विचार में, हम समाजवादी ढंग के समाज की रचना के अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से नहीं बढ़ पायेंगे।

आय-कर के सम्बन्ध में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री पुराने लेखों की छानबीन करने के लिये अधिकार देंगे। कारोबार व्यक्तियों की आदत होती है कि वे अपनी आमदनी को छिपाते हैं और लेखा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न हिसाब-किताब रखते हैं। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि कर देने से आनाकानी करने वालों को दण्ड दिया जाये।

अब मैं राष्ट्रीयकरण की बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार वित्त मंत्री ने बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण किया है, उन्हें अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु उन्हें सभी उद्योगों में १५ लाख या २० लाख तक के उद्योग को छूट देनी चाहिये ताकि वह उद्योग ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में रहे, और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में भली भांति कार्य करता रहे, और कोई ऐसा सन्देह उनके मन में उत्पन्न न हो कि वे पूंजी लगायें या न लगायें।

अब मैं बेरोज़गारी की समस्या पर आता हूं। हमारा देश बहुत ही निर्धन देश है। पढ़े-लिखे लोगों को भी रोज़गार नहीं मिलता। इसलिये वित्त मंत्री को इस समस्या के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिये। नहीं तो और अधिक हानि होगी, लोग बेकार बैठे रहेंगे कुछ साम्यवादी बन जायेंगे और खिंचाव पैदा हो जायेगा। इसलिये यह समस्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका ध्यानपूर्वक समाधान किया जाना चाहिये अन्यथा हमारे नौजवानों का पतन हो जायेगा।

मैं प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश में जो कुछ हो रहा है हम उसकी ओर से आंखें नहीं मून्द सकते। हम शान्ति चाहते हैं, तटस्थ रहना चाहते हैं परन्तु जो कुछ

†मूल अंग्रेजी में

पड़ोस में हो रहा है उसकी ओर से हम अपनी आंखें कैसे बन्द कर सकते हैं ? वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, काश्मीर के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया और सैनिक सहायता दी गई। पड़ोसी देश में आय-व्ययक का ६५ प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा व्यय के लिये सुरक्षित रखा गया है। हम अपना प्रतिरक्षा व्यय किसी भी प्रकार नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि हमने इस ओर लापरवाही बरतो तो हो सकता है किसी दिन ये व्यक्ति हमारी स्थिति का अनुचित लाभ उठालें। समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि आदिम जाति के व्यक्तियों को उकसाया जा रहा है। वे काश्मीर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिये हमारे देश की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था बहुत ही ठोस और शक्तिशाली हो। प्रतिरक्षा पर और देश की सुरक्षा पर कुछ भी क्यों न खर्च किया जाये, मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री को बता देना चाहता हूं कि उस पर किसी को कुछ भी आपत्ति न होगी।

इसी प्रकार शिक्षा के सम्बन्ध में भी और अधिक राशि सुरक्षित रखी जानी चाहिये थी। हमारे संविधान के अनुसार पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये निश्शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो जाना चाहिये। परन्तु यदि हम ने इस सम्बन्ध में और खर्च न किया या राज्यों को सहायता न दी तो निश्शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कैसे दी जा सकेगी ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन बातों के बाद अब मैं अकाल-पीड़ित क्षेत्रों और अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जिस प्रकार हम बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की ओर ध्यान देते हैं उसी प्रकार हमारे देश में जब कभी कहीं अकाल पड़े हमें उस क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना चाहिये। यद्यपि राममूर्त्ति समिति ने और अन्य समितियों ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं तथापि उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। राममूर्त्ति समिति ने कुकडी परियोजना के लिये १२ करोड़ रुपये का सुझाव दिया था परन्तु अभी तक गोड़ परियोजना के लिये डेढ़ लाख रुपये का अनुदान देनें के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया है।

यदि अभाव पीड़ित क्षेत्रों की ओर ध्यान न दिया गया तो ऐसे क्षेत्रों में सदैव निर्धनता रहेगी। यह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र या मेरे ज़िले का ही प्रश्न नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी ज़िले शोलापुर और देश के अन्य भागों का भी प्रश्न है।,

मुल्ला परियोजना है। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये छः करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। परन्तु राज्य सरकार ने ८,३९ लाख रुपयों में से केवल ३ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

मेरे ज़िले में रान्ध्रव बन्दर दारा परियोजना जैसी अन्य कई अच्छी परियोजनाएं हैं जिनसे ज़िले के लिये पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। परन्तु इन्हें भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन पिछड़े हुये और अविकसित क्षेत्रों की ओर जो कि अभाव पीड़ित क्षेत्र हैं, अवश्य ही ध्यान देना चाहिये।

अब मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय का सम्बन्ध है, मेरे विचार में हमें इसके लिये और अधिक रक़म देनी चाहिये थी। बहुत से व्यक्ति क्षय रोग, कुष्ठ रोग और कितने ही रोगों से पीड़ित हैं। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की अधिक सहायता नहीं की जाती है। लोगों की सहायता करना सरकार का कर्त्तव्य है। यदि समय पर इनकी सहायता न की जाये तब ये बेचारे लोग रोग का शिकार बन जाते हैं। क्षय रोग इतना बढ़ रहा है कि हज़ारों लोगों की मृत्यु इस रोग के कारण हो जाती है। इसलिये जहां तक क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग का सम्बन्ध है इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये और अधिक रकम सुरक्षित की जानी चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १५ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १४ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १०६५

निम्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की अब तक हुई चौदह बैठकों की कार्यवाही के विवरण ।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९५३-५४ और १९५५ के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अधीन वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४३२क, तारीख १८ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित समवाय (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रपत्र की एक प्रति ।

राज्य-सभा से संदेश १०६६

सचिव ने बताया कि लोक-सभा द्वारा २९ फरवरी, १९५६, को पारित बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक, १९५६ को राज्य-सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति १०६६

छियालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १०६६–६७

श्री बीरेन दत्त ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों की त्रिपुरा में पुनर्वास की समस्या पर ध्यान दिलाया ।

इस सम्बन्ध में पुनर्वास मंत्री ने एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक-पारित १०६७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक पर विचार हुआ और पारित हुआ ।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य-चर्चा १०६८–१११

सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १५ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

M95LSD—190—14-10-57—GIPF